

## चार इमामों का अक्तीदा

(इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और  
इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमल्लाह)



संकलनकर्ता : उलमा का एक समूह

प्रस्तावना : फ़ज़ीलतुश-शैख सलाह बिन मुहम्मद अल्-बुदैर

अनुवाद और समीक्षा :  
**रुव्वाद अनुवाद केंद्र**

(ج) دار العقيدة للنشر والتوزيع ، ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أشاع النشر

نخبة من العلماء

عقيدة الأئمة الاربعة رحمهم الله تعالى - باللغة الهندية / نخبة  
من العلماء - ط١، - الرياض ، ١٤٤٣ هـ

ص ٤٠٧ .. سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٧٠٠٢٥

١- التوحيد -٢- العقيدة الاسلامية أ- العنوان

١٤٤٣/٧٣٢٩

دبيوي ٤٠

رقم الإيادع: ١٤٤٣/٧٣٢٩

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٧٠٠٢٥

(ملحوظة: لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة)

تتأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيادع بشكل  
معاري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد  
المقنة نفسها خلف سفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة  
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر  
من الغلاف الخلفيخارجي .

و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  
مخزنة على قرص مدمج (CD) وشكرا ،،،

# शैख सलाह अल्-बुदैर की

## प्रस्तावना

सारी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं, जिसने अटल निर्णय किये, हलाल एवं हराम बताये, ज्ञान प्रदान किया और अपने दीन (धर्म) की समझ दी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य (माबूद) नहीं, वह एकमात्र है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने अपनी पायदार पुस्तक द्वारा इस्लाम के मूल सिद्धान्तों को विस्तार पूर्वक बयान किया। जो वास्तव में सारे समुदायों के लिए मार्गदर्शन है। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के भक्त और उसके रसूल (ईशादूत) हैं, जिन्हें अरब एवं अजम (गैर-अरब) समेत सारे संसार वालों के लिए तौहीद (एकेश्वरवाद) पर आधारित धर्म एवं ऐसी शरीअत के साथ भेजा गया था, जिसमें सारे लोगों का हार्दिक स्वागत है। अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरन्तर उसकी दावत देते रहे और अटल तकर्म द्वारा उसका बचाव एवं रक्षा करते रहे। अल्लाह की कृपा और शान्ति अवतरित हो उनपर तथा उस मार्ग पर चलने वाले उनके साथियों एवं इस समूह से संबंध रखने वाले तमाम लोगों पर। अम्मा बअ्द (तत्पश्चातः)।

मुझे "चार इमामों का अक़ीदा" नामी इस पूस्तक को देखने का अवसर मिला, जिसे उलमा के एक समूह ने संकलित किया है। मैंने इसे सहीह अक़ीदे के मसायल की व्याख्या करने वाली तथा कुर्�आन व सुन्नत पर आधारित सलफी मन्हज (पद्धति) को स्पष्ट करने वाली पुस्तक पाया। विषय वस्तु एवं इसमें वर्णित मसायल के महत्व को देखते हुए मैं इसके मुद्रण एवं प्रकाशन की अनुशंसा करता हूँ। साथ ही अल्लाह से विनती करता हूँ कि इसे पाठकों के लिए लाभदायक बनाये और संकलनकर्ताओं को बेहतर बदल प्रदान करे। अल्लाह की करुणा एवं शान्ति हो हमारे संदेषा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके तमाम परिजनों और साथियों पर।

इमाम तथा प्रवचनकार, मस्जिदे  
नबवी  
एवं न्यायधीश सामान्य न्यायालय,  
मदीना मुनब्बरा  
फ़ज़ीलतुश-शैख सलाह बिन  
मुहम्मद अल-बुदैर

# संकलनकर्ताओं की प्रस्तावना

अल्लाह की करुणा एवं शान्ति हो हमारे संदेश  
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके  
तमाम परिजनों और साथियों पर। अम्मा बअद्  
(तत्पश्चातः):

यह एक संक्षिप्त पुस्तिका है। इसमें तौहीद के उन  
मसायल एवं इस्लाम के मूल सिद्धान्तों का वर्णन  
है, जिनका सीखना तथा उन में विश्वास रखना हर  
मुसलमान पर अनिवार्य है। मालूम रहे कि इस  
पुस्तिका में वर्णित सारे मसायल चारों इमामों के  
अक़ीदे की पुस्तकों से लिये गये हैं।

अर्थात् इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम  
शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके ऐसे  
अनुसरण करने वाले, जो हर प्रकार के मतभेद से  
बचते हुए अहले-सुन्नत वल-जमाअत के मार्ग पर  
चलते रहे। जैसे अल-फ़िक़हुल अक्बर; इमाम अबू  
हनीफा रहिमहुल्लाह (मृत्यु 150 हिज्री), अल-अकीदा  
अत-तहावीया; इमाम तहावी (मृत्यु 321 हिज्री),  
मुक़द्दमतुर- रिसाला; इब्ने अबी ज़ैद कीरवानी

मालिकी (मृत्यु 386 हिज्री), उसूलुस्-सुन्नह; इब्ने अबी  
ज़मनीन मालिकी (मृत्यु 399 हिज्री), अत्-तम्हीद  
शर्हुल मुअत्ता; इब्ने अब्दुल बर्र मालिकी (मृत्यु 463  
हिज्री), अर्-रिसाला की इतिकादि अहिलल्-हदीस;  
साबूनी शाफिई (मृत्यु 449 हिज्री) , शर्हुस्-सुन्नह;  
इमाम शाफिई के शिष्य मुज़नी (मृत्यु 264 हिज्री),  
उसूलुस्-सुन्नह; इमाम अहमद बिन हम्बल (मृत्यु  
241 हिज्री), अस्-सुन्नह; अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन  
हम्बल (मृत्यु 290 हिज्री), अस्-सुन्नह; खल्लाल  
हम्बली (मृत्यु 311 हिज्री, अल्-बिदू वन्-नहयु  
अन्हा; इब्ने वज़ज़ाह उन्दलुसी (मृत्यु 287 हिज्री),  
अल्-हवादिस वल्-बिद्‌अ; अबु बक्र तरतूशी मालिकी  
(मृत्यु 520 हिज्री), अल्-बाइस अला इन्कार अल्-  
बिदू वल्-हवादिस; अबू शामा मक्किदसी शाफिई  
(मृत्यु 665 हिज्री), आदि इस्लामी सिद्धान्तों एवं  
ऐतिकाद की पुस्तकें, जिन्हें चारों इमामों और उनके  
अनुसरणकारियों ने लिखा है, ताकि सत्य की ओर  
दावत, सुन्नत एवं अक्कीदे की रक्षा और धर्म के नाम  
पर वजूद में आने वाली नित-नयी तथा असत्य  
चीज़ों का खंडन किया जासके।

प्रिय बन्धु, यदि आप इनमें से किसी इमाम के अनुसरणकारी हैं, तो लीजिए, ये आपके इमाम का अक़ीदा है, अहकाम की तरह अक़ीदे के मामले में भी आप उन्हों के पदचिन्हों पर चलना आरंभ कर दीजिए।

मालूमात को पहुँचाना आसान हो और उन्हें आत्मसात किया जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस पुस्तिका को प्रश्नोत्तर के रूप में संकलित किया गया है।

प्रार्थना है कि अल्लाह तआला सभी को सत्य को ग्रहण करने, सच्चे दिल से उसे मानने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करने की शक्ति प्रदान करे।

अल्लाह की कृपा एवं शान्ति हो हमारे संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपके परिजनों और साथियों पर।

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आपका रब (पालनहार) कौन है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः मेरा रब (पालनहार) अल्लाह है। जो स्वामी है, उत्पन्न करने वाला है, संचालक है, रूप-रेखा बनाने वाला है, पालने वाला है, अपने भक्तों के काम बनाने वाला है और उनके समस्सेयाओं का समाधान करने वाला है। प्रत्येक वस्तु उसके आदेश से अस्तित्व में आती है और कोई पत्ता भी उसके आदेश के बिना नहीं हिलता।

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आपने अपने रब (पालनहार) को कैसे जाना?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः मैंने अपने रब (पालनहार) को जाना; क्योंकि उसकी जानकारी तथा उसके अस्तित्व, सम्मान और भय के स्वाभाविक इक़रार को मेरे जन्म के समय ही मेरे अन्दर डाल दिया गया था तथा उसकी निशानियों एवं सृष्टियों पर चिन्तन-मनन से भी उसे जानने में बड़ी मदद मिली। जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमया: "وَمِنْ {آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ"

से रात, दिन, सूरज और चाँद हैं।} (सूरा फुस्सिलत) इस सूक्ष्म तथा सुन्दर व्यवस्था के तहत चलने वाली संसार की ये विशाल चीज़ें, अपने आप अस्तित्व में नहीं आ सकतीं। इनका कोई उत्पत्तिकार ज़रूर होगा, जिसने इन्हें अनस्तित्व से अस्तित्व बख्शा है। ये सारी वस्तुएं एक उत्पत्तिकार के वजूद के निर्णायक प्रमाण हैं, जो सर्वशक्तिमान, महान और हिक्मत वाला है। सच्चाई भी यही है कि चंद नास्तिकों को छोड़कर सारा मानव समाज अपने पैदा करने वाले, प्रभु, अन्न दाता और संचालनकर्ता का इक़रार भी करता है। अल्लाह की पैदा की हुई वस्तुओं में से सात आकाश, सात धरती तथा उनमें प्रयाप्त समस्त वस्तुएँ हैं, जिनकी संख्या, वास्तविकता और हालात से अल्लाह ही अवगत है तथा उन्हें आवश्यकता की सारी वस्तुएं एवं जीविका भी वही देता है, जो जीवित है, सारे संसार को सम्भालने वाला है, अन्न दाता और महान है।

اللَّهُ أَكْبَرُ  
 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ  
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  
 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ  
 النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثِيَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِإِمْرِهِ أَلَا  
 } أَرْثَاتٌ: الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ "}

पालनहार अल्लाह है, जिसने आकाश तथा पृथ्वी को छः दिनों में उत्पन्न किया, फिर अर्श पर स्थिर हो गया। जो रात को दिन पर ढाँप देता है, फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है। जिसने सुर्य, चाँद और नक्षत्र पैदा किये, सब उसके आदेश के अधीन हैं। सावधान रहो, उसी की सृष्टि है और उसी का आदेश। बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, सारे संसारों का स्वामी और पालनहार।} (अल-आराफः 54)

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आप का धर्म क्या है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः मेरा धर्म इस्लाम है। विदित हो कि इस्लाम, तौहीद (एकेश्वरवाद) के ज़रिये अल्लाह के आगे आत्म समर्पण, सत्कर्म के ज़रिये उसकी आजाकारी और शिर्क (अनेकेश्वरवाद) तथा शिर्क करने वालों से खुद को अलग-थलग कर लेने का नाम है। अल्लाह तआला ने फरमाया: إِنَّمَا يُرْجَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ

"وَمَنْ يَتَّبِعْ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيَنًا" {अर्थात् : अल्लाह के निकट ग्रहण योग्य धर्म केवल इस्लाम है।} (सूरा आले इम्रानः 19)

"فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ" {जो,

इस्लाम के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म तलाश करेगा, उसकी ओर से उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा और वह प्रलोक में हानि उठाने वालों में से होगा।} (सूरा आले इम्रानः 85) चुनांचे अल्लाह उस धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं करेगा, जिसे अपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ भेजा है। क्योंकि उसने पिछली समस्त शरीअतों को निरस्त कर दिया है। अतः इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म की अनुसरण करने वाला सीधी राह से भटका हुआ है तथा प्रलोक में हानि उठाने वालों और नरक में प्रवेश पाने वालों में शामिल होगा। जबकि जहन्नम (नरक ) सब से अधिक बुरा ठेकाना है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः ईमान के अर्कान (सतम्भ) कितने हैं?**

उत्तर/ तो आप कहिएः ईमान के छः स्तंभ हैं। और वो हैंः अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी उत्तारी हुई ग्रंथों, उसके पैगम्बरों तथा प्रलय दिवस पर ईमान रखना तथा इस बात पर ईमान रखना कि भाग्य का भला बुरा केवल अल्लाह की ओर से है।

और किसी व्यक्ति का ईमान उस समय तक संपूर्ण नहीं हो सकता, जब तक वो इन सभी बातों पर, उसी प्रकार से विश्वास न करे, जिस प्रकार से अल्लह की किताब कुरआन और प्यारे नबी की हदीस में आदेश हुआ है। इनमें से एक का इन्कार करने वाला भी ईमान के सीमा से बाहर हो जाता है। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का ये फरमान है : "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُؤْلُوا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالثَّبِيْبَيْنِ وَأَنَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنَّى الرَّكَأَةَ وَالْمُوْفُونَ يَعْهِدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبُشَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ"

(अर्थातः : नेकी (पुण्य) ये नहीं कि तुम अपने चेहरे पूर्व और पश्चिम की ओर कर लो, अपितु नेकी यह है की मनुष्य ईमान लाये अल्लाह पर और अन्तिम दिन (प्रलय दिवस ) पर और फरिश्तों पर और आकशीय गन्थों पर और पैग़म्बरों पर। और धन की मुहब्बत के बावजूद दान करे सम्बन्धियों को और अनाथों को और मुहताजों को और यात्रियों को और माँगने वालों को और गरदन छुड़ाने (गुलाम मुक्त करने ) में। और नमाज़ स्थापित करे और

ज़कात अदा करे और जब वचन दे दे तो उसको पूरा करे। और सब्र (धैर्य) करे कठिनाई में और विपत्ति एवं कष्ट में और युद्ध के समय। यही लोग हैं, जो सच्चे निकले और यही हैं डर रखने वाले।}

(सूरा अल-बक्रा: 177) और अल्लाह के प्रिय संदेष्टा ﷺ की हदीस है, जब आपसे ईमान के विषय में पूछा गया, तो आप ﷺ ने कहा: (ईमान का अर्थ ये है कि तुम विश्वास रखो अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसके ग्रन्थों पर, उसके पैगम्बरों पर, अंतिम दिवस पर और भार्य के भले-बुरे पर।) इस हदीस को इमाम मुसलिम ने बयान किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह  
तआला पर ईमान लाने से क्या अभिप्राय  
है?**

उत्तर/ तो आप कहिए: अल्लाह पर ईमान लाने का अर्थ है: अल्लाह के अस्तित्व को स्वीकार करना, उसपर विश्वास रखना, उसीको एकमात्र रब एवं पूज्य मानना और उसके नामों और गुणों को शिर्क से बचाये रखना।

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः फरिश्तों पर ईमान लाने से क्या अभिप्राय है?

उत्तर/ तो आप कहिएः फरिश्तों पर ईमान अर्थात् फरिश्तों के अस्तित्व, उनकी विशेषताओं, उनकी क्षमताओं, उनके कार्यों और उनकी ज़िम्मेवारियों पर विश्वास रखना और ये आस्था रखना कि फरिश्ते अल्लाह की सृष्टि और बहुत पवित्र एवं सम्मान योग्य हैं। अल्लाह ने उन्हें प्रकाश से उत्पन्न किया है।

अल्लाह            तआला            कहता            हैः

"لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ" {अर्थात्: अल्लाह उनको जो आदेश दे, उसमें वे उसकी अवज्ञा नहीं करते और वे वही करते हैं, जिसका उनको आदेश मिलता है।} (सूरा तहरीम: 6) और उनके दो-दो, तीन-तीन, चार-चार या इससे भी अधिक पंख होते हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में हैं। उन की संख्या का ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं। अल्लाह ने उन्हें बहुत-से महत्वपूर्ण कार्य सौंप रखे हैं। कुछ फरिश्ते अल्लाह के अर्श (सिंहासन) को उठाये हुए हैं। कुछ मांके गर्भ की देख भाल पर हैं। कुछ मनुष्य के कार्यों की निगरानी में हैं। कुछ अल्लाह के भक्तों

की रक्षा में लगे हैं। कुछ नरक की देख-भाल पर हैं तो कुछ जन्नत की देख-रेख पर। इसके अलावा बहुत-से कार्य हैं, जो फ़रिश्ते नरक पर नियुक्त हैं। फ़रिश्तों में सबसे उत्तम जिबरील हैं, जो अल्लाह के आदेश और वाणी आदि लेकर पैगम्बरों के पास आते थे। हम सभी फ़रिश्तों पर ईमान रखते हैं, उनके बारे संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण समेत उनपर उसी प्रकार विश्वास रखते हैं जैसे अल्लाह ने अपने पवित्र ग्रंथ कुरआन में एवं अपने रसूल ﷺ की हदीस में बयान किया है। जो व्यक्ति फ़रिश्तों को नहीं मानता या फ़रिश्तों के संबंध में ऐसी कोई धारणा रखता है, जो अल्लाह की बतायी हुई उपदेशों के विपरीत है, वो अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की बातों को झुठलाने के कारण काफ़िर है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह की औतरित की हुई ग्रंथों पर ईमान लाने से क्या अभिप्राय है?**

उत्तर/ तो आप कहिएः अल्लाह की औतरित की हुई ग्रंथों पर ईमान का अर्थ है, कि आपका विश्वास हो और आप स्वीकार करें कि अल्लाह ने अपने

संदेष्टाओं और इश्दूतों पर कुछ ग्रन्थें औतरित की हैं। कुछ ग्रन्थों के संबंध में अल्लाह ने पवित्र कुरआन में बताया है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे उनपर उतारे गये, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी गयी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को मिली, ज़बूर दाउद अलैहिस्सलाम पर उतरी और कुरआन अंतिम संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को प्रदान किया गया।

सबसे श्रेष्ठ ग्रन्थ कुरआन है। ये अल्लाह की पवित्र वाणी और वार्ता है, जिसे अल्लाह ने स्वयं कहा है। इसके शब्द और अर्थ भी अल्लाह की ओर से हैं, जिसे जिब्रील ने अंतिम संदेष्टा को सुनाया और अन्य लोगों तक पहुँचाने का आदेश दिया। अल्लाह ने कहा: {أَرْتَهُت: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا} {अर्थात्: इसे अमानतदार विश्वसनीय फ़रिश्ता लेकर उत्तरा है।} (सूरा अश-शुअरा:193) अल्लाह ने एक अन्य स्थान पर कहा: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا" {हमने तुमपर कुरआन थोड़ा थोड़ा करके औतरित किया है।} (सूरा अद्-दहः: 23) और एक स्थान पर कहता है: فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ {अर्थात्: तो तुम उसको शरण दे दो, ताकि

वह अल्लाह का कलाम (वचन) सुन सके।} (सूरा  
अत्-तौबा: 6)

अल्लाह ने उसे किसी भी प्रकार के हेर-फेर और  
कमी-बेशी से सुरक्षित रखा है। इस किताब की एक  
विशेषता यह है कि यह लिखित रूप में और लोगों  
के सीनों में सुरक्षित रहेगी, यहाँ तक कि प्रलय से  
पहले, अल्लाह तआला ईमान वालों की आत्माओं को  
निकाल लेगा। इसके साथ ही उसे भी उठा लिया  
जायेगा।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः इशदूतों और  
संदेष्टाओं पर ईमान क्या है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः पूर्ण विश्वास रखिए  
कि वे इन्सान हैं, मानव जाति में से चुने हुए लोग  
हैं, अल्लाह ने उन्हें अपने धर्म को बन्दों तक पहुँचाने  
के लिए चुन लिया है। अतः वे लोगों को एक अल्लाह  
की वंदना और शिर्क एवं मुश्किलों से छुटकारा प्राप्त  
करने की ओर बुलाते हैं। नबूअत वास्तव में अल्लाह  
की ओर से एक चयन है, जिसे परिश्रम, अधिक से  
अधिक उपासना, परहेज़गारी और प्रवीनता द्वारा  
प्राप्ता नहीं किया जा सकता। अल्लाह तआला ने

फरमाया: "الَّهُ أَعْلَمُ حِينَ يَجْعَلُ رِسَالَةً" {अर्थातः : अल्लाह अधिक जानता है कि उसे अपना रसूल किसे बनाना है।} (सूरा अल-अन्झामः 124)

प्रथम संदेष्टा आदम अलैहिस्सलाम और प्रथम दूत नूह अलैहिस्सलाम हैं। जबकि अन्तिम तथा श्रेष्ठ संदेष्टा एवं दूत मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह कुरैशी, हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। जिसने किसी संदेष्टा का इन्कार किया, वो काफिर हो गया तथा जिसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नबूअत का दावा किया, वो काफिर एवं अल्लाह को झुठलाने वाला है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया: "مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ" {अर्थातः : मुहम्मद तुम्हारों पुरुषों में से किसी के पिता नहीं हैं, किन्तु अल्लाह के रसूल एवं अन्तिम नबी हैं।} और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (وَلَا نَبِيٌ بَعْدِي) (अर्थातः : मेरे बाद कोई संदेष्टा नहीं होगा)

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अन्तिम दिन (प्रलय दिवस) पर ईमान क्या है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः अन्तिम दिवस पर ईमान लाने का अर्थ यह है कि उन तमाम वस्तुओं की पूर्ण पुष्टि, संदेह रहित विश्वास और इक़रार, जिनके मृत्यु के बाद होने की सूचना अल्लाह तआला ने दी है। जैसे- कब्र में प्रश्न, उसकी नेमत और अज़ाब, मृत्यु के बाद पुनः जीवित होना, कर्मों के हिसाब और फैसले के लिए लोगों का इकट्ठा होना तथा प्रलय के मैदान के विभिन्न हालात, जैसे- लम्बे समय तक खड़े रहना, एक मील की दूरी तक सूर्य का नीचे आ जाना, हौज, मीज़ान, कर्म पत्र, जहन्नम के ऊपर रास्ता बनाना आदि उस दिन की भयानक अवस्थाएं, जो उस समय तक जारी रहेंगी, जब तक जहन्नम के हळदार जहन्नम और जन्नत के हळदार जन्नत में प्रवेश न कर जायें। जैसा कि विस्तारित रूप से अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हडीस में आया है। अन्तिम दिवस पर ईमान में प्रलय की उन निशानियों पर पूर्ण विश्वास भी शामिल है, जो कुर्�আন तथा हडीस

से साबित हैं, जैसे- असंख्य फ़ितनों का सामने आना, हत्याएं, भूकम्प, सूर्य एवं चंद्रमा ग्रहण, दज्जाल का निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, याजूज और माजूज का निकलना एवं पश्चिम से सूर्य का निकलना आदि।

ये सारी चीजें अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सहीह हदीसों से सिद्ध हैं, जो सहीह, सुनन एवं मुसनद आदि पुस्तकों में मौजूद हैं।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या क़ब्र का अ़ज़ाब (यातना) और उसकी नेमतें कुर्झान एवं हदीस से प्रमाणित हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः हाँ, अल्लाह तआला ने फिरअौन और उसके अनुसरणकारियों के बारे में फरमाया "النَّارُ يُرَضِّونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبَيْوَمٌ تَقُومُ السَّاعَةُ" {अर्थात्: नरक को उनके सामने प्रातः-संध्या लाया जायेगा और जिस दिन प्रलय घटित होगी (कहा जायेगा:) फिरअौनयों को कठोरतम यातना में डाल दो।} (सूरा ग़ाफ़िरः 46) तथा अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ"

كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوْقُوا عَذَابَ الْخَرِيقِ"

{अर्थात्: और काश कि तू देखता जबकि फरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं, उनके मुँह और कमर पर मार मारते हैं (और कहते हैं) तुम जलने की यातना चखो।} अल्लाह तआला ने अन्य स्थान में

"يُتَبَّعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّاهِيٍّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ"

{अर्थात्: अल्लाह ईमान वालों को दृढ़ कथन के ज़रिये सांसारिक जीवन और प्रलय में दृढ़ता प्रदान करता है।} (सूरा इबराहीम: 27) तथा बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीसे कुदसी में है: (तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारेगा: मेरे बन्दे ने सत्य कहा है। उसके लिए जन्नत (स्वर्ग) के बिछौने बिछा दो, उसे जन्नत के वस्त्र पहना दो और उसके लिए जन्नत की ओर एक दरवाज़ा खोल दो, ताकि उसे जन्नत की हवा और सुगंध मिलती रहे। उसकी कब्र को हद्दे निगाह तक फैला दिया जायेगा। फिर काफिर की मृत्यु का ज़िक्र करते हुए फरमाया: फिर उसकी आत्मा को उसके शरीर में लौटाया जायेगा, उसके पास दो फरिश्ते आयेंगे, उसे बठायेंगे और कहेंगे: तेरा रब कौन है? वो उत्तर देगा: मुझे कुछ पता नहीं। वे दोनों कहेंगे:

तेरा धर्म क्या है? वो कहेगा: मुझे कुछ पता नहीं। फिर वे कहेंगे: ये आदमी कौन है, जो तुम्हारे बीच (संदेष्टा बना कर) भेजा गया था? वो कहेगा: मुझे कुछ पता नहीं। तो आकाश से एक पुकारने वाला पुकारेगा: इसने झूठ कहा है। इसके लिए दोज़ख (नरक) के बिछौने बिछा दो, इसे दोज़ख के वस्त्र पहना दो और इसके लिए दोज़ख की ओर एक दरवाज़ा खोल दो। ताकि उसकी गर्मी और गर्म हवा आती रहे। उसकी क़ब्र को इस क़दर तंग कर दिया जायेगा कि उसकी एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ आ जायेंगी।) एक रिवायत में यह भी है: (फिर उसके लिए एक अन्धे-गूँगे फरिश्ते को नियुक्त कर दिया जायेगा, उसके पास एक लोहे का हथोड़ा होगा कि यदि उसे पहाड़ पर मार दिया जाय तो वो मिट्टी बन जाय। वो उस हथोड़े से उसे ऐसे मारेगा कि उसकी आवाज़ जिन्न तथा इन्सानों के छोड़ पूर्व तथा पश्चिम के बीच की सारी चीज़ें सुनेंगी।) इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया है। यही कारण है कि हमें हर नमाज़ में क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगने का आदेश दिया गया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या ईमान  
वाले प्रलोक में अपने रब (पालनहार) को  
देखेंगे?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः हाँ, ईमान वाले प्रलोक में अपने रब को देखेंगे। इसके कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं। अल्लाह तआला ने फरमया: "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرٌ" {अर्थातः उस दिन कुछ चेहरे हरे-भरे होंगे। अपने रब को देख रहे होंगे।} (सूरा अल-कियामा: 22-23) तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "إِنَّكُمْ تَرُونَ رَبَّكُمْ" अर्थातः (तुम अपने रब को देखोगे।) इसे बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है। ईमान वालों के अपने रब को देखने के सम्बन्ध में हदीसें मुतवातिर सनदों से आई हैं तथा इसपर सारे सहाबा और ताबेईन एकमत हैं। जिसने इस दर्शन को झुठलाया, उसने अल्लाह तथा उसके रसूल से दुश्मनी की तथा सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम और उनका अनुसरण करने वाले मुसलमानों का विरोध किया। अल्बत्ता, इस लोक (दुनिया) में अल्लाह को देखना सम्भव नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लाहु अलैहि व सल्लम

ने फरमाया:"إِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْ رَبَّكُمْ حَتَّىٰ تَمُوتُوا" (अर्थातः : तुम मरने से पहले अपने रब को कदापि देख नहीं सकते।) और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अल्लाह को देखने की इच्छा व्यक्त की थी, तो अल्लाह ने मना कर दिया था। जैसा कि इस आयत में है: "وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ" {अर्थातः : और जब मूसा हमारे निश्चित समय पर पहुँचा और उसके रब ने उससे बातचीत की, तो उसने प्रार्थना की कि ऐ मेरे रब, मुझे देखने की शक्ति दे कि मैं तुझे देखूँ। तो उसने कहा: तू मुझे नहीं देख सकता।} (सूरा आराफः 143)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के निर्णय एवं तक़दीर पर ईमान कैसे लाया जाय?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः इस बात पर पूर्ण विश्वास द्वारा कि प्रत्येक वस्तु अल्लाह के निर्णय और उसके अनुमान के अनुसार होती है। कोई वस्तु उसकी इच्छा के बिना नहीं होती। वो बन्दों के भले-बुरे सारे कार्यों का पैदा करने वाला है। उसने बन्दों को भलाई तथा सत्य को स्वीकार करने की शक्ति

देकर उत्पन्न किया है तथा भले-बुरे में अन्तर करने की क्षमता प्रदान की है। उन्हें किसी काम को करने अथवा न करने की इच्छाशक्ति प्रदान की है। सत्य को स्पष्ट कर दिया है तथा असत्य से सावधान किया है। जिसे चाहा, अपने अनुग्रह से सुपथ प्रदान किया और जिसे चाहा, अपने न्याय के आधार पर कुपथ किया। वो तत्त्व ज्ञान, ज्ञानी और कृपावान है। उसे उसके कार्यों के बारे में नहीं पूछा जायेगा, जबकि बन्दे पूछे जायेंगे।

तकदीर की चार श्रेणियाँ हैं, और वे हैं:

**प्रथम श्रेणी:** ये विश्वास रखना कि अल्लाह का ज्ञान हर वस्तु को इस तरह धेरे हुए है कि वह हर उस विषय को जानता है, जो हो चुका है और जो नहीं हुआ है, यदि वो होता, तो कैसे होता।

**दूसरी श्रेणी:** ये विश्वास रखना कि अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु को लिख रखा है।

**तीसरी श्रेणी:** ये विश्वास रखना कि कोई भी वस्तु अल्लाह की इच्छा और अनुमति के बिना नहीं हो सकती।

चौथी श्रेणी: ये विश्वास रखना: कि अल्लाह ही प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाला है। अर्थात् वह व्यक्तियों तथा आकाशों एवं धरती में मौजूद समस्त वस्तुओं के कार्यों, कथनों, गतियों, ठहराव एवं गुणों को उत्पन्न करने वाला है। इन सारी वस्तुओं की दलील कुर्�आन एवं सुन्नत में भारी मात्रा में मौजूद हैं।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या मनुष्य विवश अथवा उसे अखितयार प्राप्त है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः सामान्य रूप से न यह कहा जायेगा कि मनुष्य विवश है और न यह कहा जायेगा कि उसे अखितयार प्राप्त है। ये दोनों बातें गलत हैं। कुर्�आन एवं हडीस से ज्ञात होता है कि मनुष्य इरादा और इच्छा का मालिक है और वास्तव में अपना कार्य खुद करता है। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के इरादे और इच्छा से बाहर नहीं होता। इसे अल्लाह तआला के इस कथन ने स्पष्ट कर दिया हैः "لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ" {अर्थातः (खास तौर से उनके लिए) जो तुममें से सीधे रास्ते पर चलना चाहे। और तुम बिना

सारी दुनिया के रब के चाहे कुछ नहीं चाह सकते।} (सूरा अत्-तकवीर: 28-29) तथा अल्लाह तआला ने अन्य स्थान में फ़रमाया: "فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا يَدْكُرُونَ" {अर्थात्: अब जो चाहे उससे शिक्षा ग्रहण करे। और वे उसी समय शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब अल्लाह चाहे, वो इसी योग्य है कि लोग उससे डरें और इस योग्य है कि वह क्षमा करे।} (सूरा अल्-मुद्दस्सिर: 55-56)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या कर्म (अमल) के बिना ईमान सही हो सकता है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिए: कर्म (अमल) के बिना ईमान सही नहीं हो सकता, बल्कि ईमान के लिए कर्म अनिवार्य है। क्योंकि स्वीकरण (इक़रार) की तरह कर्म भी ईमान का एक स्तंभ है। सारे इमाम इस बात पर एकमत हैं कि ईमान कथनी एवं करनी (कौल व अमल) का नाम है। इस का प्रमाण यह आयत है: "وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَيْلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ" {और जो उसके सामने ईमान वाले के रूप में उपस्थित होगा, उसने अच्छे कर्म भी किये होंगे, तो ऐसे ही लोगों के लिए ऊँचे दरजे हैं।} (सूरा

ताहा: 75) यहाँ अल्लाह ने जन्नत में प्रवेश पाने हेतु ईमान तथा कर्म दोनों की शर्त रखी है।

## प्रश्न/ यदि आपसे कहा जाय: इस्लाम के स्तम्भ (अर्कान) क्या-क्या हैं?

उत्तर/ तो आप कहिए: इस्लाम के निम्नलिखित पाँच स्तम्भ (अर्कान) हैं:- इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजने योग्य नहीं है और यह गवाही देना कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के अन्तिम दूत हैं, नमाज स्थापित करना, पवित्र रमज़ान के पूरे रोजे (उपवास) रखना, अपने माल से ज़कात देना एवं अल्लाह के पवित्र घर (काबा शरीफ) का हज करना।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (इस्लाम की बुनियाद पाँच वस्तुओं पर है; इस बात की गवाही देना के अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य पूज्य नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के रसूल हैं, नमाज स्थापित करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोजे रखना।) इस हदीस का वर्णन बुखारी एवं मुस्लिम ने किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः "अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल (दूत ) हैं" की गवाही देने का क्या अर्थ है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिए: "अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं" का अर्थ है: अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं। जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ" ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَّةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ {अर्थात : और उस समय को याद करो, जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपने समुदाय से कहा: मैं उनसे विरक्त हूँ, उन से जिनकी उपासना तुम करते हो, अतिरिक्त उसके जिसने मुझे उत्पन्न किया, वो अवश्य मेरा पथप्रदर्शन करेगा।} (सूरा अज्ज़-जुखरुखः:26- 28) एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया: "ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقُوقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ: {अर्थात : ये इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और लोग उसके अतिरिक्त जिनकी उपासना करते हैं, असत्य हैं। और अल्लाह सर्वोच्च एवं महान है।} (सूरा लुक्मानः ३०)

और "मुहम्मद के रसूल होने की पुष्टि करने (गवाही देने) " का अर्थ यह है कि हम विश्वास रखें और इक़रार करें कि आप अल्लाह के बन्दे और उसके भक्त हैं। आप बन्दे हैं, इसलिए आपकी बन्दगी नहीं की जा सकती, तथा नबी हैं, इसलिए झुठलाये नहीं जा सकते। आपके आदेशों का पालन किया जायेगा, आपकी बतायी हुई बातों को सच माना जायेगा, आपकी मना की हुई बातों से परहेज़ किया जायेगा तथा आप ही की बतायी हुई पद्धति के अनुसार अल्लाह की वंदना की जायेगी।

आपका अपनी उम्मत पर हङ्क यह है कि लोग आपका सम्मान करें, आपसे मुहब्बत रखें तथा हर समय एवं सभी कार्यों में यथासम्भव आपका अनुसरण करें। अल्लाह तआला ने फरमाया: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ {अर्थातः : कह दो: यदि तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो, तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा।}

(सूरा आले-इमरानः 31)

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः "ला इलाह इल्लाह" की क्या-क्या शर्तें हैं?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः कलिम-ए-तौहीद (मूल मंत्र) कोई साधारण मूल मंत्र नहीं है, जिसे किसी आस्था, तगादों पर अमल किए बिना और उसे भंग करने वाली चीज़ों से बचे बिना, यूँ ही कह दिया जाय। अपितु इसकी सात शर्तें हैं, जिन्हें उलमा ने शरई प्रमाणों को खंगालकर निकाला है और कुर्झान एवं सुन्नत को सामने रखकर संकलित किया है। ये सात शर्तें इस प्रकार हैं :

1. इसके अर्थ को इस तौर पर जानना कि वे कौन-सी वस्तुयें हैं जिन्हें इस कलिमे (मूलमंत्र ) में नकारा गया है और वे कौन-सी वस्तुयें हैं जिन्हें इसमें सिद्ध किया गया है। ये जानना कि अल्लाह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं तथा यह कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य में पूज्य होने के गुण नहीं पाये जाते। साथ ही इस कलिमा के तकाजों, लवाज़िम और भंग करने वाली वस्तुओं को इस तरह से जानना कि अज्ञानता की मिलावट न हो। अल्लाह तआला ने फरमाया: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُۖ" {अर्थात :

जान लो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं।} (सूरा मुहम्मदः 19) एक और स्थान में फरमाया: "مَنْ شَهَدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" {अर्थात् : सिवाय उसके जो सत्य की गवाही दे तथा वे जानते भी हों।} (सूरा अज़-जुखरूफः 86) और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (जिसकी मृत्यु इस हाल में हुई कि वो जानता हो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, वह अवश्य जन्नत (स्वर्ग) में प्रवेश पायेगा।) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

2. दिल में इस तरह पूर्ण विश्वास रखना कि संदेह की कोइ गुंजाईश न रहे। अल्लाह तआला ने فरमाया: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا" وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ" {अर्थात् : वास्तव में मोमिन वह हैं जो अल्लाह तथा उसके रसूल पर ईमान ले आये और फिर किसी संदेह में नहीं पड़े एवं अपने माल तथा जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद किए। यही लोग सत्यवादी हैं।} (सूरा अल-हुजुरातः 25) और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

"من قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأنني رسول الله، لا يلقي الله بهما عبداً" {अर्थात् : जिसने कहा: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इन दोनों बातों के साथ जो बन्दा अल्लाह से मिलेगा और इनमें संदेह नहीं करेगा, वो जन्नत में प्रवेश करेगा।} इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

3. ऐसा इख्लास (अल्लाह के लिए विशुद्धता) जो शिर्क से पवित्र हो। अर्थात् उपासना एवं वंदना को शिर्क तथा दिखावे के संदेहों से पाक तथा पवित्र रखना। अल्लाह तआला ने फरमाया: "أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ" {अर्थात्: सुन लो, विशुद्ध धर्म केवल अल्लाह के लिए है।} (सूरा अज़्-जुमरः 3) एक और स्थान पर फरमाया: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ" {उन्हें केवल इसी बात का आदेश दिया गया था कि एक अल्लाह की वंदना करें, उसके लिए धर्म को विशुद्ध करते हुए।} (सूरा अल्-बिय्यिना: 5) तथा अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (क़्यामत के दिन मेरी शिफारिश (विनती) का सबसे अधिक हक़दार वो व्यक्ति होगा, जिसने निर्मल दिल

से 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहा।) इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है।

4. इस कलिमा तथा इसके अर्थ से मुहब्बत, खुशी का अनुभव, इसका इक़रार करने वालों से दोस्ती एवं सहयोग, इससे टकराने वाली वस्तुओं से घृणा एवं काफिरों से खुद को अलग कर लेना। अल्लाह तआला ने फरमाया: {लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कुछ लोगों को अल्लाह के सिवा साझी बना लेते हैं और उनसे वैसी मुहब्बत रखते हैं जैसी अल्लाह से होनी चाहिए, जबकि ईमान वाले अल्लाह से इससे भी बढ़कर मुहब्बत रखते हैं।} (सूरा अल-बक़रा: 165) और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (जिसके अन्दर तीन बातें होंगी, वह ईमान की मिठास पायेगा: अल्लाह एवं उसका रसूल उसके निकट सारी वस्तुओं से अधिक प्यारा हो, जिससे मुहब्बत रखे, केवल अल्लाह के लिए रखे और दोबारा कुफ्र की ओर लौटने को उसी तरह नापसन्द करे, जिस तरह आग में डाले जाने को नापसन्द करता है।) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

5. ज़बान से तौहीद का मूलमंत्र अदा होने के पश्चात दिल तथा शरीर के अन्य भागों द्वारा पूर्ण रूप से उसकी पुष्टि हो जाय। चुनांचे शरीर के सारे भाग दिल की पुष्टि करते हुए आंतरिक तथा बाह्य रूप से आज्ञापालन में लग जायें। अल्लाह तआला ने फरमाया: "فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ" {अर्थात्: अल्लाह उन लोगों को अवश्य जान लेगा जो सत्यवादी हैं और उन लोगों को भी जान लेगा, जो झूठे हैं।} (सूरा अल-अन्कबूतः 3) एक और स्थान पर फरमाया: "وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" {अर्थात् जो सत्य लेकर आया और उसकी पुष्टि की, ऐसे ही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं।} (सूरा अज़-ज़ुमरः 33) और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "مَنْ ماتَ وَهُوَ يَشَهِّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَأُولَئِكَ مَنْ صَادَقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَادِقًاً مِّنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" {अर्थात्: (जिसकी मृत्यु इस हाल में हो कि वह सच्चे दिल से गवाही देता हो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य पूज्य नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो जन्नत में प्रवेश करेगा।) इस हदीस को अहमद ने रिवायत किया है।}

6. केवल एक अल्लाह की वंदना करते हुए तथा इख्लास (निर्मलतापूर्वक), अभिरुचि, उम्मीद और अल्लाह के डर के साथ उसके आदेशों का पालन करते हुए और उसकी मना की हुई वस्तुओं से बचते हुए उसके अधिकारों को अदा करना। अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ" {अर्थात्: और तुम अपने रब की ओर झुक पड़ो और उसका आजापालन किये जाओ।} (सूरा अज़्-ज़ुमरः 54) तथा "وَمَنْ يَسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ" {अर्थात्: और जो व्यक्ति अपने चेहरे को अल्लाह के अधीन कर दे तथा वो सत्कर्म करने वाला हो, तो निःसंदेह उसने मज़बूत कड़ा थाम लिया।} (सूरा लुक़मानः 2)

7. ऐसा स्वीकार, जो विरोधाभास से पवित्र हो। ऐसा न हो कि दिल तो कलिमा, उसके अर्थ एवं तकाज़ों को ग्रहण करे, परन्तु उसकी ओर बुलाने वाले की तरफ से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, धर्म द्वेष एवं अहंकार के कारण। अल्लाह तआला ने फरमाया: "إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ" {अर्थात्: इनका हाल यह था कि जब इनसे कहा

जाता कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है तो अभिमान करते थे।} (सूरा अस्-साफ़ातः 35) अतः ये मुसलमान नहीं हो सकता।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आपका नबी  
(संदेष्टा) कौन है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः हमारे नबी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ हैं। अल्लाह ने उन्हें कुरैश वंश से चुना था, जो इसमाईल बिन इबराहीम की औलाद की शाखाओं में सर्वश्रेष्ठ शाखा थी। अल्लाह ने उन्हें जिन्न तथा मनुष्यों की ओर नबी बनाकर भेजा था। उनपर ग्रंथ और ज्ञान (हिक्मत) उतारी थी तथा उन्हें तमाम रसूलों पर श्रेष्ठता प्रदान की थी।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः बन्दों पर  
अल्लाह की फर्ज (अनिवार्य ) की हुई प्रथम  
वस्तु क्या है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः बन्दों पर अल्लाह की फर्ज की हुई प्रथम वस्तुः उसपर ईमान रखना और "तागूत" का इन्कार करना हैं। जैसा कि अल्लाह

"لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ" وَاجْتَبَيْنَا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةُ فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" {अर्थातः और हमने प्रत्येक समुदाय के अन्दर एक-एक रसूल भेजा, (ये संदेश पहुँचाने के लिए कि) अल्लाह की वंदना व उपासना करो और "तागूत" से बचो। चुनांचे उनमें से कुछ लोगों को अल्लाह ने सत्यमार्ग दिखाया और कुछ लोगों पर कुमार्गता अनिवार्य हो गयी। अतः तुम धरती पर चलो-फिरो और देखो कि झुठलाने वालों का अन्त कैसा रहा?} (सूरा अन-नह्ल: 36) "तागूत" से अभिप्राय हर वो वस्तु है, जिसकी वंदना तथा अनुसरण द्वारा उसे सीमा से आगे बढ़ा दिया जाय।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह ने आपको क्यों उत्पन्न किया?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः अल्लाह ने स्पष्ट रूप से बयान कर दिया है कि उसने मनुष्य तथा जिन्नों को केवल अपनी वंदना हेतु उत्पन्न किया है। उसका कोई साझी नहीं। उसकी उपासना एवं वंदना यह है कि उसके आदेशों का पालन करके और उसकी मना

की हुई वस्तुओं से दूर रहकर, पूर्णरूपेण उसका अनुसरण किया जाय। अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون्" {अर्थातः मैंने जिन्नों और मनुष्यों को केवल अपनी उपासना हेतु उत्पन्न किया है।} (सूरा अज़्-ज़ारियातः 56) तथा एक और स्थान पर फरमाया: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" {अर्थातः अल्लाह की वंदना करो और उसका किसी को साझी न बनाओ।} (सूरा अन्-निसाः 36)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः इबादत  
(वंदना-उपासना ) का क्या अर्थ है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः इबादत से अभिप्राय हर वह बात एवं प्रकटित था आंतरिक कार्य है, जिसे अल्लाह पसन्द करता हो और जिसका आस्था रखने, कहने या करने का आदेश दिया हो। जैसे उसका भय, उससे आशा, उससे प्यार करना, उससे सहायता माँगना, नमाज़ तथा रोज़ा आदि।

## प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः क्या दुआ वंदना का एक भाग है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः निःसंदेह दुआ एक महत्वपूर्ण वंदना एवं उपासना है। जैसा कि अल्लाह तआला ने कहा है: "وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" {अर्थातः और तुम्हारे रब ने कहा: तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ स्वीकार करूँगा। निःसंदेह! जो लोग मेरी इबादत से अभिमान करते हैं, वे जहन्नम में अपमानित होकर प्रवेश करेंगे।} (सूरा ग़ाफिरः 60) और हडीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "الدعاء هو العبادة" {अर्थात : (दुआ ही इबादत है।)} इस हडीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इस्लाम में इसके महत्व का एक प्रमाण यह भी है कि पवित्र कुर्�आन में इसके सम्बन्ध में तीन सौ से अधिक आयतें उतरी हैं। फिर दुआ के दो प्रकार हैं, इबादत पर आधारित दुआ तथा सवाल पर आधारित दुआ। लेकिन, इनमें हर प्रकार की दुआ दूसरे से जुड़ी होई है।

इबादत पर आधारित दुआः इबादत पर आधारित दुआ का मतलब है, किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति अथवा किसी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, केवल अल्लाह के लिए की गयी उपासना को माध्यम बनाकर उसके दर तक पहुँचना। अल्लाह तआला ने "وَدَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَقَطَنَ أَنْ لَنْ تَقْدِيرَ عَلَيْهِ فَنَادَى: فَرَمَّا يَأْتِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، {अर्थात्: तथा मछली वाले नबी को याद करो, जब वो क्रोधित होकर चल दिया और ये समझ बैठा कि हम उसकी पकड़ नहीं करेंगे। अन्ततः उसने अंधेरों में पुकारा कि ऐ अल्लाह, तेरे अतिरिक्त कोई अन्य पूज्य नहीं, तेरी जात पाक है, निश्चय में अत्याचारियों में से था। चुनांचे हमने उसकी दुआ स्वीकार कर ली और उसे दुख से मुक्ति प्रदान कर दी। इसी तरह हम ईमान वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं।} (सूरा अल-अम्बिया: 87-88)

सवाल पर आधारित दुआः सवाल पर आधारित दुआ यह है कि दुआ करने वाला किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति अथवा दुख से छुटकारा पाने की दुआ करे। अल्लाह तआला ने फरमाया: "رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا"

"وَقَاتَ عَذَابَ الْكَارِ" {अर्थातः ऐ हमारे पालनहार, यकीनन हम ईमान लायें। अतः हमारे पापों को क्षमा कर और हमें नरक की अग्नि से बचा।} (सूरा आले-इमरानः 16)

दुआ अपने दोनों प्रकारों के साथ, वंदना व उपासना का निचोड़ और उसका सार है। यह मांगने में सरल, करने में सरल तथा प्रतिष्ठा एवं प्रभाव के ऐतबार से सबसे महत्वपूर्ण है। ये अल्लाह की अनुमति से, नापसन्दीदा वस्तु से बचाव और वांछित वस्तु की प्राप्ति के मज़बूत माध्यमों में से एक है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के निकट किसी कार्य के स्वीकार प्राप्त करने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः किसी भी कार्य के अल्लाह के यहाँ स्वीकृत प्राप्त करने के लिए दो शर्तों का पाया जान अनिवार्य हैः पहली शर्तः उसे केवल अल्लाह के लिए किया जाय। इसकी दलील अल्लाह तआला का यह शुभ उपदेश हैः "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِمَنِ الْدِينَ حُنَفَاءَ" {अर्थातः : उन्हें इसके

सिवाय कोई आदेश नहीं दिया गया है कि केवल अल्लाह तआला की इबादत करें, उसी के लिए धर्म को विशुद्ध करते हुए, बिल्कुल एकाग्र होकर।} (सूरा अल्-बियना: 5) तथा अल्लाह तआला ने फरमाया:

"فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" {अर्थातः: जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो, वो अच्छा कार्य करे और अपने रब की उपासना में किसी को साझी न बनये। (सूरा अल्-कहफः: 110)}

दूसरी शर्तः वह कार्य मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लायी हुई शरीअत के अनुसार हो। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का ये फरमान है: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ" {अर्थातः: ऐ नबी, आप कह दीजिए: यदि तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुमसे मुहब्बत करेगा।} (सूरा आले ईमरानः: 31) तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "مِنْ عَمَلٍ لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ" {अर्थातः : (जिसने कोई ऐसा कार्य किया, जिसका आदेश हमने नहीं दिया है, तो उसका वह कर्म अस्वीकार्य है।) इस हदीस को

मुस्लिम ने रिवायत किया है। यदि अमल (कर्म ) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताये हुए तरीके के अनुसार न हो तो स्वीकार नहीं किया जाता, यद्यपि अमल करने वाला उसे केवल अल्लाह के लिए ही क्यों न करे।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या अमल (कर्म) के बिना नीयत का सही होना काफ़ी है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः नहीं। ये ज़रूरी है कि कार्य निर्मल अल्लाह के लिए होने के साथ-साथ वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत के अनुसार हो। इसकी दलील अल्लाह तआला का ये फ़रमान हैः "فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا": "فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا: " أَر्थातः {जो अपने पालनहार से मिलने की आशा रखता हो, उसे चाहिए कि सत्कर्म करे और अपने पालनहार की वंदना-उपासना में किसी को साझी न बनाये।} (सूरा अल-कहफः 110) अल्लाह ने इस आयत में इबादत के स्वीकार होने के लिए शर्त रखी है कि नीयत सही हो तथा कार्य

पुण्य का हो एवं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व  
सल्लम की शरीअत के अनुसार किया गया हो।

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः तौहीद (एकेश्वरवाद) कितने प्रकार का होता है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिए: यह चार प्रकार का होता है :1-तौहीदे रुबूबीयतः ये इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अल्लाह ही उत्पत्तिकार है, समस्त सृष्टि संचालक है, उसका कोई साझी और सहयोगी नहीं। ये दरअसल अल्लाह को उसके कार्यों में एक मानना है। अल्लाह तआला ने फरमाया: "هُلْ مِنْ خَالِقٍ  
غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ"  
अर्थात्: {क्या अल्लाह के सिवा कोई उत्पत्तिकार है,  
जो तुम्हें आकाश एवं धरती से जीविका देता है?  
उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। फिर तुम कहाँ बहके  
जाते हो?} (सूरा फ़ातिरः 3) एक और स्थान में  
फरमाया: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ"  
अर्थात्: {निःसंदेह,  
अल्लाह ही अन्यदाता, बड़ी शक्ति वाला, जबरदस्त  
है।} (सूरा अज़्-ज़ारियातः 58) तथा अल्लाह तआला  
ने फरमाया: "يَدْبَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ"  
अर्थात्: {वो  
आकाश से धरती तक सनसार के मामलात का

संचालन करता है।} (सूरा अस्-सजदा: 5) तथा  
 अल्लाह तआला ने फरमाया: ﴿لَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾  
 "अर्थात्: {सावधान, उसी की सृष्टि है और  
 उसीका आदेश, बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, जो सारे  
 जहान का पालनहार है।} (सूरा अल्-आराफः 54)

-2 तौहीदे असमा व सिफातः अर्थात् इस बात का  
 पूर्ण विश्वास रखना कि अल्लाह के कुछ अच्छे-  
 अच्छे नाम एवं सम्पूर्ण गुण हैं, जो कुर्�আন तथा  
 सुन्नत से सिद्ध हैं। उनपर विश्वास रखते समय न  
 अवस्था का विवरण किया जाय, न उदाहरण पेश की  
 जाय, न उनमें छेड़-छाड़ की जाय और न उनका  
 इन्कार किया जाय। बल्कि ये विश्वास रखा जाय  
 कि उसके समान कोई वस्तु नहीं। अल्लाह तआला  
 ने फरमाया: ﴿كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾  
 "अर्थात्:  
 {उसके जैसी कोई वस्तु नहीं, वह सुनने और देखने  
 वाला है।} (सूरा अश्-शूरा: 11) तथा एक और स्थान  
 में फरमाया: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾  
 "अर्थात्: {और  
 अल्लाह के अच्छे-अच्छे नाम हैं, तुम उसे उन्हीं के  
 द्वारा पूकारो।} (सूरा अल्-आराफः १८०)

-3तौहीदे उलूहीयतः अर्थात् केवल अल्लाह की उपासना एवं वंदना करना, जो एक है और उसका कोई साझी नहीं। यह दरअसल बन्दों के उपासना-मूलक कार्यों के केवल अल्लाह के लिए समर्पित होने का नाम है। अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَمَا أُمِرْوْا  
 "إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ" अर्थात् : {उन्हें केवल इस बात का आदेश दिया गया था कि अल्लाह की वंदना करें, उसके लिए दीन (धर्म) को निर्मल करते हुए।}

(सूरा अल-बियना: 5) एक और स्थान में फरमाया: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَا فَاعْبُدُونِ" अर्थात्: {हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजे, उनकी ओर यह वहय की कि मेरे अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है, अतः मेरी ही वंदना करो।} (सूरा अल-अम्बिया: 25) ये गणित केवल इल्मी विवरण के लिए है, अन्यथा ये सब कुर्�আন एवं सुन्नत का अनुसरण करने वाले एकेश्वरवादी मोमिन के आस्था से सम्बन्धित वस्तुएं हैं।

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः सबसे बड़ा पाप कौन-सा है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः सबसे बड़ा पाप शिर्क (अनेकेश्वरवाद) है। अल्लाह तआला ने फरमाया: "كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُو اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أَوَّلُهُ الْكَارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ"

**अर्थात्:** {निःसंदेह वे लोग काफिर हो गये, जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह बिन मरयम ही है। जबकि मसीह ने कहा था कि ऐ बनी इसराई, अल्लाह की वंदना करो, जो मेरा और तुम्हारा रब है। निःसंदेह जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ने उसपर जन्नत वर्जित कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है और इन अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं होगा।} (सूरा अल-माइदा: 72) और अल्लाह तआला ने फरमाया: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ" **अर्थात् :** {निःसंदेह, अल्लाह इस बात को क्षमा नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाय, जबकि इसके सिवा अन्य पापों में से जिसके चाहेगा, माफ कर देगा।} (सूरा अन-निसा: 48) अल्लाह

तआला की यह घोषणा कि शिर्क को क्षमा नहीं करेगा, उसके सबसे महा पाप होने का प्रमाण है। इसकी पुष्टि उस हदीस से होती है, जिसमें है कि जब आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो आपने फरमाया: "أَن تجعَلَ اللَّهُ نَدًا وَهُوَ خَلْقُكَ" (अर्थात्: यह कि तुम अल्लाह का साझी बनाओ, जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है।) इस हदीस को बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस में आने वाले शब्द 'निद्व' का अर्थ है: हमसर, बराबर और समतुल्य।

शिर्क (अनेकेश्वरवाद) का अर्थ है: कोई किसी फरिश्ता, रसूल अथवा वली आदि को अल्लाह का साझी, बराबर और समतुल्य बनाये और उसके अन्दर रुकूबीयत के गुणों में से किसी गुण अथवा विशेषता की आस्था, उदाहरणतः उत्पन्न करना, अधिपति होना और संचालन करना आदि, रखे। अथवा उनकी निकटता प्राप्त करने के प्रयास करे और उनको पुकारे, उनसे आशा रखे, भय करे, उनपर भरोसा करे अथवा अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ उनकी ओर अभिरुचि दिखाये एवं उनके लिए

प्रकटित अथवा आतंरिक, शारीरिक अथवा आर्थिक वंदना में से कुछ भी करे।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः शिर्क के कितने प्रकार हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः इसके दो प्रकार हैं:

1. बड़ा शिर्कः बड़े शिर्क से अभिप्राय यह है कि कोई भी वंदना अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए की जाय। उदाहरणतः उसके अतिरिक्त किसी और पर भरोसा करना, मरे हुए लोगों से सहायता माँगना, अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए पशुओं की बलि देना, अल्लाह के अतिरिक्त कीसी अन्य के लिए मन्नत मानना, अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए सज्दा करना एवं अल्लाह के सिवा किसी और से उन मामलों में सहायता माँगना करना जिनमें सहायता करने की शक्ति केवल अल्लाह ही को है। उदाहरणतः अनुपस्थित लोगों अथवा मरे हुए लोगों से सहायता माँगना। दरअसल इस तरह के अज्ञानता के कार्य वही करता है, जो इस बात पर विश्वास रखता है कि अल्लाह के सिवा ये लोग दुआ स्वीकार करते हैं और ऐसे कार्य कर सकते हैं जो

अल्लाह के अतिरिक्त कोई और कर नहीं सकता और इसी आस्था की बिना पर वह उस व्यक्ति के अन्दर रुबूबीयत की विशेषताओं के पाये जाने का अकीदा रखने वाला बन जाता है। यही कारण है कि वह उसके सामने झुकता है, बन्दगी जैसी विनम्रता अपनाता है, फिर उसपर भरोसा करता है, विनती करता है, सहायता माँगता है, पुकारता है और वो चीज़ें माँगता है जो कोई मख्लूक दे नहीं सकती। ये बड़ी आश्चर्य जनक बात है कि किसी ऐसे निर्बल और विवश से फरियाद की जाय जो खुद अपने लिए किसी लाभ-हानि की शक्ति न रखता हो, मृत्यु एवं जीवन तथा पुनः उठाने का मालिक न हो। भला जो अपनी किसी विपत्ति को टाल न सके वो दूसरे को विपत्ति से मुक्ति केसे दिला सकता है? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई डूबने वाला दूसरे डूबने वाले से सहायता माँगे। अल्लाह पवित्र है, आदमी की कैसी मत मारी जाती है कि इस तरह का शिर्क करता है, जबकि ये शरीअत के विपरीत है, समझ के खिलाफ है तथा ज्ञान के विरोध है।

2. छोटा शिर्क: जैसे थोड़ी-सी रियाकारी (दिखावा)।  
उदाहरणतः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व

سَلْلَمَ كَيْمَنْ مَنْ هُوْ؟ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ" (أَرْثَى تَعْرِيفَةً) الشَّرِيكُ الْأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ قَالَ: الرَّيَاءُ" (अर्थातः मुझे तुमपर जिस चीज़ का सबसे अधिक डर है, वो छोटा शिर्क है। जब आपसे उसके बारे में पूछा गया तो फरमाया: इस से अभिप्राय दिखावा है। इसका एक अन्य उदाहरण अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की क़सम (सौगंध) खाना है। अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (जिसने अल्लाह के अलावा किसी अन्य की सौगंध उठाई, उसने शिर्क किया अथवा कुफ़्र किया। इस हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः कुफ़्र के कितने प्रकार हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः इसके दो प्रकार हैं,

1. बड़ा कुफ़्रः ये कुफ़्र मनुष्य को इस्लाम से निकाल देता है। ये वो कुफ़्र हैं, जो असल दीन (धर्म) से टकराता हो। जैसे कोई अल्लाह, उसके धर्म अथवा उसके संदेष्टा को गाली दे या धर्म एवं शरीअत से जुड़ी हुई किसी वस्तु का मज़ाक़ उड़ाये अथवा

अल्लाह की किसी सूचना, आदेश अथवा मनाही का खंडन करे, अतः अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई किसी बात को झुठला दे या किसी ऐसी चीज़ का इन्कार कर दे, जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों पर अतिवार्य किया है अथवा अल्लाह और उसके रसूल द्वारा हराम (वर्जित) की गयी किसी वस्तु को हलाल कर ले। अल्लाह तआला ने फरमाया: "فُلْ أَبِاللَّهِ وَلَيَاٰتِهِ" وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ" {अर्थात्: क्या अल्लाह, उसकी निशानियों और उसके रसूल का तुम मज़ाक उड़ाते थे? अब बहाने मत गढ़ो, तुमने ईमान लाने के पश्चात् कुफ़ किया है।} (सूरा तौबा: 64-66)

2. छोटा कुफ़: यह ऐसा कुफ़ है, जिसे शरई प्रमाण ने तो कुफ़ कहा है, परन्तु बड़ा कुफ़ नहीं। इसे 'नेमत का कुफ़' अथवा 'छोटा कुफ़' कहा जाता है। जैसे मुसलमान से लड़ाई करना, अपने वंशावली से बरी हो जाना, मुर्द पर शोकालाप करना आदि जाहिलीयत के जमाने के कार्य। अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقَتَالٌ" कुफ़ (अर्थात्: मुसलमान को गाली देना पाप है

और उससे लड़ाई करना कुफ़्र है।) इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। एक और हदीस में है कि आपने फरमाया: "الثُّنَانُ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفَّرٌ: الطَّعْنُ" (أَرْثَى تَطْعِينُ الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ) (अर्थात्: लोगों की दो बातें कुफ़्र में शामिल हैं, वंश पर ताना देना और मुर्दे पर शोकालाप करना।) इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये सारे कार्य यद्यपि इस्लाम से निकालने वाले नहीं हैं, किन्तु महा पापों में से हैं। अल्लाह की पनाह!

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः निफाक़ (वैमनस्य) के कितने प्रकार हैं?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः निफाक़ के दो प्रकार हैं, बड़ा निफाक़ और छोटा निफाक़।

बड़ा निफाक़: अर्थात् ईमान प्रकट करना और कुफ़्र छुपाना। निफाक़ के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं, इस्लाम से द्वेष, उसकी सहायता से पीछे हटना, उसके मानने वाले मुसलमानों से शत्रुता रखना तथा उनसे युद्ध करने और उनके धर्म में बिगाड़ पैदा करने के प्रयास में रहना।

छोटा निफाकः अर्थात् दिल में कुफ़ तो न हो, परन्तु काम मुनाफ़िकों जैसा करे। जैसे आदमी बात करे, तो झूट बोले, वादा करे तो तोड़ दे और उसके पास अमानत रखी जाय तो ख्यानत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: ﴿المنافقُ ثلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُوْتِمَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ﴾  
 (अर्थात्: मुनाफ़िक की तीन निशानियाँ हैंः जब बात करे तो झुठ बोले, उसके पास कोड धरोहर रखी जाय तो ख्यानत (गबन) करे और वचन दे तो तोड़ डाले।)  
 इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः इस्लाम की सीमा से बाहर निकालने वाली वस्तुएं क्या-क्या हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः अरबी शब्द 'अन्-नाकिज़' का अर्थ है, निष्फल एवं बेअसर करने वाला तथा बिगाड़ने वाला कि जब किसी वस्तु पर तारी हो जाय, उसे निष्फल और बेअसर कर दे और बिगाड़ दे। उदाहरणतः 'नवाकिज़े वजू' अर्थात् वो कार्य जिनके करने से वजू टूट जाता है और पुनः वजू करना ज़रूरी हो जाता है। इसी प्रकार 'नवाकिज़े

इस्लाम हैं, अर्थात् ऐसे कार्य जिनके करने से भक्त का इस्लाम बेकार हो जाता है और वो इस्लाम की सीमा से निकलकर कुफ़ में प्रवेश कर जाता है। उलमा ने ऐसी बहुत-सी बातें प्रस्तुत हैं, जिनके करने से मनुष्य अपने दीन से वंचित हो जाता है और उसके जान एवं माल हलाल हो जाते हैं। परन्तु इनमें से दस वस्तुएं ऐसी हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, अन्य चीज़ों के मुकाबले में ज्यादा देखने को मिलती हैं और उनपर सारे उलमा एकमत हैं। इस्लाम को तोड़ने वाली ये दस चीज़ें इस प्रकार हैं: पहली वस्तु: अल्लाह की वंदना में किसी अन्य को साझी बनाना। अल्लाह तआला ने फरमाया: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ {अर्थात्: अल्लाह इस बात को क्षमा नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को साझी किया जाय, जबकि इसके सिवा अन्य पाप जिसके चाहेगा, क्षमा कर देगा।} (सूरा अन-निसा: 116) तथा एक अन्य स्थान में फरमाया: ﴿إِنَّمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ {अर्थात्: निःसंदेह, जो किसी को अल्लाह का साझी बनायेगा, अल्लाह ने उसपर जन्नत वर्जित कर दी है और उसका ठिकाना नरक है और इन

अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं होगा।} (सूरा  
अल-माइदा:72) इसके अन्य उदाहरण कुछ इस प्रकार  
हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना, उनसे  
सहायता अथवा शरण माँगना, उनके लिए मन्नत  
मानना तथा पशुओं की बलि देना आदि उदाहरणतः  
कोई जिन्न, कब्र अथवा जीवित अथवा मृत वली के  
लिए भलाई प्राप्त करने अथवा विपत्ति से बचाव  
की नीयत से बलि चढ़ाये उदाहरणतः कुछ जाहिल  
लोग करते हैं, जो कुपथ और मक्कार लोगों की झूठी  
बातों और संदेहों के धोखे में पड़े हुए हैं।

दूसरी वस्तुः इस्लाम की सीमा रेखा से बाहर करने  
वाली दूसरी वस्तु यह है कि मनुष्य अपने और  
अल्लाह के बीच कुछ माध्यम (वसीले) बनाकर उन्हें  
पुकारे, शिफारिश तलब करे तथा इस लोक एवं प्रलोक  
में वांछित वस्तुओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए  
उन्हीं पर भरोसा करे। ऐसे व्यक्ति के काफिर होने  
पर उलमा एकमत हैं। अल्लाह तआला ने  
फरमाया: "فِلْ إِنَّمَا أَذْعُونَ رَبِّيْ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا" {अर्थातः आप  
कह दीजिए कि मैं अपने रब को पुकारता हूँ और

उसका किसी को साझी नहीं बनाता।} (सूरा अल-जिन्न:20)

तीसरी वस्तुः यदि कोई मुसलमान मुश्किले (अनेकेश्वरवादियों) को काफिर न समझे, उनके कुफ्र में संदेह जताये अथवा उनके धर्म को सही बताये, तो वो काफिर है। अल्लाह तआला ने फरमाया:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَّىْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْمَسَارِيَ الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

{अर्थात्: तथा यहूदियों ने कहा कि उज्जैर अल्लाह के बेटे हैं एवं ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुँह से निकली हुई बातें हैं। दरअसल ये इससे पहले गुज़रे हुए काफिरों जैसी ही बातें कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें नाश करे, ये कहाँ बहके जा रहे हैं?} (सूरा अत्-तौबा: 30) क्योंकि कुफ्र से सहमत होना भी कुफ्र है तथा इस्लाम का दावा उसी वक्त सही हो सकता है, जब आदमी 'तागूत' का इन्कार करे; इस आस्था के साथ कि इस्लाम के सिवा अन्य सभी धर्म असत्य हैं। फिर यथासम्भव उनसे नफरत करे, उन धर्मों तथा उनके मानने वालों से बरात की घोषणा करे तथा जिहाद करे।

चौथी वस्तुः जो ये विश्वास रखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अलावा किसी और का तरीका अधिक सम्पूर्ण है, या आपके अलावा किसी अन्य का निर्णय अधिक तर्कसंगत है, वो काफिर है। जैसे कोई अल्लाह के अलावा किसी और के निर्णयों, मानव निर्मित संविधानों तथा किसी इन्सान के आदेश को अल्लाह और उसके रसूल के निर्णयों और आदेशों पर प्रधानता दे। अल्लाह तआला ने फरमाया: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُلِيلًا" [अर्थातः तेरे पालनहार की सौगंध, ये मोमिन नहीं हो सकते, यहाँ तक कि अपने मतभेदों में आपको मध्यस्त मान लें, फिर आपके निर्णय पर अपने दिल में किसी प्रकार की तंगी न पायें और खुशी-खुशी मान लें।] (सूरा अन-निसा: 65) जो व्यक्ति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सही सुन्नत से अवगत होने के बावजूद पीरों तथा फ़कीरों के पंथों और आडंबरों को अपनाये, उसके काफिर होने पर सारे उलमा एकमत हैं।

पाँचवीं वस्तुः जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लायी हुई किसी भी वस्तु से शत्रुता रखे, वो काफिर है, यद्यपि वो उसपर अमल कर रहा हो।

اَلِلَّهُ يَأْنَهُمْ كَرِهُوا مَا اُنزَلَ اللَّهُ بِالْحَبَطَ أَعْمَالَهُمْ"

{अर्थात्: ऐसा इसलिए है कि उन्होंने उस चीज़ को नापसन्द किया, जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो अल्लाह ने उनके कर्म अकारथ कर दिये।}

(सूरा मुहम्मदः 9)

छठी वस्तुः जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लाये हुए धर्म की किसी भी वस्तु का मज़ाक उड़ाये, वो काफिर है। जैसे कोई आपके किसी आदेश, शरई निर्णय, सुन्नत अथवा आपके द्वारा दी हुई सूचना का मज़ाक उड़ाये, अथवा अल्लाह की ओर से आजाकारियों को मिलने वाली नेमतों अथवा अवजाकारियों को मिलने वाली यातना का परिहास करे, जिनकी सूचना सवयं अल्लाह अथवा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी है। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का ये कथन है:

"قُلْ أَبِلَّ اللَّهِ وَآتَاهُ: وَأَيَّاتِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ"

{अर्थात्: क्या तुम अल्लाह, उसकी निशानियों और

उसके रसूल का मज़ाक़ उड़ाया करते थे?} (सूरा अत्तौबा: 65-66)

सातवीं वस्तुः जादू जिसके लिए जिन्नों और शैतानों का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें साझी बनाना पड़ता है तथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कुफ्र पर आधारित कार्य करने पड़ते हैं। इसके द्वारा इन्सान की ज्ञानेद्वियों तथा हृदय को प्रभावित भी किया जा सकता है। जादू करने वाला तथा उससे सहमत होने वाला काफिर है। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का ये कथन है: "وَمَا يُعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا: نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُنْ فُرْ" {अर्थातः वे दोनों किसी को उस समय तक जादू नहीं सिखाते थे, जब तक यह न कह देते कि हम केवल एक आज़माइश हैं, अतः तू (जादू सीख कर) कुफ्र में न पड़।} (सूरा अल-बकरा: 102)

आठवीं वस्तुः मुसलमानों के विरुद्ध मुश्किलों का साथ देना और उनकी सहायता करना। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का ये कथन है: "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" {अर्थातः तुम्हें से जो व्यक्ति उनसे दोस्ती करता है, उसकी गिनती उन्हीं

में से है और अल्लाह अत्याचारी समुदायों को पथप्रदर्शन नहीं करता ।} (सूरा अल-माइदा: 51)

नौरीं वस्तुः जो व्यक्ति ये विश्वास रखे कि कुछ लोगों के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से निकलने की गुन्जाइश है, जैसा कि खिज्र अलैहिस्सलाम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत से निकलने की गुन्जाइश थी, तो वो काफिर है। क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया है: "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيَنًا فَلْنَ يُفْلِمَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" {अर्थात्: तथा जो इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्म ढूँढ़ेगा, उसकी ओर से इसे कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा वो प्रलोक में हानि उठाने वालों में से होगा।} (सूरा आले-इमरान: 85)

दसवीं वस्तुः अल्लाह के दीन (धर्म) से मुँह मोड़ना। अतः उसे सीखे न ही उसपर अमल करे। इस का प्रमाण अल्लाह तआला का यह कथन है: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ" {अर्थात्: उससे बड़ा अत्याचारी और कौन हो सकता है, जिसे हमारी आयतों की याद दिलायी जाय, इसके बावजूद मुँह फेर ले। निश्चय हम अपराधियों से

बदला लेने वाले हैं।} (सूरा अस्-सजदा: 22) जात हो कि अल्लाह के दीन (धर्म) से मुँह फेरने का तात्पर्य यह है, धर्म के उन मूल सिद्धांतों का जान अर्जन न करना, जिनका जानना अनिवार्य है और जिनके जाने बिना धर्म सही नीव पर खड़ा नहीं हो सकता।

इस्लाम से बाहर कर देने वाली इन वस्तुओं के उल्लेख के बाद बेहतर मालूम होता है कि दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं को चिह्नित कर दिया जाय:

(1) इस्लाम की सीमा रेखा से बाहर कर देने वाली इन वस्तुओं का वर्णन इसलिए किया गया है, ताकि मनुष्य इनसे बचे और लोगों को सावधान रखे। क्योंकि शयतान और उसके सहायक, जिनका मिशन धर्म में बिगड़ पैदा करना और लोगों को कुर्मार्ग करना है, मुसलमानों की घात में लगे रहते हैं; जैसे ही उनमें से किसी को अचेतना अथवा अज्ञानता का शिकार पाते हैं तुरंत टूट पड़ते हैं और उसे सत्य से असत्य की ओर मोड़ने तथा जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पर लगाने के प्रयास में जुट जाते हैं।

(2) इस्लाम की सीमा रेखा से बाहर करने वाले इन उम्र को लागू करने का काम पुख्ता इल्म वाले उलमा का है। क्योंकि वही दलीलों तथा लोगों पर अहकाम को लागू करने के सिद्धांतों से अवगत हैं। जिस-तिस को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या किसी मुसलमान पर जन्नती अथवा दोज़खी होने का निर्णय लिया जा सकता है?**

उत्तर/ तो कहा जायेगा: जिनके बारे में शरई प्रमाण मौजूद है, उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जन्नती अथवा जहन्नमी होने का हुक्म नहीं लगाया जायेगा। परन्तु सत्कर्मों के लिए सवाब की आशा रखी जायेगी और कुकर्मा पर यातना का भय किया जायेगा। हम कहेंगे: ईमान के साथ मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी जन्नत में जायेगा और शिर्क तथा कुफ्र पर मरने वाले हर व्यक्ति का ठिकाना जहन्नम है और ये बुरा ठिकाना है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या किसी मुसलमान के गुनाहगार (पापी) होने के कारण उसे काफिर कहा जा सकता है?**

उत्तर/ तो कहा जायेगा: किसी मुसलमान के गुनाह में लिप्त होने और अवज्ञा के कारण उसे काफिर नहीं कहा जा सकता, यद्यपि वो बड़े गुनाहों में ही क्यों न पड़ा हो, जब तक वो कोई ऐसा काम न करे, जिसे किताब तथा सुन्नत में कुफ्र कहा गया हो तथा सहाबा एवं इमामों ने उसे इस्लाम की सीमा से निकालने वाला काम कहा हो। वो जब तक बड़े कुफ्र, बड़े शिर्क अथवा बड़े निफाक में न पड़े, अपने ईमान पर बाह्री रहेगा और अवज्ञाकारी एकेश्वरवादी कहलायेगा।

**प्रश्न/** जब आपसे कहा जायः क्या ज़बान के फिसलने से एवं भूलवश निकली हुई बूरी बातें तौहीद को प्रभावित करती हैं और क्या उनके कहने से आदमी सीधे मार्ग से हट जाता है अथवा वे छोटे गुनाहों में गिने जाते हैं?

**उत्तर/** ज़बान का मामला बड़ा कठिन है। एक शब्द से आदमी इस्लाम में प्रवेश करता है और एक शब्द से निकल भी जाता है। अल्बत्ता, ज़बान की लग़िज़िशें अलग-अलग प्रकार की होती हैं। कुछ लग़िज़िशों में कुफ़्र वाले ऐसे शब्द होते हैं, जो ईमान को नष्ट और सद्कर्मों को नष्ट कर देते हैं। उदाहरणतः अल्लाह अथवा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देना या ऐसे शब्द जो सम्मानित लोगों तथा अवलिया (निकटवर्ती भक्तों) को रुबूबीयत की विशेषतायें प्रदान करते हैं एवं उनसे मदद माँगने और उनकी ओर भलाई की निस्बत का अर्थ देते हैं। जबकि कुछ लग़िज़िशों में उनकी प्रशंसा के ऐसे शब्द होते हैं, जिनमें अति सीमा तक प्रशंसा होती है, उन्हें मानव-जाति से परे गुणों एवं विशेषताओं वाला

बताया जाता है, उनकी क़सम खायी जाती है एवं शरीअत तथा उसके निर्देशों का मज़ाक उड़ाया जाता है। जबकि कुछ शब्द अल्लाह के शरई निर्देशों से असहमति तथा तकदीर के उन फैसलों से मतभेद के होते हैं, जो शरीर, धन-माल एवं बाल-बच्चों आदि पर विपत्ति के रूप में सामने आते हैं, जिनसे इन्सान को दुख होता है।

ईमान को हानि पहुँचाने वाले और कम करने वाले महा पापों में से ग़ीबत और चुगलखोरी भी हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और हर ऐसे शब्द से ज़बान को बचाना चाहिए जो अल्लाह की शरीअत तथा उसके रसूल की सुन्नत के विरुद्ध हो। अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने فरमाया: "إِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بِالْأَلْأَمْ" يرفعهُ اللَّهُ بِهَا درجاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بِالْأَلْأَمْ" (अर्थात्: बन्दा अल्लाह को प्रसन्न करने वाला कोई शब्द कहता है और उसपर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अल्लाह उसके कारण उसके दर्जों को बढ़ा देता है। इसी तरह बन्दा अल्लाह को क्रोधित करने वाला कोई शब्द कहता है और

उसपर ध्यान नहीं देता, किन्तु उसके कारण जहन्नम में गिर जाता है।) इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः मोमिन के कर्मों की कड़ी कब समाप्त होती है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः मोमिन के कर्मों की कड़ी मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होती है। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का ये कथन हैः "وَاعْبُدْ رَبَّكَ" {अर्थातः तथा अपने पालनहार की वंदना करते रहो, यहाँ तक कि यकीन (मृत्यु) आ जाय।} (सूरा अल-हिज्रः 99) यहाँ यकीन से आशय मृत्यु है। क्योंकि एक हदीस में है कि जब उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत आ गयी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः (जहाँ तक उस्मान की बात है, तो अल्लाह की क़सम, उसके पास 'यकीन' आ गया है।) इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। यहाँ 'यकीन' मृत्यु के अर्थ में ही है, इसका एक प्रमाण ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने जीवन काल में कर्मों की कड़ी को कभी रुकने नहीं

दिया। यहाँ यक्कीन का अर्थ ईमान का कोई दर्जा नहीं है कि जिसके प्राप्त हो जान के बाद मोमिन को अमल (कर्म) की आवश्यकता नहीं रह जाती हो, जैसा कि कुछ सीधे मार्ग से भटके हुए लोग कहते हैं।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आकाशों तथा  
धरती एवं उनके बीच मौजूद समस्त  
वस्तुओं का संचालक कौन है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः आकाश एवं धरती तथा उनमें मौजूद एवं उनके बीच उपस्थित सारी चीज़ों को चलाने वाला, एकमात्र अल्लाह है। वह अकेला है। उसका कोई साझी नहीं। उसके अतिरिक्त कोई मालिक नहीं। उसका कोई साझी एवं सहयोगी नहीं। वो पवित्र है। सारी प्रशंसाएं उसी की हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया: *قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ بَلَى* {अर्थातः आप कह दीजिएः उन लोगों को बुला लो, जिन्हें तुमने अल्लाह के सिवा साझी समझ रखा है, वे आसमानों और ज़मीन में कण बराबर वस्तु के भी मालिक नहीं हैं। न उन

दोनों में उनकी कोई साझेदारी है और न उनमें से कोई अल्लाह का सहायक है।} (सूरा सबा: 22)

**प्रश्न/** जब आपसे कहा जायः उन लोगों का क्या हुक्म है, जो विश्वास रखते हैं कि इस सृष्टि को चार अथवा सात 'कुतुब' चला रहे हैं, या कुछ ऐसे 'गौस' और 'अवताद' हैं, जिनसे अल्लाह की बजाय अथवा अल्लाह के साथ कुछ माँगा जा सकता है?

**उत्तर/** तो आप कह दीजिएः जिसने ये आस्था रखा, उसके काफिर होने पर उलमा एकमत हैं। क्योंकि उसने रुबूबीयत के मामले में अल्लाह के साझी मौजूद होने का अक्रीदा रखा है।

**प्रश्न/** जब आपसे कहा जायः क्या 'अवलिया' गैब (परोक्ष) की बातें जानते हैं और मरे हुए लोगों को जीवित कर सकते हैं?

**उत्तर/** तो आप कह दीजिएः अल्लाह के सिवा न कोई गैब (परोक्ष) जानता है और न मरे हुए लोगों

को जीवित कर सकता है। इसका प्रमाण अल्लाह  
 तआला का ये कथन है: "وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَنْكِرُتُ"  
 {अर्थात्: तथा यदि मैं गैब  
 (परोक्ष) की बातें जानता होता, तो बहुत-से लाभ  
 प्राप्त कर लेता और मुझे कोई हानि नहीं पहुँचती।}  
 (सूरा आराफः 188) जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु  
 अलैहि व सल्लम, जो मानव जाति में श्रेष्ठ थे, गैब  
 की बात नहीं जानते थे, तो आप को छोड़ अन्य लोग  
 भला कैसे जान सकते हैं?

चारों इमाम इस बात पर एकमत हैं कि रसूलुल्लाह  
 सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में गैब  
 जानने अथवा मरे हुए लोगों को जीवित करने का  
 दावा करने वाला इस्लाम से निकल जाता है। क्योंकि  
 उसने अल्लाह को झुठलाया, जिसने अपने रसूल को  
 ये आदेश दिया था कि जिन्नों तथा इन्सानों से कह  
 दें, "قُلْ لَا أَفُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَفُولُ"  
 {अर्थात्: आप कह दें,  
 मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने  
 हैं, और न मैं गैब (परोक्ष) जानता हूँ, तथा मैं तुमसे  
 ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो उसी का

अनुसरण करता हूँ जो मेरी तरफ वह्य की जाती है।} (सूरा अल-अन्झामः 50) तथा अल्लाह तआला ने "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمٌ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ<sup>: مَا</sup> إِلَيْهِ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَاقَ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا يَأْتِي أَرْضٌ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ" {अर्थात्: निःसंदेह अल्लाह के पास प्रलय का ज्ञान है, वही वर्षा उतारता है, तथा वही जानता है कि गर्भाशयों में क्या है तथा कोई प्राणी ये नहीं जानता कि कल क्या कमायेगा और न कोई प्राणी ये जानता है कि धरती के किस भाग में मरेगा। निःसंदेह, अल्लाह जानने वाला और खबर रखने वाला है।} (सूरा लुक्मानः 34) चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गैब (परोक्ष) की बातें उतनी ही जानते थे, जितनी अल्लाह ने वह्य द्वारा बतायी और सिखायी थी। साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी, अपने जीवन काल में मरने वाले किसी साथी या संतान-संतति को जीवित करने का दावा भी नहीं किया है। एवं दूसरों को जीवित करने की बात कैसे की जा सकती है?

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या 'वली'  
होने का सौभाग्य केवल कुछ ही मोमिनों को  
प्राप्त होता है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः हर आजाकारी एवं  
परहेज़गार बन्दा अल्लाह का वली है। इसका प्रमाण  
अल्लाह तआला का ये कथन हैः **أَلَا إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا يَخْوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْرُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقَبَّلُونَ** {अर्थातः:  
सुन लो, वास्तविकता ये है कि अल्लाह के अवलिया  
को न कोई डर होता है और न वे दुखी होते हैं। जो  
ईमान लाये तथा आजाकारी किया करते थे।) (सूरा  
यूनुसः 62-63) वली बनने का सौभाग्य कुछ विशेष  
मोमिनों को प्राप्त हो, शेष को नहीं, ऐसा नहीं है।  
परन्तु वलायत की अलग-अलग श्रेणियाँ होती हैं।  
'तक़वा' से आशय है, अल्लाह और उसके रसूल ने  
जिन कार्यों का आदेश दिया है, उन्हें करना और  
जिन कार्यों से रोका है, उनसे रुक जाना। इस प्रकार  
प्रत्येक मोमिन को अपने ईमान एवं आजाकारी के  
मुताबिक विलायत प्राप्त होती है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या अल्लाह  
तआला का फरमानः {सुन लो, अल्लाह के  
अवलिया को न कोई भय होगा और न वे  
दुःखी होंगे।} अवलिया को पुकारने की वैधता  
प्रदान करता है?**

**उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ये आयत अवलिया को  
पुकारने और उनसे सहायता अथवा शरण माँगने को  
वैध करार नहीं देती। इसमें केवल उनके पद एवं  
सम्मान को बयान किया गया है कि उन्हें इस लोक  
एवं प्रलोक में कोई भय होगा, न प्रलोक में कोई  
दुख। इसमें एक तरह से अल्लाह को हर प्रकार से  
एक मानकर और उसकी तथा उसके रसूल की  
आजाकारी करके विलायत का दर्जा प्राप्त करने की  
प्रेरणा दी गयी है, ताकि अल्लाह के इस कथन में  
मौजूद शुभ सूचना को प्राप्त किया जा सके: لَا خَوْفٌ  
"عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون् {अर्थातः उन्हें न कोई भय होगा  
और वे दुखी होंगे।} जबकि अल्लाह के अलावा अन्य  
को पुकारना शिर्क है, जैसा कि पीछे गुज़र चुका है।**

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या नबियों  
के अतिरिक्त अन्य अवलिया छोटे-बड़े  
गुनाहों से पाप रहित हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः नबियों को छोड़ अन्य औलिया छोटे-बड़े गुनाहों से पवित्र नहीं होते। देखा गया है कि कई बड़े औलिया और सत्कर्मियों से भी कुछ लगिजर्शें हुई हैं, परन्तु उनकी विशेषता ये होती है कि वे तुरंत तौबा और अल्लाह कि निकटता प्राप्त करने के प्रयास में लग जाते हैं और फलस्वरूप अल्लाह भी उन्हें माफ़ कर देता है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या ख़ज़िर  
अलैहिस्सलाम जीवित हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः सही बात ये है ख़ज़िर भी एक नबी थे, जो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले मर चुके थे। क्योंकि अल्लाह तआला ने कहा हैः "وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ" {أَفَإِنْ مِّتَ فَهُمُ الْأَنْدُون} [37] अर्थातः हमने आपसे पहले किसी इन्सान को हमेशा नहीं रखा, क्या यदि आप मर जाते हैं, तो वे हमेशा जीवित रहेंगे?} (सूरा अल-

अम्बिया: 34) फिर यदि वो जीवित होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण और आपके साथ जिहाद करते। क्योंकि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिन्न एवं इन्सान दोनों समुदायों की ओर नबी बनाकर भेजे गये थे। **أَلْلَاهُ تَعَالٰى قُلْ يٰ أَيُّهَا النَّاسُ** "अल्लाह तआला ने फरमाया: (ऐ नबी) आप कह दीजिए: ऐ लोगो, मैं तुम सब की ओर रसूल बनाकर भेजा गया हूँ।" (सूरा अल-आराफः 158 (तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "أَرَأَيْتُمْ لِي لِتَكُمْ هَذِهِ فِي إِنْ رَأْسِ مَثَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَقِنُ مَنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ") अर्थातः क्या तुमने आज की इस रात को देखा, इसके पूरे सौ साल के बाद धरती के ऊपर मौजूद लोगों में से कोई जीवित नहीं रहेगा।) इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। इस हदीस से पता चलता है कि खजिर मर चुके हैं। अतः वो न किसी की पुकार सुनते हैं और न रास्ते से भटके हुए आदमी को राह दिखाते हैं। जहाँ तक उनसे कुछ लोगों की मुलाकात, उन्हें देखने, उनके पास बैठने और उनसे रिवायत करने की कहानियों की बात है,

तो ये सब अम और असत्य बातें हैं। जान, बुद्धि एवं समझ-बूझ वाले लोग कभी इनसे नाता नहीं रखते।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या मरे हुए लोग सुन सकते हैं अथवा पुकारने वालों की पुकार का उत्तर दे सकते हैं?**

**उत्तर/** तो आप कह दीजिएः मरे हुए लोग सुनते नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَمَا أَنْتَ"  
"}**अर्थातः** निःसंदेह आप उन्हें सुना नहीं सकते, जो कब्रों में हैं।} (सूरा फातिरः 22) तथा एक और स्थान में फरमाया: "إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى"  
"}**अर्थातः** निःसंदेह आप मरे हुए लोगों को सुना नहीं सकते।} (सूरा अन्-नम्लः 80) इसी प्रकार वे पुकारने वाले की पुकार नहीं सुनते। अल्लाह तआला ने "وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، إِنْ: تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ زِيَادَةٍ بَعْدَ حِبْرٍ"  
"}**अर्थातः** जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो खजूर की गुठली के छिल्के के भी मालिक नहीं हैं। यदि तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार सुन नहीं सकते,

और यदि सुन भी लें तो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते। तथा प्रलय के दिन वे तुम्हारे शिर्क का इन्कार कर देंगे। वस्तु-स्थिति की ऐसी सही खबर तुम्हें एक खबर रखने वाले के सिवा कोई नहीं दे सकता} (सूरा फ़ातिर: 13-14) तथा अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَمَنْ أَصْلَلَ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ" {अर्थात्: कुमार्ग कौन हो सकता है, जो अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को पुकारे, जो प्रलय दिवस् तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते, और वे उनकी पुकार से अचेत हों।} (सूरा अल-अहङ्काफः 5)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः उस आवाज़ का क्या हुक्म है, जो कभी-कभी कुछ ऐसे मरे हुए लोगों के पास सुनी जाती है, जिनका अज्ञान लोग सम्मान करते हैं?**

**उत्तर/** तो आप कह दीजिएः ये जिन्नों में से शैतानों की आवाजें हैं, जो अज्ञान लोगों को इस भ्रम में डालने के प्रयास में रहते हैं कि ये क़ब्र में मद्फून व्यक्तियों की आवाज़ है, ताकि उन्हें आज़माइश में

डाल सकें, उनके धर्म में संदेह पैदा कर सकें और उन्हें कुमार्ग कर सकें। जबकि कब्रों में मौजूद लोग न सुन सकते हैं और न पुकारने वालों का जवाब दे सकते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से कुर्�आन से सिद्ध है।

اللَّهُ أَنْكَرَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

{अर्थातः :संदेह आप मरे हुए लोगों को सुना नहीं सकते।} (सूरा अन्-नम्लः 80) तथा एक जगह

فَرَمَّاَهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ

{अर्थातः यदि तुम उन्हें पुकारोगे, तो वे तुम्हारी फरियाद सुन नहीं सकते।} (सूरा फ़ातिरः 14) तथा एक जगह

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ

{अर्थातः आप ऐसे लोगों को सुना नहीं सकते जो कब्रों में पड़े हुए हों।} (सूरा फ़ातिरः 22) भला जवाब देंगे भी तो कैसे, वे तो बरज़खी जीवन में होते हैं, उनका दुनिया वालों से कोई सम्पर्क नहीं होता। अल्लाह तआला ने फरमाया:

وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

{अर्थातः वे उनकी पुकार से अचेत हैं।} (सूरा अल्-अह़क़ाफः 5)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या मरे हुए 'अवलिया' तथा दूसरे लोग फ़र्याद करने वालों की फ़र्याद सुनते हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः वे पुकारने वाले को जवाब नहीं देते तथा पुकारने वालों और सहायता माँगने वालों का जवाब देने की शक्ति भी नहीं रखते। अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَأَوْ سِمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ" {अर्थात्: {जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो खजूर की गुठली के छिल्के के भी मालिक नहीं हैं। यदि तुम उन्हें पुकारो, तो वे तुम्हारी पुकार सुन नहीं सकते, और यदि सुन भी लें तो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते। तथा प्रलय के दिन वे तुम्हारे शिर्क का इन्कार कर देंगे।} (सूरा फ़ातिरः13-14) वो व्यक्ति बड़ा ही अभागा है, जिसे शैतान तथा गुमराही के प्रचारकों ने धोखे में डाल दिया और मरे हुए तथा कब्ज में मौजूद नबियों, वलियों एवं सत्कर्मियों को पुकारने को सुन्दर बनाकर पेश किया। अल्लाह तआला ने फरमाया है: "وَمَنْ أَصْلَلَ مِنْ يَدِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ"

"إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِيهِمْ غَافِلُونَ" {अर्थातः उससे बड़ा कुमार्ग कौन हो सकता है, जो अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को पुकारे जो प्रलय के दिन तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और वे उनकी पुकार से बेखबर हों।} (सूरा अल-अह्काफः ५)

**प्रश्न/** फिर जब आपसे कहा जायः अल्लाह तआला के कथनः "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلٍ" {अर्थातः जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये, उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वे जीवित हैं, अपने रब के पास जीविका दिये जा रहे हैं।} (सूरह आले-इमानः 169) में 'जीवित' से क्या अभिप्राय है?

**उत्तर/** तो आप कह दीजिएः इस आयत में 'जीवित' से तात्पर्य यह है कि वे नेमतों वाली बरज़खी ज़िन्दगी जी रहे हैं, जो सांसारिक जीवन की तरह नहीं है। क्योंकि शहीदों के प्राणों को जन्नत में नेमतों से सम्मानित किया जाता है। यही कारण है कि अल्ला तआला ने फरमाया: "عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

{अर्थात्: वे अपने पालनहार के पास जीविका दिये जाते हैं।} इस तरह वे दूसरी दुनिया में होते हैं, उनकी वहाँ की ज़िन्दगी और परिस्थितियाँ यहाँ के जीवन और परिस्थितियों के समान नहीं हैं। चुनांचे वे पुकारने वाले की पुकार नहीं सुनते और न उनका जवाब देते हैं, जैसा कि पीछे कई आयतों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए इन दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। इसीलिए आयत में है: {उन्हें रोज़ी (जीविका) दी जाती है।} ये नहीं है कि: {वे रोज़ी देते हैं।}

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के सिवा किसी और की निकटता प्राप्त करने के लिए पशुओं की बलि देना कैसा है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिए: ये बड़ा शिर्क है। क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاخْرُ" {अर्थात्: आप अपने पालनहार के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए।} (सूरा अल-कौसर: 2) तथा फरमाया: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،" "لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" {अर्थात्: ऐ नबी, आप कह दीजिए: निसंदेह, मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी

(बलि), मेरा जीना एवं मेरा मरना अल्लाह के लिए है, जो सारे जहाँ का पालनहार है। उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसीका आदेश दिया गया है और मैं सबसे पहला आजाकारी हूँ।} (सूरा अल-अन्झाम: 162-163) तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "لَعْنُ اللَّهِ مِنْ ذَبْحٍ لِغَيْرِ اللَّهِ" (अर्थात्: अल्लाह की लानत हो उस व्यक्ति पर जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए बलि दे।) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

सिद्धांत ये है कि जिस कार्य को अल्लाह के लिए करना वंदना है, उसे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए करना शिर्क है।

**प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जायः अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए मन्नत मानने का क्या हुक्म है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ये बड़ा शिर्क है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يطِيعَ اللَّهَ فَلَا يطِيعُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهُ" (अर्थात्: (जो अल्लाह की आजाकारी की

मन्नत माने उसे चाहिए कि उसका पालन करे तथा जो अल्लाह की अवज्ञा की मन्नत माने वो उसकी अवज्ञा न करे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मन्नत एक कथन सम्बन्धी एवं मन्नत मानने वाले के वचन के अनुसार आर्थिक अथवा शारीरिक उपासना है। इसमें दरअसल मन्नत मानने वाला किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति अथवा किसी भय वाली वस्तु से बचाव के लिए या किसी नेमत के शुक्र अथवा किसी विपत्ति से मुक्ति के धन्यवाद के तौर पर, ऐसी चीज़ को अपने ऊपर अनिवार्य कर लेता है जो पहले अनिवार्य नहीं थी। ये उन इबादतों में से हैं, जिन्हें अल्लाह के सिवा किसी अन्य के लिए करना जायज़ नहीं है। क्योंके अल्लाह तआला मन्नत पूरी करने वालों की प्रशंसा की है। अल्लाह ने कहा: "يُوْفُونَ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" {अर्थात्: वे मन्नत पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं, जिसकी बुराई चारों तरफ़ फैली हुई होगी।} (सूरा अल-इन्सान: 7)

सिद्धांत ये कहता है कि हर वो कार्य जिसकी प्रशंसा अल्लाह तआला ने की है, इबादत में सम्मिलित है

और जो कार्य इबादत (उपासना) हो, उसे अल्लाह के सिवा अन्य के लिए करना शर्क है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या हम अल्लाह के सिवा किसी अन्य की पनाह (शरण) माँग सकते हैं?**

उत्तरः शरण माँगने के तीन प्रकार हैं। तीनों को जानने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अल्लाह के सिवा किसी कि शरण माँग सकते हैं अथवा नहीं। ये तीनों प्रकार इस तरह हैंः

1. तौहीद तथा वंदना युक्त शरण माँगना: ये हर उस वस्तु से अल्लाह की पनाह माँगना है, जिससे आप डरते हों। अल्ला तआला ने फरमायाः "أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ" अर्थात्: {आप कह दीजिएः मैं प्रातः के रब की शरण माँगता हूँ हर उस वस्तु की बुराई से जो उसने पैदा की है।} (सूरा अल-फलक) तथा फरमायाः "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ" अर्थात्: {आप कह दीजिएः मैं शरण माँगता हूँ, इन्सानों के रब, इन्सानों के बादशाह, इन्सानों के वास्तविक पूज्य की, उस वस्वसे (भ्रस)}

डालने वाले की बुराई से जो बार-बार पलट कर आता है।} (सूरा अन्-नास)

2. मुबाह (वैध) शरण माँगना: किसी जीवित तथा उपस्थित इन्सान का शरण ऐसे मामले में माँगना है, जिसमें वो शरण देने का सामर्थ्य रखता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "فَمَنْ وَجَدْ مُلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلِيَفْعُلْ بِهِ" (अर्थातः जिसे कोई शरण अथवा पनाह की जगह मिल जाये, वो शरण ले ले।) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

3. शिर्किया शरण माँगना: इसका तथ्य है, अल्लाह के सिवा अन्य से ऐसे मामले में शरण माँगना, जिसमें शरण देने की शक्ति अल्लाह के सिवा कोई नहीं रखता। अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالًا إِنَّمَا يَعْوِذُونَ بِرَجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا" {अर्थातः और ये कि इन्सानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह माँगा करते थे, इस प्रकार उन्होंने जिन्नों का अभिमान और ज़्यादा बढ़ा दिया।} (सूरा अल-जिन्न: 6)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः किसी पड़ाव में उतरते समय आप क्या कहेंगे?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः मैं वही कहूँगा, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे सिखाया है। आपने फरमाया: (जो किसी पड़ाव में उतरकर ये दुआ पढ़ेः

"أَعُوذُ بِكَلْمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَنْ خَلَقَ"

(मैं अल्लाह के पूर्ण शब्दों की पनाह माँगता हूँ, उसकी पैदा की हुई वस्तुओं की बुराई से।) तो उस मन्ज़िल में जब तक रहेगा, उसे कोई वस्तु हानि नहीं पहुँचा सकेगी।) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या भलाई प्राप्त करने और बुराई से सुरक्षा के लिए अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की शरण**

ऐसे मामलों में माँगी जा सकती है, जिनका सामर्थ्य अल्लाह के सिवा कोई नहीं रखता?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ये बड़ा शिर्क है। ऐसा करने वाला व्यक्ति यदि मृत्यु से पहले तौबा न करे, तो उसके सारे कर्म अकारथ चले जायेंगे, वह इस्लाम की सीमा से बाहर हो जायेगा तथा सदैव के लिए विनाश का शिकार हो जायेगा। क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया: "أَمَنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ" {अर्थातः कौन है जो दुआ सुनता है, जबकि वो उसे पुकारे और उसकी परेशानी को दूर करता है?} (सूरा अन्-नम्लः 62) अर्थात, अल्लाह के सिवा कोई उसकी फरियाद सुनने वाला और विपत्ति दूर करने वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने उसके सिवा किसी और की पनाह माँगने वालों को सवालिया लहजे में फटकार लगायी है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह से फरियाद करना वंदना है। अल्लाह तआला ने फरमाया: "إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ" {अर्थातः उस समय को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे।} (सूरा अल्-अन्फ़ालः 9) और सहीह बुखारी में अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु

से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (मैं तुममें से किसी को क़यामत के दिन इस हाल में आता हुआ न पाऊँ कि उसकी गरदन में ऊँट हो, जो बिलबिला रहा हो और वो परेशान होकर कह रहा हो: ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी सहायता कीजिए, तो मैं कहूँ, मैंने तुम्हें पहले ही वस्तुस्थिति से अवगत कर दिया था कि मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तुममें से किसी को प्रलय के दिन इस हाल में न आता हुआ कदापि न पाऊँ कि उसकी गरदन में घोड़ा हो, जो हिनहिना रह हो और वो मुझसे कह रहा हो: ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी फरियाद सुनिए और मुझे कहना पढ़े कि मैंने तुम्हें पहले ही वस्तुस्थिति से अवगत कर दिया था कि मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता।) इस हदीस को बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है। सपष्ट है कि हम जीवित एवं उपस्थित व्यक्ति से, जो हमारे सामने मौजूद हो, उन मामलात में सहायता तलब कर सकते हैं, जो उनकी क्षमता के अन्दर हैं। जीवित व्यक्ति से फरियाद करने का अर्थ है, उससे उस काम में सहायता तलब

करना, जो इन्सान के बस में हो। जैसा कि एक व्यक्ति ने मूसा अलैहिस्सलाम से दोनों के साझा दुश्मन के खिलाफ मदद माँगी थी। अल्लाह तआला ने फरमाया: "فَاسْتَغْفِرُهُ اللَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٍّ" (فास्टग्फ़रूहُ اللَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٍّ) [अर्थात्: उसकी कौम के व्यक्ति ने दुश्मन कौम के व्यक्ति के विरुद्ध उसे मदद के लिए पुकारा।] (सूरा अल-कसस: 15) जहाँ तक ऐसे जिन्नों और इन्सानों से फरियाद करने की बात है, जो मौजूद न हों, तो सारे इमाम इस बात पर एकमत हैं कि यह गलत, हराम और शिर्क है। यही हाल कब्र में मौजूद लोगों का भी है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या  
अब्दुन्नबी तथा अब्दुलहुसैन जैसे नाम  
रखना सही है?**

उत्तरः तो आप कहिएः ये जायज्ञ नहीं हैं। और इसपर पूरी उम्मत की आम सहमति है कि अल्लाह के नामों के अलावा किसी और के नाम के साथ 'अब्द' शब्द का प्रयोग हराम है। यदि अब्दुन्नबी, अब्दुर्रसूल, अब्दुलहुसैन और अब्दुलकाबा आदि नाम किसी का हैं, तो उसे बदलना अनिवार्य है। अल्लाह

के निकट सबसे प्रिय नाम अब्दुल्लाह एवं अब्दुर्रहमान है। जैसा कि हदीस में आया है: (निःसंदेह अल्लाह के निकट सबसे प्रिय नाम अब्दुल्लाह एवं अब्दुर्रहमान है।) इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने बयान किया है। अल्लाह के अलावा यदि किसी और नाम के साथ 'अब्द' शब्द लगाकर नाम रखा गया हो, तो उस नाम को बदलना अनिवार्य है, परन्तु यह जीवित व्यक्तियों के संबंध में है।

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः बुरी नज़र,  
ईर्ष्या, विपत्ति और अनहोनी से बचाव  
अथवा उन्हें दूर करने के लिए हाथ, गर्दन  
तथा सवारी आदि में कड़ा लगाना अथवा  
धागा बाँधना कैसा है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ये शिर्क है। क्योंकि अल्लाह के अंतिम दूत का कथन है "من علق تميّة فقد": "أَشْرَكَ" (अर्थात्: जिसने तावीज़ लटकायी, उसने शिर्क किया।) इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी किताब मुसनद में बयान किया है। और आप ﷺ का यह कथन भी है कि "لَا يُبْقِيَنَّ فِي رَقْبَةٍ بَعِيرٌ قَلَادَةٌ مِّنْ وَتَرٍ أَوْ

(अर्थातः किसी ऊंट की गर्दन में, जब भी कोई ताँत की हार या आम हार नज़र आये तो उसे काट दिया जाय।) इसे इमाम बुखारी ने बयान किया है। और एक हदीस में है "من عقد لحيته أو تقلد  
وترواً أو استنجي برجيع دابة أو عظم فَإِنَّ مُحَمَّداً بِرَبِّ مِنْهُ" (अर्थातः जो व्यक्ति अपनी दाढ़ी पर गांठ बांधे या ताँत की हार पहने या पशुओं के गोबर या हड्डी से पवित्रता अर्जन करे, मुहम्मद उससे बरी है।) इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है। एक अन्य हदीस में आप ﷺ का कथन है "إِنَّ الرُّقْبَةَ وَالتمَائِمَ": (अर्थातः निःसंदेह झाड़ फूँक, तावीज और जादू टोना शर्क है।) इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। एक अन्य हदीस में आप ﷺ ने कहा "من علق تميمة فلا أتم الله له" (अर्थातः जो तावीज लटकाये, अल्लाह उसकी मनोकामना पूरी न करे।) इसे इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब सहीह में बयान किया है। सच ये है कि अंधविश्वास और खुराफात में पड़ने वाला व्यक्ति असफल है। क्योंकि एक हदीस में है "من تعلق شيئاً وكل إلية" (अर्थातः

जिसने किसी चीज़ पर भरोसा किया, उसे उसीके हवाले कर दिया जाता है।)

अरबी में "तिवला" एक प्रकार के जादू को कहते हैं, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को उसकी पत्नी का प्यारा बनाया जा सकता है अथवा उन दोनों के बीच घृणा पैदा की जा सकती है। पति पत्नी के अलावा अन्य मित्रों और रिश्तेदारों के बीच घृणा पैदा करने के लिए भी इसका सहारा लिया जाता है।

"तमाइम" उन वस्तुओं को कहते हैं, जिन्हें बच्चों के शरीर में लटकाया जाता है, ताकि उन्हें बुरी नजर अथवा ष्यांस से बचाया जा सके।

अरबी शब्द "तमीमा" का अर्थ बताते हुए अल्लामा मुनिज़री ने कहा है: (तमीमा उस धागा को कहते हैं, जिसे अरबवासी इस आस्था के साथ लटकाते थे कि वह उन्हें विपत्तियों से बचायेगा।) यह सरासर कुमार्गता तथा अंधविश्वास है। क्योंकि इसमें न तो स्वभाविक रूप से विपत्ति से बचाने की शक्ति है और न शरई ऐतबार से इसे विपत्तियों से छुटकारे का माध्यम बताया गया है। इसी प्रकार, कंगन

पहनना तथा पुराने कपड़े और तावीज़ लटकाना भी शिर्क है, चाहे मनुष्य के शरीर में हो, पशुओं में हो, गाड़ी में हो अथवा घर में।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः तर्बरूक  
(बरकत प्राप्त करने) का क्या अर्थ है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिए: "तर्बरूक" का अर्थ है, बरकत प्राप्त करने के लिए मनुष्य के ऐसे कार्यों को माध्यम बनाना, जिन्हें भलाई तथा प्रिय वस्तु की प्राप्ति और मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या बरकत लेने के एक से अधिक प्रकार हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिए: "तर्बरूक" के दो प्रकार हैं:

1. वैध तर्बरूक: जिसके वैध होने तथा बरकत लेने वाले को लाभ मिलने का प्रमाण कुर्�आन एवं सुन्नत में मौजूद हो। जात हो कि किसी वस्तु में बरकत होने का अकीदा रखना उसी वक्त जायज़ होगा, जब कुर्�आन तथा सुन्नत से सिद्ध हो। इसमें अक्ली घोड़ा

दौड़ाने की कोई गुन्जाइश नहीं है। अमुक वस्तु बरकत वाली है और उसमें बरकत है, ये बात हम उसी समय जान सकते हैं, जब इस संसार के उत्पत्तिकार तथा तत्त्व जान अल्लाह अथवा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताया हो। बरकत तथा भलाई कुर्�आन तथा सुन्नत के अनुसरण में ही निहित है। केवल उन्हीं दोनों से हम जान सकते हैं कि मुबारक हस्तियाँ कौन-कौन सी हैं और उनसे बरकत कैसे प्राप्त की जा सकती है? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के व्यक्तित्व और उससे अलग होने वाली चीज़ों, उदाहरणतः थूक और बाल आदि और उससे मिली हुई चीज़ों, उदाहरणतः वस्त्र से बरकत लेना। लेकिन ये तबरुक आपके व्यक्तित्व तथा आपकी उन वस्तुओं के साथ ही विशिष्ट है, जिनका आपसे संबंध होना साबित हो। जबकि बहुत से खुराफाती लोग झूठ का सहारा लेकर दावा करते रहते हैं कि हमारे पास आपके बाल हैं या आपका कोई वस्त्र है। जबकि मुसलमानों की अक्तरों के साथ खिलवाड़, उनके धर्म को बिगाड़ने का प्रयास तथा उनकी दुनिया को लूटने

के प्रयत्न के सिवा इन वस्तुओं की कोई वास्तविकता नहीं होती।

द्वितीय प्रकारः नाजायज्ञ बरकत लेना; इस प्रकार का बरकत लेना हराम तथा शिर्क तक पहुँचाने वाला है। जैसे नेक एवं सत्कर्म करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व अथवा उनसे संबंधित वस्तुओं से बरकत लेना, उनकी कब्रों के पास नमाज़ और दुआ द्वारा बरकत लेना एवं कब्रों की मिट्टी को दवा मानकर उनसे बरकत लेना। किसी जगह, पत्थर एवं पेड़ की श्रेष्ठता में विश्वास रखते हुए उससे बरकत लेने, तवाफ़ करने अथवा पुराने कपड़े लटकाने का भी यही हुक्म है। जबकि ये मालूम हैं कि काबा शरीफ़ के रुक्न (एक कोना) और वहां पर स्थापित हजरे अस्वद (काले पत्थर) को छोड़ अन्य किसी भी वस्तु को लाभदायक अथवा पवित्र मान कर चूमना, श्रद्धा के साथ छूना अथवा तवाफ़ करना मना है। जो व्यक्ति यह विश्वास रखे कि इन वस्तुओं के साथ ऐसा करने से खुद ये वस्तुएं बरकत प्रदान करती हैं तो उसका यह कार्य बड़ा शिर्क है और जो व्यक्ति उनको बरकत का कारण समझे तो उसका ये कार्य छोटा शिर्क है।

प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः क्या अल्लाह  
के सत्यवादी भक्तों की छोड़ी हुई निशानियों  
अथवा उनके व्यक्तित्वों से बरकत लेना  
धार्मिक कार्य है या ये सब धर्म से जोड़े गये  
नये और कुपथ करने वाले कार्य हैं?

उत्तर/ तब आप कहिएः यह अकीदा और यह कार्य  
बिद्अत (अर्थात् धर्म की मूल शिक्षाओं से बाहर की  
वस्तु) है। क्युंकि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु  
अलैहि व सल्लम के साथी, जो उम्मत के सबसे  
जानकार, सबसे ज्ञानी, सद्कर्मी के सब से अधिक  
अभिलाषी तथा प्रतिष्ठावानों की प्रतिष्ठा से सबसे  
ज्यादा परिचित थे, उन्होंने अबू बक्र, उमर, उस्मान  
और अली रजियल्लाहु अन्हुम की छोड़ी हुई वस्तुओं  
से बरकत नहीं ली तथा उनकी यादगारों की खोज  
में नहीं रहे, हालाँकि वे नबियों के पश्चात् उम्मत के  
सबसे प्रतिष्ठित लोग थे। वे जानते थे कि यह कार्य  
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ खास  
है। यही कारण है कि उमर रजियल्लाहु अन्हु ने  
अतिशयोक्ति के भय से, उस पेड़ को कटवा दिया  
था, जिसके नीचे बैअते रिज्वान सम्पन्न हुई थी।

दर असल सलफे सालेह सद्कर्मी के सबसे ज्यादा अभिलाषी थे, इसलिए अगर नेक लोगों की यादगारों की खोज करना कोई नेक काम होता, तो वे हमसे पहले इसे कर गुज़रते।

**प्रश्न/ फिर यदि आपसे कहा जायः क्या वृक्षों, पत्थरों अथवा मिट्टी आदि से बरकत लेना जायज़ है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिए कि यह शिर्क है। क्योंकि इमाम अहमद और तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू वाकिद लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, वह कहते हैं कि: हम अल्लाह के रसूل ﷺ के साथ हुनैन युद्ध के लिए निकले, उस समय हम नए-नए मुसलमान हुए थे। उन दिनों मुश्किल (अनेकेश्वरवादी) लोग एक बैरी के वृक्ष को पवित्र मानकर उसके पास तपस्या करते और उसपर अपने युद्ध के शस्त्रों को लटकाते थे। वह वृक्ष 'ज़ाते अन्वात' नाम से प्रसिद्ध था। हज़रत अबू वाकिद फ़रमाते हैं कि उस बैरी के वृक्ष के पास से हमारा गुज़र हुआ तो हमने कहा: हे अल्लाह के रसूل ﷺ हमारे लिए भी एक 'ज़ाते अन्वात' बना दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने

फरमाया: (अल्लाहु अकबर (अल्लाह सबसे बड़ा है)! ये तो बनी इसाईल के लक्षणों में से है। उस महान अल्लाह की सौगंध, जिसके हाथ में मेरी प्राण है, तुम लोगों ने ठीक वैसा ही कहा है, जैसा बनी इसाईल ने कहा था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था: "جَعَلَ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ" {अर्थात्: हमारे लिए भी कोई माबूद (पूज्य) बना दीजिए जैसे कि मुश्किलों के बहुत-से पूज्य हैं। तब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा था कि तुम सब निपट नादान हो।} {अल-आराफः 138} और तुम लोग भी बनी इसाईल के लक्षणों को अवश्य अपनालोगों।

**परश्न/ यदि आपसे कहा जायः अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की सौगंध खाने का क्या हुक्म है?**

उत्तर/ आप कहिए: अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की सौगंध खाना जायज़ नहीं है। क्योंकि नबी सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा है "من كان حالفًا": "فليحلف بالله أو ليصمت" (अर्थात्: जो व्यक्ति सौगंध खाना चाहता हो, वह अल्लाह की ही सौगंध खाए, अन्यथा चुप रहे) इसे बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत

किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की सौगंध खाने से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व سल्लम ने फरमाया: "لَا تَحْلِفُوا بِآيَاتِكُمْ وَلَا بِالْطَّوَاغِي" (अर्थात्: तुम अपने बाप-दादों की सौगंध न खाओ, न अन्य पूज्यों की सौगंध खाओ।) इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तवागी, तागूत का बहुचरण है। बल्कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसे शिर्क घोषित किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व سल्लम का शुभ उपदेश है: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ" (अर्थात्: जिसने अल्लाह को छोड़ किसी अन्य वस्तु की सौगंध खायी, उसने कुफ़ किया अथवा शिर्क किया।) आपने यह भी फरमाया: "مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلِيسَ مَنَا" (अर्थात्: जिसने धरोहर की सौगंध खायी, वह हममें से नहीं।) इसे इमाम अहमद, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह सनद से रिवायत किया है।

इसलिए मुसलमान को नबी, वली, पद, धरोहर अथवा काबा आदि सृष्टियों की सौगन्ध खाने से डरना चाहिए।

प्रश्न/ यदि आपसे पूछा जायः क्या हमारे लिए ये विश्वास रखना जायज़ (उचित) है कि क्या ब्रह्माण्ड और मनुष्य के लिए भलाई, सामर्थ्य तथा सौभाग्य की प्राप्ति अथवा उन्हें बुराई, नापसंदीदा चीज़ों और विपत्तियों से बचाने में नक्षत्र प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ऐसा विश्वास रखना जायज़ (उचित) नहीं है। क्योंकि नक्षत्र आदि मनुष्य के जीवन अथवा इस ब्राह्माण्ड के लाभ अथवा हानि में किसी भी रूप से प्रभावशाली नहीं हैं। और जादूगरों तथा कर्तब बाज़ों के कर्तब पर वही व्यक्ति विश्वास करेगा, जो मंदबुद्धि और अंध विश्वास रखने वाला हो। दरअसल इन कर्तब बाज़ों पर विश्वास करना भी शिर्क है। क्योंकि एक हृदीसे कुदसी में है:  
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ مَطْرَنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٍ  
بالْكَوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ: مَطْرَنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٍ  
" بالكوكب" (अर्थात्: निःसंदेह अल्लाह कहता है कि जो व्यक्ति यह कहता है कि अल्लाह की कृपा से हमपर वर्षा हुई, वह मुझपर विश्वास रखता है और नक्षत्रों

को नकारने वाला है और जो ये कहता है कि हमपर किसी नक्षत्र के कारण बारिश हुई, वह अल्लाह को नकार कर नक्षत्र पर विश्वास करने वाला है।) इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। जाहिलीयत के युग में लोगों का ऐसा मानना था कि नक्षत्र आदि वर्षा में प्रभावशाली भुमिका निभाते हैं।

**प्रश्न/ यदि कहा जायः क्या राशि और नक्षत्र आदि के विषय में यह मानना जायज़ है कि राशि एवं नक्षत्र आदि मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं? मनुष्य के सौभाग्य तथा दुर्भाग्य में इनका कोई प्रभाव है तथा क्या इनके द्वारा भविष्यवाणी सम्भव है?**

उत्तर/ तब आप कह दीजिएः नहीं, राशि एवं नक्षत्र आदि मनुष्य के जीवन में किसी भी रूप से प्रभावशाली नहीं हैं। ऐसा विश्वास रखना नाजायज़ है। इनके माध्यम से किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना भी असम्भव है। क्योंकि गैब का

जान एक मात्र अल्लाह के पास है। कुर्झान पाक में अल्लाह कहता है "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ":  
 "إِلَّا اللَّهُ" {अर्थात्: ऐ नबी, ﷺ आप कह दीजिए कि आसमानों और ज़मीन पर गैब का जान अल्लाह के सिवा और किसी के पास नहीं है।} (सूरा नम्ल: 65) और चूंकि अल्लाह ही एक मात्र भलाई प्रदान करने वाला और विपत्ति को टालने वाला है और जिसने ये विश्वास रखा कि इन राशियों और नक्षत्रों में भलाई लाने और बुराई को टालने की शक्ति है, दरअसल उसने इन्हें अल्लाह के अधिकरों तथा उसके पालनहार होने की विशेषता में उसका साझी बना लिया और इसमें संदेह नहीं कि ऐसा मानना शिर्क है।

**प्रश्न/ यदि आपसे कहा जाएः क्या हमारे लिए अल्लाह के भेजे हुए आदेश अनुसार निर्णय करना अनिवार्य है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः हाँ, सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है कि वे अल्लाह के भेजे हुए आदेश के अनुसार निर्णय करें। कुर्झान शरीफ में अल्लाह का फरमान है: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ":

وَاحْدَرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَاعْلَمْ  
 أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصَبِّهِمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ  
 "لَفَاسِقُونَ" {अर्थातः और उनके बीच उसके अनुसार  
 निर्णय करो, जो अल्लाह ने उतारा है और उनकी  
 इच्छाओं का अनुसरण न करो और उन लोगों से  
 बचो कि कहीं वह तुम्हें तुम्हारी ओर अल्लाह के  
 उतारे हुए किसी आदेश से हटा न दें। अतः यदि वे  
 फिर जायें, तो जान लो कि अल्लाह उन्हें उनके कुछ  
 पापों का दण्ड देना चाहता है। और सत्य यह है कि  
 अधिकतर लोग अवज्ञाकारी हैं। ((सूरा मार्झदह: 49)  
 और अल्लाह ने उन लोगों की निंदा करते हुए कहा  
 है जो अल्लाह के विधान को छोड़कर मनुष्य जाति  
 द्वारा बनाये गये विधान पर चलते हैं "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ":  
 {अर्थातः क्या यह लोग अज्ञानता का निर्णय चाहते हैं। और अल्लाह  
 से बढ़कर किसका निर्णय हो सकता है, उन लोगों  
 के लिए जो विश्वास करना चाहें?} (सूरा माइदा: 5)

**प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः शफ़ाअत किसे कहते हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः शफ़ाअत 'बीच में आने' अथवा 'लाभ एवं भलाई प्राप्त करने या विपत्ति तथा हानि से बचने के लिए दूसरे को बीच में लाने' के अर्थ में प्रयोग होता है।

**यदि आपसे कहा जायः शफ़ाअत कितने प्रकार की होती हैं?**

उत्तरः तो आप कह दीजिए कि शफ़ाअत के तीन प्रकार होते हैं:

1. प्रमाणित शफ़ाअतः अर्थात् वो शफ़ाअत जो अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से तलब न की जाय। अल्लाह तआला का فَرْمَانُهُ "فُلْلِ اللّٰهِ الشَّفَاعَةُ" {अर्थात्: हर प्रकार की शफ़ाअत केवल अल्लाह के लिए है।} (सूरा अज़्-जुमरः 44) ये नरक की अग्नि से बचाव और जन्नत की नेमत प्राप्त करने की शफ़ाअत है। इसकी दो शर्तें हैं:

क. शफ़ाअत करने वाले को अल्लाह की ओर से शफ़ाअत की अनुमति मिली हो। जैसा कि अल्लाह

तआला ने कहा है: "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" {अर्थातः कौन है, जो उसके पास उसके आदेश के बिना शफाअत कर सके?} (सूरा अल्-बक्रा: 255)

ख. जिसके लिए शफाअत की जाय, उससे अल्लाह प्रसन्न हो। अल्लाह तआला ने कहा: "وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى" {अर्थातः और वे केवल उन्हीं के लिए शफाअत करेंगे, जिनसे अल्लाह प्रसन्न हो।} (सूरा अल्-अम्बिया: 28) अल्लाह तआला ने इसे अपने इस कथन के साथ इकट्ठा किया है: "وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَبِرْضَى" {अर्थातः आकाश में कितने ही ऐसे फरिश्ते हैं, जिनकी शफाअत कुछ काम न देगी, परन्तु अल्लाह जिनके लिए चाहे और जिनसे प्रसन्न हो उनके हित में उसके आदेश के बाद ही।} (सूरा अन्-नज्म: 26) इसलिए जो शफाअत का हक़दार बनना चाहता हो, अल्लाह से उसकी दुआ करे। क्योंकि वही शफाअत का मालिक और उसकी अनुमति प्रदान करने वाला है। किसी और से न माँगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "إِذَا سُأْلَتْ فَاسْأَلْ اللَّهَ" {अर्थातः जब तुम माँगो, अल्लाह ही से

माँगो।) इसे इमाम तिर्मिजी ने रिवायत किया है। चुनांचे मनुष्य को ये कहना चाहिएः ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा, जिनके लिए तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम प्रलय के दिन शफ़ाअत करेंगे।

2. अप्रमाणिक शफ़ाअतः अर्थात् वो शफ़ाअत जो अल्लाह के अतिरिक्त अन्य से की जाय, जबकि उनके अन्दर उसका सामर्थ्य न हो। यही शिर्क मिश्रित शफ़ाअत है।

3. लोगों के बीच सांसारिक शफ़ाअत। इससे तात्पर्य इन्सानों के बीच उन सांसारिक मामलों में सिफारिश है, जिनका वो सामर्थ्य रखते हैं और सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये सिफारिश भलाई के कार्यों में हो तो पसन्दीदा होती है और बुराई के कार्यों में हो तो हराम (वर्जित) होती है। जैसा कि अल्लाह तआला ने कहा हैः "مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ" {अर्थातः जो अच्छे काम की सिफारिश करेगा, उसे उसका भाग

मिलेगा और जो बुरे काम की सिफारिश करेगा, उसे उसका भाग मिलेगा।} (सूरा अन्-निसाः 85)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या पैग्म्बर  
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अन्य नबियों,  
अल्लाह के नेक बन्दों और शहीदों से  
शफ़ाअत तलब करना जायज़ है, क्योंकि वे  
प्रलय के दिन सिफारिश करेंगे?**

**उत्तर/** तो आप कहिएः शफ़ाअत का मालिक अल्लाह  
तआला है। अल्लाह तआला ने कहाः "قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاةُ جَمِيعًا"  
(अर्थातः (हे नबी) आप कह दीजिए, हर प्रकार  
की शफ़ाअत केवल अल्लाह के लिए है।} (सूरा अज़्-  
जुमरः 44) इसलिए हम उसका मुतालबा अल्लाह से  
करेंगे, जो उसका मालिक और उसका आदेश देने  
वाला है। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि  
व सल्लम के इस कथन का तात्पर्य हैः "إِذَا سُئِلْتَ فَاسْأَلْ  
اللَّهَ" (अर्थातः जब माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो।)  
इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। अतः हम कहेंगेः  
ऐ अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर, जिनके

लिए तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम प्रलय के दिन सिफारिश करेंगे।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः उस व्यक्ति का क्या हुक्म है, जो अपनी माँगें पूरी करवाने के लिए स्वयं अपने और अल्लाह के बीच मरे हुए लोगों को सिफारिशी बनाये ?**

उत्तर/ तो आप कहिएः ये बड़ा शिक्क है। क्योंकि अल्लाह तआला ने उन लोगों की निंदा की है, जो अपने और अल्लाह के बीच किसी को सिफारिशी बनाते हैं। अल्ला तआला ने उन लोगों के सम्बन्ध में फरमाया: "وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْرُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَاءُ شُفَاعَائِنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُنَّ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ" {अर्थात्: वे अल्लाह के अतिरिक्त उनकी वंदना करते हैं, जो न उन्हें लाभ पहुँचा सकते हैं और न हानि पहुँचा सकते हैं। और कहते हैं कि ये अल्लाह के निकट हमारे सिफारिशी हैं। (हे नबी) आप कह दीजिएः क्या तुम अल्लाह को ऐसी बातें बताते हो, जिसे वह आकाशों और धरती में नहीं जानता। वह इनके शिक्क

से पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है।} (सूरह यूनुसः 18) यहाँ अल्लाह ने उन्हें 'शिर्क' की विशेषता से चिन्हित करते हुए कहा है: "عَمَّا يُشْرِكُونَ" {अर्थातः 'उनके शिर्क से।' फिर उनपर कुफ्र का हुक्म लगाते हुए कहा: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ" {अर्थातः अल्लाह झूठे और अत्यधिक कुफ्र करने वाले को मार्गदर्शन नहीं देता।} (अज़्-ज़ुमरः 3) और अल्लाह तआला ने उनके बारे में ये भी फरमाया कि वे अपने सिफारिशियों के सम्बन्ध में कहेंगे "وَالَّذِينَ اخْتَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَيْ: {अर्थातः जिन्होंने अल्लाह के अतिरिक्त अन्य संरक्षक बना लिये हैं, वे कहते हैं, हम इनकी वंदना केवल इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से समीप कर दें।} (सूरा अज़्-ज़ुमरः 3)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या अल्लाह तआला के इस कथन में "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا"** {अर्थातः और यदि ये लोग अपनी प्राणों पर अत्याचार करने के पश्चात, आपके पास आ जाते और अल्लाह से माफ़ी माँगते

और रसूल भी इनके लिए क्षमा माँगते, तो  
अल्लाह को क्षमा करने वाला और कृपाशील  
पाते।} (सूरा अन्-निसाः 64)

उत्तर/ तो आप कहिएः आप सल्लल्लाहु अलैहि व  
सल्लम से क्षमा याचना आपकी मृत्यु के बाद वैध  
नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन काल तक ही सीमित  
है। सहाबा किराम और उत्तम युगों के लोगों से  
सहीह सनद से ये साबित नहीं है कि वे आप  
सल्लल्लाहु अलैहि की मृत्यु के बाद आपसे क्षमा  
याचना का मुतालबा करते थे। तथा आइशा  
रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस में है कि जब  
उन्होंने आपसे अनुरोध किया कि उनकी मृत्यु के  
बाद आप उनके लिए दुआ तथा क्षमा याचना करते  
रहें, तो आपने फरमाया: "ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حِيٌ فَاسْتغفِرُ لِكَ"  
"وَأَدْعُوكَ" (अर्थात्: अगर मेरे जीते जी ऐसा हुआ, तो  
मैं तुम्हारे लिए क्षमा याचना तथा दुआ करूँगा।)  
इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। यह  
हदीस उक्त आयत की व्याख्या करती और यह  
बताती है कि आपसे क्षमा याचना का अनुरोध करना  
आपके जीवन काल के साथ खास है और आपकी

मृत्यु के बाद वैध नहीं है। आपसे क्षमा याचना का अनुरोध करने की उदाहरण यदि मिलती भी है, तो उत्तम युगों के बीत जाने के बाद, बाद के लोगों के यहाँ, जब दीन के नाम पर नयी-नयी चीज़ें रिवाज पा चुकी थीं और अज्ञानता का बोल-बाला हो चुका था। उस समय कुछ लोगों ने सहाबा किराम तथा सच्चाई के साथ उनका अनुसरण करने वाले सलफ सालेहीन एवं सुपथ गामी इमामों के रास्ते से मुँह फेरते हुए इस काम को अपनालिया लिया था।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के इस आदेश का क्या अर्थ है؟** "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُنَّا  
أَنْتُمُ الْوَسِيلَةُ" {अर्थातः हे ईमान वालो! अल्लाह से डरो और उसकी निकटता तलाश करो} (सूरा अलमाइदा: 35)

**उत्तर/** तो आप कहिएः इसका अर्थ है, अल्लाह के आज्ञापालन और उसके रसूल के अनुसरण के माध्यम से अल्लाह की निकटता प्राप्त करना। अल्लाह की निकटता प्राप्त करने का यही वो वसीला है, जिसका अल्लाह ने हमें आदेश दिया है। क्योंकि

वसीला का अर्थ है, वह वस्तु या माध्यम जिसकी मदद से अपने दरकार तक पहुँचा जा सके। और दरकार तक वही वस्तु पहुँचा सकती है, जिसकी अनुमति अल्लाह या उसके रसूल ने दी हो। जैसे तोहीद और आज्ञापालन। वसीला से अभिप्राय अवलिया और कब्रों में मौजूद लोगों की ओर रुख करना नहीं है। ये तो वास्तविकता से परे और हकीकत से कोसों दूर की बात है। सच्चाई ये है कि ये केवल शैतान का धोखा है, ताकि लोगों को जन्नत तक ले जाने वाले हिदायत के रास्ते से भटका सके।

**प्रश्न/ यदि आपसे कहा जाय: वसीला किसे कहते हैं?**

उत्तर/ तो आप कहिए: तवस्सुल काउदाहरणतः निकटता प्राप्त करना है। और शरीअत के दृष्टिकोण से तवस्सुल का मूल अर्थ है, अल्लाह की उपासना करके, उसके रसूल का आज्ञापालन करके और अल्लाह की पसंद नापसंद के अनुसार जीवन व्यतीत करके अल्लाह की निकटता प्राप्त करना।

**प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः वसीला कितने प्रकार का होता है?**

उत्तर/ तो आप कहिएः वसीला दो प्रकार का होता हैः 1. जायज़ वसीला, 2. हराम वसीला ।

**प्रश्न/ फिर यदि आपसे कहा जायः जायज़ वसीला किसे कहते हैंः?**

उत्तर/ तो आप कहिएः (क) अल्लाह की निकटता प्राप्त करने के लिए उसके नामों को माध्यम बनाना। अल्लाह कहता हैः "وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا" (अर्थातः और अल्लाह के अच्छे-अच्छे नाम हैं, उन्हीं नामों के माध्यम से उसे पुकारो।) और उसके गुणों को प्रकट करने वाली विशेषताओं के माध्यम से निकटता प्राप्त करना। उदाहरणतः अल्लाह के नबी ﷺ की दुआओं में एक दुआ इस प्रकार हैः "يَا حِيْ يَا قِيْوَمْ بِرْ حِمْتِكْ" (अर्थातः हे सदैव जीवित रहने वाले और सदैव स्थिर एवं स्थायी रब, मैं तेरी कृपा को माध्यम बनाकर तुझसे मदद मांग रहा हूं।) तो यहां अल्लाह के विशेषण 'कृपा' को माध्यम बनाकर उसे पुकारा गया है।

(ख) अल्लाह के निकट पहुँचने के लिए निर्मल अल्लाह के लिए तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत के अनुसार किये गये सत्कर्म को माध्यम बनाना। उदाहरणतः कोई कहें है अल्लाह, चूँकि मैंने खालिस तेरी वंदना की है और तेरे रसूल का अनुसरण किया है, इसलिए मुझे स्वस्थ कर दे और जीविका प्रदान आकर। उदाहरणतः पवित्र अल्लाह तथा उस के रसूल पर ईमान। अल्लाह तआला ने फरमाया: "رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتَنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ" {अर्थात्: हे हमारे पालनहार, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की ओर बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अतः, हे हमारे पालनहार, जो अपराध हमसे हुए हैं, उनको क्षमा कर दे, जो बुराइयाँ हममें हैं उन्हें दूर कर दे और हमारा अन्त नेक लोगों के साथ कर।} (सूरा आले इमरानः 193) इस तवस्सुल के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की और कहा: "رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ" {अर्थात्: हे हमारे पालनहार, जो वादे तूने अपने रसूलों के माध्यम से किये हैं,

उनको हमारे साथ पूरा कर और प्रलय के दिन हमें हीनता में न डाल, निःसंदेह! तू अपने वादे के खिलाफ़ करने वाला नहीं है।} (सूरा आले-इमरानः 194) इसी तरह भारी चट्टान के अन्दर फंसे हुए तीन लोगों ने उस विपत्ति से निजात पाने के लिए अपने सत्कर्मों को माध्यम बनाकर अल्लाह से दुआ की थी। पूरी घटना सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम की हहीस में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है। उसमें है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन लोगों की एक घटना सुनायी, जिनका रास्ता एक भारी चट्टान ने बन्द कर दिया था, तो उन्होंने अपने सत्कर्मों का हवाला देकर अल्लाह से दुआ की थी कि उन्हें इस विपत्ति से निजात दे दे और अन्ततः चट्टान हट गयी थी।

(ग) अल्लाह के किसी नेक बन्दे की दुआ के माध्य से अल्लाह के निकट पहुँचना, जो उपस्थित तथा सक्षम हो। उदाहरणतः कोई किसी नेक इन्सान से दुआ का अनुरोध करे। जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्षा के लिए दुआ करने का अनुरोध किया तथा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उवैस करनी से दुआ का

अनुरोध किया एवं जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने उनसे दुआ की निवेदन की। अल्लाह तआला ने फरमाया: "قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَعْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا حَاطِئِينَ" {अर्थात्: उन्होंने कहा: हे हमारे पिता, हमारे गुनाहों की क्षमा याचना कीजिए, निःसंदेह! हम पापी थे।} (सूरा यूसुफः 97)

## प्रश्न/ यदि आपसे कहा जाय: नाजायज़ वसीला किसे कहते हैं?

उत्तर/ तो आप कह दीजिए: ये वो वसीला है, जिसे शरीअत ने अवैध करार दिया है। जैसे कोई व्यक्ति मरे हुए लोगों को वसीला बनाये और उनसे सहायता तथा शिफारिश तलब करे। ये तवस्सुल शिर्किया हैं, इसपर सारे इमाम एकमत हैं, यद्यपि वसीला नबियों और वलियों ही को क्यों न बनाया जाय। अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ" {अर्थात्: रहे वे लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे संरक्षक बना रखे हैं (और अपने इस कर्म का कारण यह बताते हैं कि) हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वे अल्लाह तक हमारी पहुँच करा दें।} (सूरा अज़्-ज़ुमरः 3) फिर उनपर

हुक्म लगाते हुए उनकी विशेषता बयान की और  
 فرمाया: إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ مَنْ هُوَ كَذِيبٌ كَفَّارٌ  
 "إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ يَهُدِي مَنْ هُوَ كَذِيبٌ كَفَّارٌ" {अर्थात्: अल्लाह निःसंदेह उनके बीच उन तमाम बातों का निर्णय कर देगा, जिनमें वे मतभेद कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता, जो झूठा और सत्य का इन्कार करने वाला हो।} (सूरा अज़्-जुमरः ३) इय आयत में अल्लाह ने उनपर काफिर होने और इस्लाम की सीमा से बहार निकल जाने का हुक्म लगा दिया है। इसी प्रकार अवैध तवस्सुल में वो तवस्सुल भी शामिल है, जिसके विषय में शरीअत खामोश हो। क्योंकि तवस्सुल एक वंदना है और वंदना के वैध होने के लिए कुर्�आन तथा सुन्नत से सिद्ध होना अनिवार्य है। उदाहरणतः किसी की जाह (मर्तबा) अथवा व्यक्तित्व आदि को वसीला बनाना। उदाहरणतः कोई कहे: हे अल्लाह, मुझे अपने प्यारे नबी की जाह के वसीले में क्षमा करे दे, या हे अल्लाह, तुझसे तेरे नबी, नेक बन्दों अथवा अमुक व्यक्ति की क़ब्र के वसीले से माँगता हूँ। दरअसल इस तरह के तवस्सुल को न अल्लाह ने वैध करार दिया है, न उसके रसूल ने। अतः ये बिदअत हैं और

इससे बचना ज़रूरी है। ये तमाम तरह के वसीले सहाबा, ताबिईन तथा सुपथ पर चलने वाले इमामों की अवधि में अस्तित्व में नहीं थे। उन तमाम लोगों से अल्लाह प्रसन्न हो।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः मर्दों के लिए क़ब्रों के दर्शनार्थ के कितने प्रकार हैं?**

उत्तर/ तो आप कहिएः दर्शनार्थ (ज़ियारत) दो प्रकार के होते हैं 1: जायज़ ज़ियारत, जिसपर ज़ियारत करने वाले को दो कारणों से नेकी मिलेगी। वह दो कारण इस प्रकार हैं-

(क) प्रलोक (आखिरत) को याद करना। क्योंकि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "كُنْتَ نَهِيَّكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَذَكِّرٌ" (الآخرة) (अर्थात्: देखो, मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शनार्थ) से मना किया था, परंतु अब उनकी ज़ियारत कर सकते हो। क्योंकि ये प्रलोक को याद दिलाती है।) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

(ख) मुर्दों को सलाम करना और उनके लिए दुआ करना। अतः हम कहेंगे: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين" (पूर्ण दुआ) अर्थात्: हे इस भूखंड में रहने वाले मोमिनों और मुसलमानों, आपपर शान्ति हो।) इस प्रकार, ज़ियारत करने वाले और ज़ियारत किये गये लोग, दोनों लाभान्वित होंगे।

-2 अवैध दर्शनार्थ (ज़ियारत), जिसका करने वाला पापी है। ये वो ज़ियारत है, जिसका उद्देश्य क़ब्रों के पास दुआ करना अथवा उनके माध्यम से अल्लाह का ध्यान करना होता है। ये बिदअत है, जो ऐसा करने वाले को शिर्क तक ले जाती है। कभी-कभी ज़ियारत का उद्देश्य मरे हुए लोगों से फ़रियाद करना, उनसे सिफारिश तलब करना अथवा सहायता माँगना होता है। यदि ऐसा है तो ये महा शिर्क है। क्योंकि "ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ" وَالَّذِينَ شَدُّعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ {अर्थात्: इन विशेषताओं का मालिक अल्लाह तुम्हारा रब है, और जिन्हें तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो खजूर की गुठली

के छिल्के के भी मालिक नहीं हैं। यदि तुम उन्हें पुकारो, तो वे तुम्हारी पुकार सुन नहीं सकते, और यदि सुन भी लें तो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते। तथा प्रलय के दिन वे तुम्हारे शिर्क का इन्कार कर देंगे। वस्तु-स्थिति की ऐसी सही खबर तुम्हें एक खबर रखने वाले के सिवा कोई नहीं दे सकता} (सूरा फ़ातिर: 13-14)

**परश्न/ यदि आपसे कहा जायः आप क़ब्रों  
की ज़ियारत (दर्शनार्थ) के समय क्या  
कहेंगे?**

उत्तर/ आप कहिए कि: मैं वही कहूँगा जो नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों को सिखाया कि जब क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करें, तो कहें,

(السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون  
(إِنَّا إِن شاء اللَّه بِكُم لاحقون) अर्थात्: हे मोमिन समुदाय की बस्ती के लोगो, तुमपर शान्ति हो, तुमसे जिस मौत का वादा किया गया था, वो आ चुकी है। हमें कल के लिए रखा गया है और अल्लाह ने चाहा तो

हम भी तुमसे मिलने वाले हैं।) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर मैं उनके लिए कृपा, क्षमा और पदोन्नति आदि की दुआ करूँगा।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या हम अल्लाह के सदाचारी भक्तों की क़ब्रों के पास दूआ करके अल्लाह की निकटता प्राप्त कर सकते हैं?**

**उत्तर/** तो आप कह दीजिएः नेक लोगों की क़ब्रों के पास दूआ करना बाद मैं वजूद मैं आने वाला एक कार्य, बिद्अत और शिर्क तक ले जाने वाली वस्तु है। अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास एक व्यक्ति को दूआ करते हुए देखा, तो उसे मना किया और कहा: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है: (तुम मेरी क़ब्र को उत्सव स्थल न बनाओ।) इस हदीस को ज़िया मकदिसी ने (अल-मुखतारा: 428) मैं रिवायत किया है। जबकि सबसे महान क़ब्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र है, जिसमें सबसे पवित्र तथा श्रेष्ठ शरीर एवं

ब्रह्माण्ड का सबसे सम्मानित इन्सान सोया हुआ है। इसके बावजूद सहीह सनद से कहीं इस बात का वर्णन नहीं आया है कि किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र के पास आकर दुआ की हो। यही हाल उनके अनुसरणकारियों का भी था। वे सहाबा और उम्मत के महत्वपूर्ण लोगों की कब्रों के पास दुआ नहीं करते थे। ये कुछ बाद के लोगों के दिमाग में डाला हुआ शैतान का वसवसा है कि उन्होंने उस चीज़ को पसन्द कर लिया जिसे, उनके असलाफ (गुजरे हुए सुपथ गामी लोग) ने नापसन्द किया था। क्योंकि वे उसकी बुराई तथा कुपरिणाम से अवगत थे। लेकिन बाद के लोगों ने, जो ज्ञान, बुद्धि और प्रतिष्ठा के मामले में उनसे कमतर थे, असावधानी बरती और शैतान के जाल में फँस गये और बिद्अत को सही समझ कर शिक के अन्धेरे गड़ढे में जा गिरे। अल्लाह हमारी रक्षा करे!

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः गुलू (अतिशयोक्ति) का क्या अर्थ है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः गुलू (अतिशयोक्ति) का अर्थ है, अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करके उसकी निश्चित की हुई सीमा को पार करना। गुलू कभी शरीअत की वृष्टि में जो कार्य वांछित है, उसे बढ़ाने से होता है, तो कभी किसी शरई कार्य को नेकी समझकर छोड़ देने से।

गुलू के विनाशकारी प्रकारों में से एक प्रकार नबियों तथा अल्लाह के नेक बन्दों के बारे में गुलू है। वो इस तौर पर कि उन्हें उनके मर्तबे से बढ़ा दिया जाय, वे जितनी मुहब्बत और सम्मान के हक़दार हैं, उससे अधिक सम्मान दिया जाय, उन्हें रुबूबियते की विशेषताएं प्रदान कर दी जायें, वंदना शुमार होने वाला कोई कार्य उनके लिए किया जाय अथवा उनकी प्रशंसा में इस क़दर अति की जाय कि वे पूज्य के दर्जे तक पहुँच जायें।

गुलू की एक सूरत ये है कि अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन वस्तुओं को हमेशा कि लिए छोड़ दिया जाय, जिन्हें अल्लाह ने लोगों के

लाभ के लिए पैदा किया है। जैसे खाने-पीने की वस्तुएं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे सोना और निकाह करना आदि।

तथा नापसन्दीदा गुलू की एक सूरत यह है कि तौहीद (एकेश्वरवाद) पर क्रायम मुसलमानों को काफिर कहा जाय, उनसे बराअत जाहिर की जाय, उनसे सम्बन्ध तोड़े जायें, उनसे जंग की जाय, उनपर अत्याचार किया जाय तथा उनकी इज़ज़त-आबरू, धन एवं रक्त को वैध समझा जाय।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः गुलू  
(अतिशयोक्ति) से सावधान करने वाली कुछ  
आयतों और हडीसों का वर्णन करें?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः कुर्झान तथा हडीस में अगणित ऐसे प्रमाण हैं, जो गुलू से मना तथा सावधान करते हैं। जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ" {अर्थातः और न मैं बनावटी लोगों में से हूँ।} (सूरा सादः 86) तथा अल्लाह तआला ने बनी इसराईल को धर्म में गुलू करने से मना करते हुए कहा: "لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ" {अर्थातः अपने

धर्म में गुलू मत करो।} (सूरा अन्-निसाः 171) और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "إِيَّاكُمْ وَالْغَلُوْ فَإِنَّمَا أَهْلُكَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغَلُوْ" (अर्थातः तुम गुलू से बचो, क्योंकि तुमसे पहले लोगों को गुलू ने ही विनाश किया था।) इस हदीस को अहमद ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अधिक फरमाया: "هَلْكَ الْمُتَنْطَعُونَ، هَلْكَ الْمُتَنْطَعُونَ" (अर्थातः बाल की खाल निकालने वाले हलाक हो गये, बाल की खाल निकालने वाले हलाक हो गये, बाल की खाल निकालने वाले हलाक हो गये।) इसे इमाम मुस्लिम ने कथन किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या काबा के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल का तवाफ़ (परिक्रमा) जायज़ है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः काबा के अतिरिक्त किसी और वस्तु या स्थल का तवाफ़ (परिक्रमा) जायज़ नहीं। क्योंकि अल्लाह ने इस कार्य को अपने घर के साथ खास कर रखा है। उसका फरमान

है: "وَلِيَطَّوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" {अर्थातः और उन्हें चाहिए कि अल्लाह के पुराने घर का तवाफ़ करें।} (सूरा अल-हज्ज़: 29) हमारे रब ने हमें इसके अलावा किसी अन्य वस्तु के तवाफ़ की अनुमति नहीं दी है। क्योंकि तवाफ़ एक वंदना है और हमें कोई भी नयी वंदना जारी करने से सावधान किया गया है। इसलिए कुर्�आन तथा सुन्न के सही प्रमाण के बिना कोई उपासना-वंदना वैध नहीं है। दरअसल, शरई प्रमाण के बिना कोई वंदना आरंभ करना अल्लाह तथा उसके रसूल के बराबर खड़ा होना है तथा वंदना को अल्लाह के सिवा किसी अन्य के लिए करना शिर्क है, जिससे सारी नेकियाँ नष्ट हो जाती हैं और आदमी एकेश्वरवादी धर्म की सीमा से निकल कर कुफ़ में प्रवेश हो जाता है। अल्लाह की पनाह!

**प्रश्नः यदि आपसे कहा जायः क्या मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक्सा**

के अतिरिक्त अन्य किसी निर्धारित स्थान  
की श्रद्धा के लिए यात्रा करना उचित होगा?

उत्तरः ऐसे में कहा जाएगा कि श्रद्धा की नियत से  
उक्त तीन पवित्र मस्जिदों के अतिरिक्त किसी अन्य  
स्थान की यात्रा करना वर्जित (नाजायज़) है। इस  
लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने  
फरमाया है "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا لِلْحَاجَةِ مَسَاجِدَ الْحَرَامِ"  
"(अर्थात्: मस्जिदे हराम (काबा), मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी मदीना)  
तथा मस्जिदे अक्सा (फिलस्तीन) को छोड़ किसी  
अन्य स्थल की श्रद्धा के लिए यात्रा न की जाए।)

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या ये हृदीसें  
सहीह हैं या इन्हें अल्लाह के रसूल  
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर  
मन्सूब करके गढ़ लिया गया हैः "إِذَا ضاقت  
" (अर्थात्: जब समस्याओं से तंग आ जाओ, तो क़ब्रों की  
ज़ियारत करो।) "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُورْنِي فَقَدْ جَفَانِي"

अर्थातः (जिसने हज किया और मेरी  
ज़ियारत नहीं की, उसने मुझपर अत्याचार  
किया।), "من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد  
أرجو الله أن يعذريه" (अर्थातः जिसने मेरी  
और मेरे पिता इब्राहीम की एक ही वर्ष में  
ज़ियारत की, मैं उसे जन्नत की गारन्टी देता  
हूँ।), "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي"  
(अर्थातः जिसने मेरी मृत्यु के बाद मेरी  
ज़ियारत की, मानो उसने मेरे जीवन काल में  
मेरी ज़ियारत की।), "من اعتقاد في شيء نفعه"  
(अर्थातः (जो किसी वस्तु पर आस्था रखे,  
उसे उससे लाभ होगा।), "توسلوا بجاهي فإن جاهي"  
"عبدي" (अर्थातः मेरे व्यक्तित्व का  
वसीला पकड़ो, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व  
अल्लाह के निकट महान है।) और  
"أطعني فأجعلك من يقول للشيء كن فيكون"  
(अर्थातः ऐ मेरे बन्दो, मेरा आज्ञापालन करो, मैं तुम्हें  
उन लोगों में शामिल कर दूँगा, जो किसी

वस्तु से "हो जा" कह दें तो वह अस्तित्व में

आ जाये।) (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ نُورٍ نَّبِيُّهُ مُحَمَّدٌ -

"अर्थातः अल्लाह ने शृष्टि

की रचना अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु

अलैहि वस्ललम के प्रकाश से की।)

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ये सारी हडीसें झूठी हैं। इन्हें फैलाने का काम बिद्अती और क़ब्रों की पूजा करने वाले करते हैं। ऐसी हस्ती जो किसी चीज़ से कहे कि हो जा, तो हो जाये, केवल अल्लाह है। उसका कोई साझी नहीं। उसका कोई हमसर नहीं और न उसके जैसा कोई है। वह पवित्र है और सारी प्रशंसाएं उसी की हैं। उसके अलावा कोई इसकी क्षमता नहीं रखता, चाहे वो नबी अथवा वली ही क्यों न हो। अल्लाह तआला ने फरमाया: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ أَرْجَادًا

"شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" {अर्थातः उसका मामला तो

ये है कि जब वो किसी काम का इरादा करता है, तो

उससे कहता है कि हो जा और वो हो जाता है।}

(सूरा यासीन:82) तथा फरमाया: أَلَا لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ

" {अर्थातः {सुन लो, पैदा वही करता है

और आदेश भी उसी का चलता है। बरकत वाला है अल्लाह, जो समस्त संसारों का रब है।} (सूरा अल-आराफः 54) इस आयत में जिस शब्द को बाद में आना चाहिए था, उसे पहले लाकर ये संदेश दिया गया है कि पैदा करने तथा संसार को संचालन करने का काम केवल अल्लाह का है, जो अकेला है और उसका कोई साझी नहीं।

**प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जायः क्या मुर्दाँ  
को मस्जिद में दफन करना और क़ब्रों पर  
मस्जिद बनवाना जायज़ है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ये अति दर्ज के हराम कार्यों, विनाशकारी बिदअतों और शिर्क तक लेजाने वाले महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। आइशा رَجِيْلَلَّهُ عَنْهُ اَنْهَا سे रिवायत है अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ने अपनी अन्तिम बीमारी में फरमाया, जिससे उठ नहीं सके: "لَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّصَارَىٰ اخْذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ"

अर्थात्: (अल्लाह की लानत हो यहूदियों तथा ईसाइयों पर, उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया।) आइशा رَجِيْلَلَّهُ عَنْهُ اَنْهَا कहती हैं, (आप

उनके इस कृत्य से लोगों को सावधान करना चाहते थे।) इस हीस को बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है। तथा जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने मृत्यु से पाँच दिन पहले फरमाया: "أَلَا وَإِنْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخَذُونَ قُبُورًا" أَنْبِيَاءِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدٌ أَلَا فَلَا تَتَخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، فَإِنِّي "أَرْثَاتُكُمْ" (सुन लो, तुमसे पहले वाले लोग अपने नबियों और नेक लोगों की कब्रों को मस्जिद बना लेते थे। सुन लो, तुम कब्रों को मस्जिद न बनाना। मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ।) इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। कब्रों पर बनी हुई मस्जिदों में नमाज़ जायज़ नहीं है। जब किसी कब्र अथवा कब्रों के ऊपर मस्जिद बन जाय, तो मस्जिद को गिराना ज़रूरी है। इसी तरह यदि ऐसी जगह पर मस्जिद बन जाये जिसमें कब्र न हो, फिर उसमें किसी मुर्दे को दफ़न कर दिया जाय तो मस्जिद नहीं गिराई जायेगी, बल्कि कब्र को खोल कर मदफून शख्स को निकालकर मुसलमानों की आम कब्रिस्तान में दफ़न कर दिया जायेगा।

## प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः कङ्गों पर मस्जिद बनाने का क्या हुक्म है?

उत्तर/ तो कहा जायेगा: कङ्गों के ऊपर निर्माण करना एक नापसन्दीदा बिद्अत है। क्योंमि ये कङ्ग में मौजूद व्यक्ति के बारे में गुलू के साथ-साथ शिर्क का माध्यम भी है। इसलिए कङ्गों पर बने अवैध निर्माण को गिराना और कङ्गों को धरती के बराबर करना ज़रूरी है, ताकि इस बिद्अत का खात्मा हो सके। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही़ में अबुल हय्याज असदी, हय्यान बिन हुसैन से रिवायत किया है, वो कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे कहा: क्या मैं तुम्हें उसी काम के लिए न भेजूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे भेजा था: "أَلَا تَدْعُ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مَشَرَّفًا" (अर्थात्: देखो, तुम्हें जो भी चित्र मिले, उसे मिटा दो और जो भी ऊँची कङ्ग मिले, उसे बराबर कर दो।)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या रसूल  
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद में  
दफन किए गये थे?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः अल्लाह के रसूल  
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आइशा रजियल्लाहु  
अन्हा के कमरे में दफन किये गये थे और आपकी  
कब्र 80 साल से ज़्यादा समय तक मस्जिद के बाहर  
ही रही। फिर किसी उमवी बादशाह ने मस्जिदे नबवी  
के विस्तार का कार्य कराया, तो वो कमरा मस्जिद  
के अन्दर आ गया। उस समय के उलमा ने बादशाह  
को मना किया और इस कमरे को मस्जिद में  
दाखिल करने से सावधान किया, किन्तु वो नहीं  
माना। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व  
सल्लम ने कब्रों पर मस्जिद बनाने से सावधान  
करते हुए फरमाया है "أَلَا وَإِنْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخَذُونَ  
الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، أَلَا فَلَا تَتَخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ  
" (أর्थातः सुन लो, तुमसे पहले लोग कब्रों को  
मस्जिद बना लिया करते थे। देखो, तुम कब्रों को  
मस्जिद न बनाना। मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ।)  
इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह

के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कब्रों पर  
मस्जिद निर्माण करने वालों और चरागँ करने वालों  
पर लानत की है। जैसा कि सुनन की एक हदीस में  
है। परन्तु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व  
सल्लम को अपनी उम्मत के बारे में जिस बात का  
डर था और जिससे बार-बार सावधान किया था,  
दुर्भाग्य से वही हुआ और इसके मुख्य कारण थे,  
इस्लाम की असल शिक्षाओं से अनभिज्ञता और  
खुराफ़ात तथा बिदआत की ओर बुलाने वाले उलमा  
के छल-कपट। वे अल्लाह की निकटता प्राप्त करने  
के लिए ऐसे कार्य करने लगे, जो दरअसल उससे  
शत्रुता और उसके रसूल के विरोध के कार्य थे। जैसे  
मस्जिदों में कब्र बनाना, कब्रों पर परदे लटकाना,  
चरागँ करना, उनका तवाफ़ करना और उनके पास  
दान पेटियाँ रखना। चुनांचे, नेक लोगों से मुहब्बत,  
उनके सम्मान और दुआ के कबूल होने के उद्देश्य  
से उनके माध्यम से अल्लाह की निकटता प्राप्त  
करने के नाम पर, शिर्क और गुमाराही के काम फैलते  
चले गये। दरअसल, ये सब कुछ पिछली गुमराह  
कौमों की मीरास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु  
अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "لَتَبْيَعُنَّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ"

حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه" (अर्थात्: निःसंदेह तुम पिछली कौमों का पूरा-पूरा अनुसरण करोगे। यहाँ तक कि यदि वे गोह के बिल में प्रवेश किये होंगे, तो तुम भी प्रवेश करोगे।) इस हदीस को बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या**

**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम  
अपनी क़ब्र में जीवित हैं और कुछ लोगों के  
अक़ीदे के अनुसार मीलाद के समय लोगों  
के सामने उपस्थित होते हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः चारों इमाम, बल्कि पूरी उम्मत इस बात पर एकमत है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शरीर को, उससे प्राण निकलने के पश्चात ही दफ़ن किया था। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने आपको जीवित ही दफ़ن कर दिया हो। फिर, सहाबा ने आपके बाद आपका ख़लीफ़ा नियुक्त कर दिया, आपकी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा

ने मीरास (बपौती) से हिस्सा माँग लिया तथा सहाबा, ताबिर्झन और चारों इमामों में से किसी से ये नक़ल नहीं किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मौत के बाद कभी कब्र से निकले हों। ऐसे में, ये दावा करना कि आप लोगों के लिए अपनी कब्र से निकलते हैं, मूर्खता, झूठ, शैतान के धोखा तथा अल्लाह एवं उसके रसूल पर मिथ्यारोप के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि स्वयं अल्लाह तआला ने फरमाया है: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ: {अर्थात्: मुहम्मद तो बस एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत-से रसूल गुज़र चुके हैं। तो क्या, यदि वो मर गये अथवा क़त्ल कर दिए गये, तो तुम उलटे पाँव फिर जाओगे?} तथा फरमाया: "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" {अर्थात्: निःसंदेह, आप मरने वाले हैं और वे भी मरने वाले हैं।} यहाँ अल्लाह तआला ने आपकी मृत्यु की सूचना को लोगों की मृत्यु की सूचना से जोड़कर बयान किया है, ताकि ये स्पष्ट हो जाय कि ये वास्तविक मौत एवं इस संसार से बरज़खी संसार की ओर स्थानांतरण है, जिससे बस एक ही बार उस समय

निकलना है, जब हिसाब-किताब और बदले के लिए सारे लोगों को कब्रों से निकालकर मैदाने हश्म में एकत्र किया जायेगा। आपके क़ब्र से निकलने का अकीदा रखने वाले जाहिलों और मूर्खों के खण्डन के लिए इमाम कुरतुबी मालिकी (मृत्यु 656 हिजरी) की पूस्तक 'अल-मुफहम अन खुराफति खुरुजिही - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- मिन क़बरिही' से इस उद्धरण को नकल करना उचित मालूम होता है: (पहली नज़र में ही इस अकीदे का ग़लत होना स्पष्ट हो जाता है। इस अकीदे को मान लेने से ये आवश्यक हो जाता है कि आपको जो भी देखे, उसी शक्ल-सूरत में देखे, जो मृत्यु के समय आपकी थी, आपको दो देखने वाले एक ही समय में दो जगहों में न देखें, आप अभी जीवित हों और अपनी क़ब्र से निकलें, बाज़ारों में चलें, लोगों से बात करें और लोग भी आपसे बात करें। इस अकीदे को मानने से ये भी आवश्यक हो जाता है कि आपकी क़ब्र आपके शरीर से खाली हो जाय और उसमें आपके शरीर का कोई भी अंग मौजूद न रहे, फिर खाली क़ब्र की ज़ियारत की जाय और अनुपस्थित व्यक्ति पर सलाम किया जाय, क्योंकि संभव है कि कभी-कभी

आप क़ब्र से बाहर भी हों!! ये सारी नादानी की बातें हैं, जिसके अन्दर थोड़ी सी भी समझ-बूझ होगी, वो इनपर विश्वास नहीं कर सकता।) उनकी बात समाप्त हुई।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः बिद्‌अत क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार का क्या हुक्म है? और क्या इस्लाम में 'बिद्‌अते हसना' कोई चीज़ है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः बिद्‌अत हर वो कार्य है, जिसे बन्दा बिना किसी शरई प्रमाण के अपने रब की वंदना समझकर करे। बिद्‌अत के दो प्रकार हैंः काफिर बना देने वाली बिद्‌अतः उदाहरणतः कोई मरे हुए व्यक्ति की निकटता प्राप्त करने के लिए उसकी क़ब्र का तवाफ़ करे। तथा ऐसी बिद्‌अत जो काफिर तो न बनाये, परन्तु पाप का हक्कदार बना देंः जैसे कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या किसी वली की मीलाद मनाये, इस शर्त पर कि उसमें कोई कुफ़्र अथवा शिर्क की मिलावट

न हो। जात हो कि इस्लाम में 'बिदूअते हसना' नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि हर बिदूअत पथभ्रष्टता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हैः "إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ إِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ" (अर्थात्: तुम धर्म के नाम पर अस्तित्व में आने वाली नयी वस्तुओं से बचो। क्योंकि निःसंदेह धर्म के नाम पर अस्तित्व में आने वाली हर नयी वस्तु बिदूअत है और हर बिदूअत पथभ्रष्टता है।) तथा एक रिवायत में हैः "وَكُلُّ ضَلَالٍ فِي النَّارِ" (अर्थात्: (और हर गुमराही नरक तक ले जाती है।) इस हडीस को इमाम अहमद और नसई ने रिवायत किया है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी भी बिदूअत को अलग किये बिना, हर बिदूअत को पथभ्रष्टता कहा है। पता चला कि सारी बिदूअतें हराम हैं। जात हो कि बिदूअती सवाब का हकदार नहीं है, क्योंकि बिदूअत, धर्म के सम्पूर्ण होने के बाद उससे कुछ और चीज़ों को जोड़ने के अर्थ में है। यही कारण है कि बिदूअत को बिदूअती के मुँह पर मार दिया जायेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (अर्थातः जिसने कोई ऐसा कार्य किया, जिसके बारे में हमारा आदेश न हो, तो उसका वो कार्य उसी के मुँह पर मार दिया जायेगा।) इस हडीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है। तथा आपने फरमाया: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" (अर्थातः जिसने हमारे इस धर्म में कोई ऐसा नया कार्य किया, जो उसका भाग नहीं है, तो उसका वो कार्य स्वीकार-योग्य नहीं है।) इसे बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कौलः** "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" (अर्थातः जिसने कोई नया तरीका निकाला, उसे उसका सवाब मिलेगा तथा उसपर अमल करने वालों का सवाब मिलेगा) का क्या अर्थ है?

**उत्तर/** तो आप कह दीजिए: (जिसने कोई नया तरीका निकाला, जो अच्छा हो) अर्थात्, जिसने कोई ऐसा कर्म किया जो इस्लाम ने सिखाया है, लेकिन

लोगों ने भुला दिया है या यूँ कह सकते हैं कि जिसने किसी ऐसे काम की ओर बुलाया जो कुर्झान तथा सुन्नत में मौजूद है, परन्तु लोगों ने उसे छोड़ दिया है, तो उसे उसका अनुसरण करने वालों का सवाब मिलेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बात कुछ निर्धन लोगों को दान करने की प्रेरणा देने के लिए कही थी, जो लोगों से माँगने पर मजबूर थे। फिर ये भी गौर करने का स्थान है कि जिस व्यक्ति ने यह कहा कि (जिसने कोई नया तरीका निकाला, जो अच्छा हो), उसीने (हर बिद्अत पथभ्रष्टता है।) भी कहा है। सुन्नत का सात कुर्झान तथा हदीस है जबकि बिद्अत निराधार एवं कुछ बाद के लोगों की उपज होती है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः तरावीह की नमाज़ के सम्बन्ध में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कथनः (यह क्या ही अच्छी बिद्अत है!) और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु**

के दौर में जुमे के दिन दूसरी अज्ञान को  
रिवाज देने के बारे में आप क्या कहेंगे?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः उमर रज़ियल्लाहु अन्हु  
के कथनः (यह क्या ही अच्छी बिद्अत है!) का यहाँ  
शाब्दिक अर्थ अभिप्राय है, शरई अर्थ नहीं। क्योंकि  
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात केवल तरावीह  
की नमाज़ के बारे में कही है, जिसे नबी सल्लल्लाहु  
अलैहि व सल्लम ने सुन्नत करार दिया है। चुनांचे  
उनका यह कार्य अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि  
व सल्लम के कार्य के अनुसार ही था। और अल्लाह  
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कार्य को  
पुनः जीवित करना, बिद्अत नहीं, बल्कि सुन्नत को  
दोबारा जारी करना, भूले हुए कार्य को याद दिलाना,  
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सिखाये  
एवं किये हुए कार्य की ओर पुनः बुलाना है। जहाँ  
तक उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कार्य की बात है,  
तो याद रखना चाहिए कि उनके तथा उनके सिवा  
अन्य खुलफ़ा-ए-राशिदीन के अनुसरण की बात स्वयं  
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने  
फरमायी थी। आपका फरमान **عليكم بستي وسنة** हैः"

"الخلفاء الراشدين" (अर्थात्: खुलफा -ए-राशिदीन की सुन्नत को पकड़े रहना।) जबकि खुलफा-ए-राशिदीन के अतिरिक्त अन्य लोगों का हाल ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुन्नत को स्वयं अपने और खुलफा-ए-राशिदीन के साथ सीमित कर दिया है और उनके सिवा अन्य लोगों को शामिल नहीं किया है। जबकि सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम बिद्अत एवं धर्म के नाम पर अस्तित्व में आने वाली नयी वस्तुओं से सावधान करने के मामले में सबसे आगे थे। इसका एक उदाहरण यह है कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि कुछ लोगों ने इस्लाम में एक नयी वस्तु जारी करते हुए खास अन्दाज़ में सामूहिक ज़िक्र शुरू कर दिया है, जबिक उनकी नीयत भी सही थी, तो फरमाया: (तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके साथियों से जान में बढ़ गये हो या अत्याचार करते हुए बिद्अत ले आये हो?) और जब उन्होंने कहा: (हमारा इरादा तो भलाई का है।) तो फरमाया: (ज़रूरी नहीं है कि भलाई का इरादा करने वाला हर व्यक्ति उसे पा ही ले।) इस हदीस को दारिमी ने अपनी

सुनन में रिवायत किया है। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अधिकांश अपनी सभाओं में कहा करते थे: (अनुसरण करो और धर्म के नाम पर कोई नया कार्य न करो।) और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया: (हर बिदअत पथभ्रष्टता है, यद्यपि लोग उसे अच्छा समझें।)

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः नबी ﷺ के जन्म दिवस् पर किसी प्रकार की सभा का आयोजन करना सुन्नत है या बिदअत?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जन्म दिवस पर उत्सव मनाने का ज़िक्र न तो कुरआन में है और न हडीस में। इसलिए इसका कोई शरई प्रमाण नहीं है। साथ ही ये न तो किसी सहाबी से सिद्ध है और न चार इमामों में से किसी ने इसे जाय़ज कहा है। हालाँकि यदि नेकी का काम होता, तो उन्होंने अवश्य किया होता। मीलाद मनाने वालों का दावा है कि वे आपके जन्म दिन का उत्सव आपकी मुहब्बत में मनाते हैं और आपसे मुहब्बत रखना हर मुसलमान पर अनिवार्य है, इसके बिना कोई व्यक्ति सत्यवादी मोमिन नहीं हो सकता।

परन्तु ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपकी मुहब्बत आपके अनुसरण में निहित है, जन्म दिवस पर उत्सव मनाने में नहीं। इस बिद्अत की शुरूआत कुर्धम बाती बादशाहों ने की थी, जिन्होंने अपना नाम फ़ातिमी रख लिया था। वो भी अल्लाह के रसूल की मृत्यु के चार शताब्दियों बाद। फिर ये लोग आपकी पैदाइश का जश्न सोमवार के दिन मनाते हैं, जो आपकी मृत्यु का दिन है। दरअसल आपका जन्मोत्सव मनाना, ईसाइयों की नक्काली है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस को उत्सव के तौर पर मनाते हैं। जबकि अल्लाह तआला ने हमें सम्पूर्ण और स्वच्छ शरीअत प्रदान करके बिद्अतों, नित-नयी चीज़ों और पथभष्ट क्रौमों की मनगढ़त वस्तुओं ने बेनियाज़ कर दिया था। सारी प्रशंसाएं अल्लाह की हैं, जो सारे संसारों का पालनहार है।

**प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः जादू करतब सीखने अथवा जादू करने का क्या हुक्म है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः जादू सीखना, सिखाना और उसपर अमल करना कुफ़्र है। क्योंकि अल्लाह

وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ هُمْ  
 سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاسَ  
 السَّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَأْبَلٍ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ  
 أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ  
 يِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ يِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُإِذْنِ اللَّهِ  
 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي  
 "अर्थात्: और उन चीजों का अनुसरण करने लगे जो शैतान सुलैमान के राज्य का नाम लेकर पेश किया करते थे, हालाँकि सुलैमान ने कभी कुफ्र नहीं किया, कुफ्र में तो वे शैतान पड़े थे जो लोगों को जादूगरी की शिक्षा देते थे। वे पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबिल में दो फ़रिश्तों, हारूत तथा मारूत पर उतारी गयी थी, हालाँकि वे जब भी किसी को उसकी शिक्षा देते थे, तो पहले कह दिया करते थे कि हम केवल आज़माइश (जाँच एवं परीक्षण हेतु आए) हैं, तू कुफ्र में न पड़। फिर भी ये लोग उनसे वही चीज़ सीखते थे, जिससे पति और पत्नि में जुदाई डाल दें। यह स्पष्ट बात थी कि अल्लह की अनुमति के बिना वे इसके द्वारा किसी को भी हानि नहीं पहुँचा सकते थे, किन्तु फिर भी वे ऐसी विधि सीखते थे जो उनके लिए लाभकारी नहीं, बल्कि

हानिकारक थी और वे भली भाँति जानते थे कि जो इस चीज़ का खरीदार बना, उसके लिए आखिरत (प्रलोक) में कोई भाग नहीं।} (सूरा अल्-बक्तरा: 102) एक अन्य स्थान में फरमाया है: "وَمِنْهُنَّ بِالْجِبْتِ"  
 "وَالظَّاغُوتِ" {अर्थात्: वे जादू और तागूत को मानते हैं।} (सूरा अन्-निसा: 51)

आयत में मौजूद शब्द 'अल्-जिब्त' की व्याख्या जादू से की गयी है। इस तरह अल्लाह ने जादू और 'तागूत' (वो सारी वस्तुएं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर अथवा अल्लाह के साथ उपासना योग्य ठहरा लिया जाय) को एक साथ मिलाकर बयान किया है, यह स्पष्ट करने के लिए कि जिस प्रकार तागूत को मानना कुफ्र है, उसी प्रकार जादू करना भी कुफ्र है। 'तागूत' के इन्कार का एक आवश्यक अंग यह है कि जादू के ग़लत होने का विश्वास रखा जाय। साथ ही यह विश्वास भी रखा जाय कि जादू का विद्या अपवित्र है, दीन और दुनिया दोनों को सत्यानाश करने वाला है, जादू एवं जादूगरों से बचना तथा अलग-थलग रहना अनिवार्य है।

وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ "अल्लाह तआला ने फरमाया: "अर्थात्: और गाँठों में फूँकने वालों की बुराई से तेरा शरण माँगता हूँ।} (सूरा अल-फलकः 4) तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "اجتنبوا السبع الموبقات" (सात विनाशकारी वस्तुओं से बचो) तथा उनमें से एक जादू बताया। और हदीस में है: "من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن من تطير أو تطير له أو تكهن له أو سحر أو سحر له" (अर्थात्: जिसने कोई गाँठ लगायी, फिर उसमें फूँक मारी उसने जादू किया और जिसने जादू किया उसने शिर्क किया।) इसे नसई ने रिवायत किया है। और बज़ार ने रिवायत किया है: "لَيْسَ مِنَ الظَّالِمِ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ مَنْ يَعْلَمُ بِهِ" (अर्थात्: वह व्यक्ति हममें से नहीं, जिसने स्वयं पक्षी उड़ाकर शगुन मालूम किया अथवा उसके लिए पक्षी उड़ाकर शगुन मालूम किया गया, भविष्य की बात बतायी अथवा उसके लिए भविष्य की बात बतायी गयी अथवा जादू किया या उसके लिए जादू किया गया।) जादूगर की सज़ा कत्ल है। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सभी प्रान्त के शासकों के नाम यह लिख भेजा था कि: "أَنْ اقْتُلُوَا كُلَّ سَاحِرٍ"

"وساحرة" (अर्थात्) हर जादूगर एवं जादूगरनी को क़त्ल कर दो।) इसे बुखारी ने रिवायत किया है। और जुन्दुब रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "حد السحر ضربه بالسيف" (अर्थात्: जादू का दण्ड तलवार से सिर उड़ा देना है।) इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। और हफ्सा रजियल्लाहु अन्हा ने अपनी एक दासी को क़त्ल कर दिया था, जिसने उनपर जादू किया था।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः कुछ लोग  
अपने आपको घायल करने और कठोर  
वस्तुओं को खाने का करतब दिखाते हैं।  
उनके इन करिश्मों (चमत्कारपूर्ण कार्य) को  
क्या नाम दिया जायेगा; जादू हाथ की सफाई  
अथवा करामत?**

**उत्तर/** तो आप कह दीजिए: करतब दिखाने वाले उक्त कार्य शैतान की सहायता से करते हैं। कभी-कभी जादू का प्रभाव लोगों की आँखों पर भी हो जाता है और अवास्तविक वस्तु वास्तविक नज़र

आने लगती है। जैसा कि फिरौन के जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम और घटना स्थल पर उपस्थित अन्य लोगों के साथ किया। पूरी घटना का ज़िक्र कुर्ओन में है। मूसा अलैहिस्सलाम को लगाने लगा था कि जादूगरों की रस्सियाँ दौड़ रही हैं, हालाँकि वो दौड़ नहीं रही थीं। अल्लाह तआला ने फरमाया: "يَعْلَمُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَ" {अर्थात्: उनके जादू के कारण उन्हें ये लगा कि रस्सियाँ दौड़ रही हैं।} (सूरा ताहा: 66) यदि इन करतब बाज़ों के पास आयतुल कुरसी, सूरः अल-फलक़, सूरः अन-नास, सूरः अल-फ़ातिहा और सूरः अल-बक़रा की आखिरी आयतें पढ़ ली जायें, तो अल्लाह की अनुमति से जादू और करतब का प्रभाव खत्म हो जायेगा, इनका छल एवं धोखा सामने आ जायेगा और झूठ स्पष्ट हो जायेगा।

जबकि करामत केवल अल्लाह के नेक, एकेश्वरवाद पर प्रकट होता है और बिद्भात तथा खुराफ़ात अर्थात् खुराफ़ात से बचने वाले बन्दों के हाथों से प्रकट नहीं होती है। दरअसल करामत मोमिन के लिए भलाई की प्राप्ति अथवा विपत्ति से बचाव का एक माध्यम है। किसी से करामत प्रकट होने का

अर्थ यह नहीं है कि वह वयक्ति उन मोमिनों से उत्तम है, जिनसे करामत प्रकट नहीं हुई है। यहाँ ध्यान रहे कि करामत कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसकी चर्चा की जाय, बल्कि उसे छुपाना चाहिए। साथ ही उसपर भरोसा करने और उसके द्वारा लोगों को धोखा देने से बचना चाहिए।

## प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः जादूगर के पास दावा-दारू के लिए जाने का क्या हुक्म (आदेश) है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः जादूगर अथवा जादूगरनी के पास उनसे कुछ पूछने और दवा-दारू के लिए जाना जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इससे मना किया है। इसका प्रमाण ये है कि जब अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जादू द्वारा जादू खोलने के विषय में पूछा गया तो फरमायाः "هِيْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (अर्थातः ये शैतानी कार्य है।) इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया है। और कोई भी शैतानी कार्य न तो जायज़ है, न उससे लाभ

उठाना सही है और न उससे किसी भलाई की आशा की जा सकती है।

**प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जायः जादू होने से पहले जादू से कैसे बचाव किया जाय और यदि जादू कर दिया जाय, तो उसका उपचार कैसे हो?**

**उत्तर/** तो आप कह दीजिएः प्रातः तथा संध्या के अज्ञकार (दुआओं) की पाबन्दी की जाय। विशेष रूप से इस ज़िक्र (दुआ) की पाबन्दी की जायः (بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (अर्थातः अल्लाह के नाम से आरंभ करता हूँ, जिसके नाम के साथ धरती एवं आकाश में कोई वस्तु हानि नहीं पहुंचा सकती। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है।) इसे प्रातः संध्या तीन तीन बार पढ़ा जाय। इसी प्रकार ये ज़िक्र पढ़ा जायः (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) (अर्थातः (मैं अल्लाह के सम्पूर्ण शब्दों के शरण में आता हूँ, उसकी पैदा की हुई वस्तुओं की दुष्टता से।) तथा घर के लोगों और बाल-बच्चों की रक्षा के लिए ये दुआ पढ़ी जायः

(أعِذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ  
(अर्थातः मैं तुम्हें अल्लाह के पूर्ण शब्दों के शरण में देता हूँ, हर शैतान तथा ज़हरीले कीड़े से और हर लगने वाली आँख ले।) जैसा कि हदीस में है। इसी तरह प्रातः व् संध्या सूरा अल्- इख्लास, सूरा अल-फलक और सूरा अन्-नास पढ़ना तथा रात में आयतुल कुर्सी और सूरा बक़रः की आखिरी दो आयतें पढ़ना तथा प्रातः के समय सात खजूरें खाना जादू से बचाव में महत्वपूर्ण है।

यदि किसी पर जादू कर दिया जाय, तो जादू किये हुए व्यक्ति पर कुर्�आन तथा सहीह हदीसों में आने वाली दुआएं पढ़ी जायें, पछना लगाया जाय, यदि जादू वाले सामान मिल जायें तो उन्हें नष्ट कर दिया जाय, अल्लाह की अनुमति से जादू खुल जायेगा और प्रभावित व्यक्ति को स्वास्थ्य प्राप्त हो जायेगा।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या भविष्यवाणी करने वालों, गैब (परोक्ष) की बातें बताने वालों, जादूगरों, प्याली अथवा**

हथेली पढ़ने वालों तथा नक्षत्रों एवं राशियों  
के ज्ञान द्वारा भविष्य के बारे में जानने  
का दावा करने वालों के पास जाना जायज़  
है?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः उनके पास जाना, उनसे  
कुछ पूछना और उनकी झूठी-सच्ची बातों को सुनना  
हराम है। अल्बत्ता, यदि कोई दक्ष तथा इस्लाम का  
ज्ञान रखने वाला व्यक्ति उनके झूठ को सामने लाने  
और उनकी मक्कारियों को उजागर करने के लिए  
ऐसा करने चाहे, तो उसे इसकी अनुमति है। जबकि  
साधरण सीधे-सादे लोगों के लिए अनिवार्य है कि  
प्रत्येक परोक्ष का दावा करने वाले व्यक्ति उससे  
सावधान रहें

और उसकी शठता से बचे। बहुत ही नाकाम है वो  
 व्यक्ति, जो उनकी गढ़ी हुई असत्य बातों और  
 अटकलपच्चुओं पर विश्वास करे। अल्लाह के रसूल  
 سलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "من أتى  
 عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى  
 الله عليه وسلم" (अर्थात्: जो किसी गैब (परोक्ष) की  
 बात बताने वाले अथवा भविष्यवाणी करने वाले के  
 पास जाये और उसकी बात को सच माने, उसने  
 मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि व सल्लम पर  
 औतरित शरीअत का कुफ्र (इंकार) किया।) इसे  
 अहलुस सुनन ने रिवायत किया है। आपने यह भी  
 "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين" फरमाया:  
 (अर्थात्: जो किसी गैब (परोक्ष) की बात  
 बताने वाले के पास जाये और उससे कोई बात  
 पूछे तो उसकी चालीस दिनों की नमाज़ स्वीकार  
 नहीं होगी।) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत  
 किया है।

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आप इस हृदीस के बारे में क्या कहते हैं "تعلموا السحر"-

"و لا تعلموا به" (अर्थात्: जादू सीखो, परन्तु उसपर अमल न करो?)

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर मन्सूब एक झूठी हृदीस है। भला ये कैसे संभव है कि आप जादू से रोकें और उसे सीखने का आह्वान करें?

प्रश्न/ फिर यदि आपसे कहा जायः मनुष्यों में नबियों के पश्चात् सबसे सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम कौन हैं?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम। चूंकि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समस्त नबियों से उत्तम थे, इसलिए आपके साथी भी तमाम नबियों के साथियों से उत्तम होंगे। फिर उनमें सबसे उत्तम अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "اللهم اطع نبيك و لا غربة بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر"

(अर्थात्: नबियों और रसूलों के पश्चात् सुर्य किसी ऐसे व्यक्ति पर उदय और लुप्त नहीं, जो अबू बक्र से उत्तमतर हो।) फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, फिर जन्नत की शुभसूचना पाने वाले बाकी दस सहाबा। सहाबा किराम आपस में एक-दूसरे से प्यार करते थे। यही कारण है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटों के नाम उनसे पहले के तीन खलीफों के नाम पर रखे। चुनाँचे उनके कुछ बेटों के नाम अबू बक्र, उमर और उस्मान थे। वो व्यक्ति झूठा है जिसने कहा कि: आम सहाबा अहले बैत से मुहब्बत नहीं रखते थे और अहले बैत आम सहाबा से मुहब्बत नहीं रखते थे। ये दरअसल अहले बैत और आम सहाबा के दुश्मनों का मिथ्यारोप हैं। अल्लाह उन सबसे प्रसन्न हो।

**प्रश्न/ यदि आपसे कहा जाय: सहाबा**

**रजियल्लाहु अन्हुम के विषय में हमपर क्या करना आवश्यक है और उनमें से किसी को गाली देने का क्या हुक्म है?**

**उत्तर/ तो आप कह दीजिए: समस्त सहाबा से मुहब्बत रखना, उनका सम्मान करना और उनसे**

प्रसन्न रहना अनिवार्य है। क्योंकि अल्लाह तआला ने बिना भेदभाव के तमाम सहाबा से अपनी प्रसन्नता की घोषणा की है। जैसा कि उसके इस कथन में है: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالذِّينَ: أَتَبْعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَ اللَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مَعِيشَةً فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" {अर्थातः: वे घर-बार छोड़ने वाले (मुहाजिर) और उनके सहायक (अन्सार) जो सबसे पहले ईमान के आमंत्रण को स्वीकार करने में अग्रसर रहे, और वे भी जो बाद में सत्यनिष्ठा के साथ पीछे आये, अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ और वे अल्लाह से प्रसन्न हुए, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे उनमें सदैव रहेंगे, यही उच्च श्रेणी की सफलता है।} (सूरा अत्-तौबा: 100) एक और स्थान पर फरमाया: "لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّنُونَ لَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ" {अर्थातः: अल्लाह ईमान वालों से खुश हो गया, जब वे वृक्ष के नीचे आपसे बैतत कर रहे थे।} (सूरा अल्-फत्ह: 18) तथा सहाबा के बारे में फरमाया: "وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَى" {अर्थातः: अल्लाह ने हरेक से अच्छे वादे किये हैं।} (सूरा अल्-हदीद: 10) इसी

प्रकार मुसलमानों की माओं (अल्लाह के रसूल की पत्नियों) से मुहब्बत रखना और उनका सम्मान करना अनिवार्य है तथा उनके बारे में ज़बान दराज़ी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये महा पापों में से है। अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ" {अर्थात्: और उसकी पत्नियाँ उनकी माताएं हैं।} (सूरा अल-अह़ज़ाब: 6) अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सारी पत्नियाँ मोमिनों की माताएं हैं। क्योंकि अल्लाह ने माँ घोषित करते समय उनमें से किसी को अलग नहीं किया है। तथा अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु की एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "لَا تُسْبِوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا،" (अर्थात्: तुम मेरे सहाबा को गाली न देना, क्योंकि तुममें से कोई यदि उहुद पर्वत के बराबर सोना दान कर दे, तो उनके एक अथवा आधे मुद्द के बराबर भी नहीं हो सकता। (एक मुद्द ६०० ग्राम का होता है)) इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

उनके इस सम्मान पर कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वे ऐसे लोग थे, जिन्होंने अल्लाह के धर्म की रक्षा के लिए जान तथा माल सब कुछ न्योछावर कर दिया, अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वाले निकटवर्तियों और दूर के लोगों से युद्ध की, घर-परिवार छोड़कर अल्लाह के मार्ग में हिजरत की। वही, मुसलमानों को प्रलय दीवस तक मिलने वाली हर भलाई और अच्छाई के कारण हैं। वे अन्तिम दिन तक मुसलमानों के तमाम सत्कर्मों के सवाब के अधिकारी हैं। न पिछली किसी समुदाय में उन जैसे लोग पैदा हुए हैं, न आने वाली कौमों में होंगे। अल्लाह उनसे प्रसन्न हो और उन्हें प्रसन्न रखे। उनके भाग में विनाश तथा तबाही है, जो उनसे शत्रुभाव रखते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, उनका चरित्र हनन करते हैं और उनमें से किसी पर दोषारोपन करते हैं।

**प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जाय: जो व्यक्ति रसूल ﷺ के साथियों में से किसी को गाली दे अथवा मोमिनों की माओं) रसूल ﷺ**

**की पवित्र पत्नियों (में से किसी को गाली दे,  
उसका क्या दण्ड है?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ऐसा व्यक्ति अल्लाह  
की कृपा से दूर हो जाता है। अल्लाह के रसूल  
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "من سب"  
"أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (अर्थातः  
जिसने मेरे सहाबा को गाली दी, उसपर अल्लाह,  
फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत अर्थात् दुतकार  
है।) इस हदीस को तबरानी ने रिवायत किया है।  
किसी सहाबी अथवा उम्मुल मोमिनीन को बुरा भला  
कहने वाले का घोर विरोध एवं खण्डन होना चाहिए।  
जबकि प्रशासन तथा विशेष प्राधिकरणों को चाहिए  
कि इस प्रकार के कुचरित्र लोगों को कठोर दण्ड दें।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या यह  
कहना उचित होगा कि सब धर्म एक हैं?**

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ये मानना जायज़ नहीं  
है कि सभी धर्म एक हैं। ये अति दर्ज का कुफ्र है।  
क्योंकि सभी धर्मों को एक मानने का अर्थ है, अल्लाह  
को झुठलाना, उसके आदेश का उल्लंघन करना और

कुफ़ तथा ईमान एवं सत्य तथा असत्य को बराबर करार देना। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात के ग़लत होने पर कदापि संदेह नहीं हो सकता कि अल्लाह का दीन और 'तागूतों' का धर्म समान है। भला एकेश्वरवाद तथा अनेकेश्वरवाद और सत्य तथा असत्य एक साथ एकत्रित कैसे हो सकते हैं? जबकि अल्लाह का दीन सत्य है और उसके सिवा अन्य धर्म असत्य हैं। अल्लाह ने अपने धर्म को सम्पूर्ण कर दिया है और अपनी नेमत पूरी कर दी है। अल्लाह का फरमान है: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتُمْ<sup>1</sup>" {अर्थात्: आज, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को सम्पन्न कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म के तौर पर पसन्द कर लिया।} (सूरा अल-माइदा: 3) ऐसे मैं न उसमें कोई कमी-बेशी उचित है, न किसी कुफ़ पर आधारित धर्म को उसके समान करार देना अथवा उसके साथ इकट्ठा सही है। सच ये है कि इस तरह का अकीदा कोई समझदार मुसलमान रख नहीं सकता और न इसकी ओर कोई ऐसा व्यक्ति प्रेरित हो सकता है, जिसके अन्दर किंचित परिमाण अकल और ईमान हो। अल्लाह का

"وَمَنْ يَتَّخِذُ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي: है" फरमान "وَمَنْ يَتَّخِذُ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي: है" (الآخرة من الحاسرين) अर्थात्: जो इस्लाम के सिवा किसी अन्य धर्म को ढूँढेगा, उसकी ओर से उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा और वो प्रलोक में हानि उठाने वालों में होगा।} (सूरा आले इमरान: 85) और अल्लाह के रसूल سललल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصراويٌ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كأن من أصحاب النار" (अर्थात्: उस हस्ती की सौगंध! जिसके हाथ में मुहम्मद की प्राण है, इस उम्मत का जो व्यक्ति भी मेरे बारे में सुनेगा, यहूदी हो अथवा ईसाई, फिर मेरे लाये हुए धर्म पर ईमान लाये बिना मर जायेगा, वो नरक जाने वालों में से होगा।) इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

**प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह पर ईमान लाने, उसे एक मानने और उसके**

## रसूल की सुन्नत पर स्थिर रहने से क्या मिलेगा?

उत्तर/ तो आप कह दीजिएः ईमान से व्यक्ति, समाज और समुदाय को संसार एवं प्रलोक की सारी भलाइयाँ प्राप्त होंगी। आकाश और धरती की बरकतें उनपर खोल दी जायेंगी। अल्लाह अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْيَ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" {अर्थातः यदि बस्तियों वाले ईमान लाते तथा अल्लाह से डरते तो हम उनपर आकाश और धरती की बरकतें खोल देते। परन्तु उन्होंने झुठलाया तो हमने उन्हें उनके करतूतों के कारण पकड़ लिया।} (सूरा अल-आराफः 96)

इसी प्रकार ईमान से मन को शान्ति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है और हृदय को आनन्द मिलता है। अल्लाह तआला ने फरमाया: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّئِنُ" {अर्थातः जो लोग ईमान लाये, उनके दिलों को अल्लाह की याद से शान्ति प्राप्त होती है, याद रखो, अल्लाह की याद ही ऐसी चीज़ है, जिससे दिलों को शान्ति प्राप्त होती

है।} (सूरा अर्-रअदः 28) सत्यवादी मोमिन, जो तौहीद पर स्थिर हो और नबी की सुन्नत का अनुसरण करता हो, पवित्र जीवन व्यतीत करता है। उसका हृदय प्रसन्न और आत्मा तृप्त होती है। परेशानी उसके निकट नहीं आती, दुख उसे छूकर नहीं गुज़रती, शैतान की भ्रमित करने, डराने और शोकातुर करने की कोशिशें सफल नहीं हो पातीं। वो इस लोक मेंें कभी निराशा का शिकार नहीं होता और परलोक में जन्नत की नेमतों का अनन्द उठायेगा।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ  
أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَئِنْ حَيَّنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَئِنْ جُرِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ {अर्थातः जो भी सत्कर्म करेगा, नर हो अथवा नारी, शर्त ये हि कि वो मोमिन हो, हम उसे पवित्र जीवन प्रदान करेंगे और उनके सत्कर्मों का उत्तम बदला प्रदान करेंगे।} (सूरा अन-नहलः 97)

मेरे मुसलमान भाइयो और बहनो! इस बात का प्रयास करें कि आप भी उक्त शुभ सूचना प्राप्त करने वालों और अल्लाह के इस वचन के अंतर्गत आने वालों में सम्मिलित हो जायें।

## निष्कर्ष

मेरे सम्मानित भाई एवं बहन!

उस अल्लाह की प्रशंसा करता हूँ, जिसने हमारे लिए दीन (धर्म) को पूर्ण किया, हमपर अपनी कृपा और अनुग्रह को पूरा किया और हमें इसलाम धर्म प्रदान किया, जो सत्य, तौहीद (एकिश्वर्वाद) और इसलोक तथा परलोक की भलाई का धर्म है।

प्रिय बन्धु, सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि कुर्�आन तथा सुन्नत आधारित एवं सहाबा किराम की समझ के अनुसार शरीअत का जान अर्जन किया जाय। ताकि समझ-बूझ के साथ अल्लाह की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो तथा संदेहों एवं सत्य से हटाने वाले फिल्नों से बचाव संभव हो सके। हर व्यक्ति, चाहे उसका पद, कितना ही उच्च क्यों ने हो, जानार्जन के आदेश में सम्मिलित है और उसका मुहताज है।

दूसरों को जाने दीजिए, स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी उनके रब ने जानार्जन का आदेश दिया था। अल्लाह तआला ने फरमाया: "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَهُ"

"إِلَّا اللَّهُ أَعْلَمُ" {अर्थातः आप जान लीजिए कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है।} (सूरा मुहम्मदः 19) आपको आदेश दिया गया था कि अपने रब से अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति की दुआ करें। अल्लाह तआला ने फरमाया: "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" {अर्थातः तथा आप कह दीजिए: हे मेरे रब! मेरे ज्ञान में वृद्धि कर।} (सूरा ताहा: 114) इसलिए, अपने नबी और इमाम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीके पर संतुष्ट रहिए और लोक-परलोक में भलाई तथा उच्च स्थान की शुभ सूचना स्वीकार कीजिए। अल्लाह तआला ने फरमाया: "يَرْفَعُ اللَّهُ أَذْلِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ" {अर्थातः अल्लाह तुममें से उन लोगों को उच्च श्रेणियाँ प्रदान करता है, जो ईमान लाये तथा ज्ञान दिये गये।} (सूरा अल-मुजादला: 11)

ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसपर अमल कीजिए और भलाई तथा ज्ञान को फैलाने का प्रयास कीजिए, ताकि सत्किर्मियों और समाज-सुधारकों की श्रेणी में शामिल हो सकें और आहवान किये गये लोगों और मानने वालों का सवाब प्राप्त कर सकें। सच ये है कि फर्ज कामों की अदायगी के पश्चात कोई कर्म

ज्ञान को फैलाने तथा भलाई की ओर बुलाने से  
उत्तम नहीं है।

लोगों को सत्य की ओर बुलाने वालों के सम्मान  
एवं प्रतिष्ठा के क्या कहने? वही अल्लाह की अनुमति  
से लोगों को अज्ञानता, पथभ्रष्टता और अन्धविश्वास  
के अन्धेरों से मुक्ति दिलाकर शान्ति, प्रकाश,  
मार्गदर्शन तथा जन्नत के मार्ग पर लगाने वाले हैं।  
तथा सारी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं।

## सूचियाँ

- शैख सलाह अल-बुदैर की प्रस्तावना .....1
- संकलनकर्ताओं की प्रस्तावना .....3
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आपका रब  
(पालनहार) कौन है? .....6
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आपने अपने  
रब (पालनहार) को कैसे जाना? .....6
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आप का धर्म  
क्या है? .....8
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः ईमान के  
अर्कान (सतम्भ) कितने हैं? .....9
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह  
तआला पर ईमान लाने से क्या अभिप्राय  
है? .....11
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः फरिश्तों पर  
ईमान लाने से क्या अभिप्राय है? .....12

- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह की औतरित की हुई ग्रंथों पर ईमान लाने से क्या अभिप्राय है? .....13
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः इश्दूतों और संदेष्टाओं पर ईमान क्या है? .....15
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अन्तिम दिन (प्रलय दिवस) पर ईमान क्या है? .....17
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या कब्र का अज्ञाब (यातना) और उसकी नेमतें कुर्�आन एवं हदीस से प्रमाणित हैं? .....18
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या ईमान वाले प्रलोक में अपने रब (पालनहार) को देखेंगे? .....21
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के निर्णय एवं तक़दीर पर ईमान कैसे लाया जाय? .....22

- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या मनुष्य  
विवश अथवा उसे अछित्यार प्राप्त है? .....24
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या कर्म  
(अमल) के बिना ईमान सही हो सकता है  
? .....25
- प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः इस्लाम के  
स्तम्भ (अर्कान) क्या-क्या हैं? .....26
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः "अल्लाह के  
अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद  
अल्लाह के रसूल (दूत ) हैं" की गवाही देने  
का क्या अर्थ है? .....27
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः "ला इलाहा  
इल्लल्लाह" की क्या-क्या शर्तें हैं? .....29
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आपका नबी  
(संदेष्टा) कौन है? .....35

- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः बन्दों पर अल्लाह की फर्ज (अनिवार्य ) की हुई प्रथम वस्तु क्या है? .....35
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह ने आपको क्यों उत्पन्न किया? .....36
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः इबादत (वंदना-उपासना ) का क्या अर्थ है? .....37
- प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः क्या दुआ वंदना का एक भाग है? .....38
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के निकट किसी कार्य के स्वीकार प्राप्त करने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं? .....40
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या अमल (कर्म) के बिना नीयत का सही होना काफ़ी है? .....42
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः तौहीद (एकेश्वरवाद) कितने प्रकार का होता है? 43

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः सबसे बड़ा पाप कौन-सा है? .....	46
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः शिर्क के कितने प्रकार हैं? .....	48
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः कुफ़्र के कितने प्रकार हैं? .....	50
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः निफ़ाक़ (वैमनस्य) के कितने प्रकार हैं? .....	52
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः इस्लाम की सीमा से बाहर निकालने वाली वस्तुएं क्या-क्या हैं? .....	53
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या किसी मुसलमान पर जन्नती अथवा दोज़खी होने का निर्णय लिया जा सकता है? .....	62
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या किसी मुसलमान के गुनाहगार (पापी) होने के कारण उसे काफ़िर कहा जा सकता है? ....	63

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या ज़बान  
के फिसलने से एवं भूलवश निकली हुई  
बूरी बातें तौहीद को प्रभावित करती हैं और  
क्या उनके कहने से आदमी सीधे मार्ग से  
हट जाता है अथवा वे छोटे गुनाहों में गिने  
जाते हैं? .....64

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः मोमिन के  
कर्मों की कड़ी कब समाप्त होती है? .....66

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः आकाशों तथा  
धरती एवं उनके बीच मौजूद समस्त  
वस्तुओं का संचालक कौन है? .....67

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः उन लोगों का  
क्या हुक्म है, जो विश्वास रखते हैं कि इस  
सृष्टि को चार अथवा सात कुतुब चला रहे  
हैं, या कुछ ऐसे गौस और अवताद हैं, जिनसे  
अल्लाह की बजाय अथवा अल्लाह के साथ  
कुछ माँगा जा सकता है? .....68

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या अवलिया गैब (परोक्ष) की बातें जानते हैं और मरे हुए लोगों को जीवित कर सकते हैं? .....68

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या वली होने का सौभाग्य केवल कुछ ही मोमिनों को प्राप्त होता है? .....71

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या अल्लाह तआला का फरमानः {सुन लो, अल्लाह के अवलिया को न कोई भय होगा और न वे दुःखी होंगे।} अवलिया को पुकारने की वैधता प्रदान करता है? .....72

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या नबियों के अतिरिक्त अन्य अवलिया छोटे-बड़े गुनाहों से पाप रहित हैं? .....73

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या खज़िर अलैहिस्सलाम जीवित हैं? .....73

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या मरे हुए  
लोग सुन सकते हैं अथवा पुकारने वालों  
की पुकार का उत्तर दे सकते हैं? .....75

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः उस आवाज़  
का क्या हुक्म है, जो कभी-कभी कुछ ऐसे  
मरे हुए लोगों के पास सुनी जाती है, जिनका  
अज्ञान लोग सम्मान करते हैं? .....76

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या मरे हुए  
अवलिया तथा दूसरे लोग फर्याद करने  
वालों की फर्याद सुनते हैं? .....78

प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जायः अल्लाह  
तआला के कथनः "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

{अर्थातः जो लोग  
अल्लाह की राह में मारे गये, उन्हें मुर्दा न  
समझो, बल्कि वे जीवित हैं, अपने रब के  
पास जीविका दिये जा रहे हैं।} (सूरह आले-

## इम्रानः 169) में जीवित से क्या अभिप्राय है?

.....79

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के सिवा किसी और की निकटता प्राप्त करने के लिए पशुओं की बलि देना कैसा है? ....80

प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जायः अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए मन्नत मानने का क्या हुक्म है? .....81

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या हम अल्लाह के सिवा किसी अन्य की पनाह (शरण) माँग सकते हैं? .....83

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः किसी पड़ाव में उत्तरते समय आप क्या कहेंगे? .....85

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या भलाई प्राप्त करने और बुराई से सुरक्षा के लिए अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की शरण ऐसे मामलों में माँगी जा सकती है, जिनका

सामर्थ्य अल्लाह के सिवा कोई नहीं रखता?

.....85

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या  
अब्दुन्नबी तथा अब्दुलहुसैन जैसे नाम  
रखना सही है? .....88

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः बुरी नज़र,  
ईर्ष्या, विपत्ति और अनहोनी से बचाव  
अथवा उन्हें दूर करने के लिए हाथ, गर्दन  
तथा सवारी आदि में कड़ा लगाना अथवा  
धागा बाँधना कैसा है? .....89

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः तबरुक  
(बरकत प्राप्त करने) का क्या अर्थ है? ....92

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या बरकत  
लेने के एक से अधिक प्रकार हैं? .....92

प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः क्या अल्लाह  
के सत्यवादी भक्तों की छोड़ी हुई  
निशानियों अथवा उनके व्यक्तित्वों से

बरकत लेना धार्मिक कार्य है या ये सब  
धर्म से जोड़े गये नये और कुपथ करने  
वाले कार्य हैं? .....95

प्रश्न/ फिर यदि आपसे कहा जायः क्या  
वृक्षों, पत्थरों अथवा मिट्टी आदि से बरकत  
लेना जायज़ है? .....96

परश्न/ यदि आपसे कहा जायः अल्लाह के  
अतिरिक्त किसी और की सौगंध खाने का  
क्या हुक्म है? .....97

प्रश्न/ यदि आपसे पूछा जायः क्या हमारे  
लिए ये विश्वास रखना जायज़ (उचित) है  
कि क्या ब्रह्माण्ड और मनुष्य के लिए  
भलाई, सामर्थ्य तथा सौभाग्य की प्राप्ति  
अथवा उन्हें बुराई, नापसंदीदा चीज़ों और  
विपत्तियों से बचाने में नक्त्र प्रभावशाली  
भूमिका निभाते हैं? .....99

प्रश्न/ यदि कहा जायः क्या राशि और नक्षत्र आदि के विषय में यह मानना जायज़ है कि राशि एवं नक्षत्र आदि मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं? मनुष्य के सौभाग्य तथा दुर्भाग्य में इनका कोई प्रभाव है तथा क्या इनके द्वारा भविष्यवाणी सम्भव है? .....100

प्रश्न/ यदि आपसे कहा जाएः क्या हमारे लिए अल्लाह के भेजे हुए आदेश अनुसार निर्णय करना अनिवार्य है? .....101

प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः शफ़ाअत किसे कहते हैं? .....103

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या पैरम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अन्य नबियों, अल्लाह के नेक बन्दों और शहीदों से शफ़ाअत तलब करना जायज़ है, क्योंकि वे प्रलय के दिन सिफारिश करेंगे? .....106

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः उस व्यक्ति का क्या हुक्म है, जो अपनी माँगें पूरी करवाने के लिए स्वयं अपने और अल्लाह के बीच मरे हुए लोगों को सिफारिशी बनाये ? ..... 107

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या अल्लाह तआला के इस कथन : "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكُمْ فَاسْتَعْفِرُوا اللَّهَ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَمُّ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا"

{अर्थात्: और यदि ये लोग अपनी प्राणों पर अत्याचार करने के पश्चात् आपके पास आ जाते और अल्लाह से माफ़ी माँगते और रसूल भी इनके लिए क्षमा माँगते, तो अल्लाह को क्षमा करने वाला और कृपाशील पाते।} (सूरा अन्न-निसाः 64) ..... 108

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के इस आदेश का क्या अर्थ है ? "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" {अर्थात्: हे ईमान वालो!

अल्लाह से डरो और उसकी निकटता तलाश करो} (सूरा अलमाइदा: 35) .....	110
प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः वसीला किसे कहते हैं? .....	111
प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः वसीला कितने प्रकार का होता है? .....	112
प्रश्न/ फिर यदि आपसे कहा जायः जायज़ वसीला किसे कहते हैं? .....	112
प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः नाजायज़ वसीला किसे कहते हैं? .....	115
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः मर्दों के लिए कब्रों के दर्शनार्थ के कितने प्रकार हैं? .....	117
प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः आप कब्रों की ज़ियारत (दर्शनार्थ) के समय क्या कहेंगे? .....	119
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या हम अल्लाह के सदाचारी भक्तों की कब्रों के	

पास दूआ करके अल्लाह की निकटता प्राप्त कर सकते हैं? .....	120
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः गुलू (अतिशयोक्ति) का क्या अर्थ है? .....	122
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः गुलू (अतिशयोक्ति) से सावधान करने वाली कुछ आयतों और हडीसों का वर्णन करें? .....	123
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या काबा के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल का तवाफ़ (परिक्रमा) जायज़ है? .....	124
प्रश्न: यदि आपसे कहा जायः क्या मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक्सा के अतिरिक्त अन्य किसी निर्धारित स्थान की श्रद्धा के लिए यात्रा करना उचित होगा ? .....	125
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या ये हडीसें सहीह हैं या इन्हें अल्लाह के रसूल	

سَلَّلَلَّا هُوَ الْأَكْبَرُ وَسَلَّلَمُ الْأَمْرُ  
إِذَا ضَاقَتْ مَنْسُوبَةُ الْمُنْسُوبِ

(अर्थात्: जब समस्याओं से तंग आ जाओ, तो कब्रों की ज़ियारत करो।) "من حَجَّ فَلِمْ يَرْبُّنِي فَقَدْ جَفَانِي" (अर्थात्: (जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की, उसने मुझपर अत्याचार किया।), "من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له" (अर्थात्: (जिसने मेरी और मेरे पिता इब्राहीम की एक ही वर्ष में ज़ियारत की, मैं उसे जन्नत की गारन्टी देता हूँ।), "من اعتقد في شيء نفعه" (अर्थात्: (जो किसी वस्तु पर आस्था रखे, उसे उससे लाभ होगा।), "توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم" (अर्थात्: (जो किसी वस्तु पर आस्था रखे, उसे उससे लाभ होगा।))

(अर्थातः मेरे व्यक्तित्व का वसीला पकड़ो, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व अल्लाह के निकट महान है।) "عبدِيْ أطعْنِي فَأَجْعَلُكَ مِنْ يَقُولُ لِلشَّيْءٍ" ا०

"(अर्थातः ऐ मेरे बन्दो, मेरा आज्ञापालन करो, मैं तुम्हें उन लोगों में शामिल कर दूँगा, जो किसी वस्तु से" हो जा" कह दें तो वह अस्तित्व में आ जाये।) إِنَّ

"الله خلق الخلق من نور نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -"

(अर्थातः अल्लाह ने शृष्टि की रचना अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रकाश से की।) ..... 126

प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जायः क्या मुर्दों को मस्जिद में दफन करना और कब्रों पर मस्जिद बनवाना जायज़ है? ..... 129

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः कब्रों पर मस्जिद बनाने का क्या हुक्म है? ..... 131

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या रसूल  
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद में  
दफन किए गये थे? .....132

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या  
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम  
अपनी कब्र में जीवित हैं और कुछ लोगों  
के अकीदे के अनुसार मीलाद के समय  
लोगों के सामने उपस्थित होते हैं? .....134

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः बिद्अत क्या  
है. इसके कितने प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार  
का क्या हुक्म है? और क्या इस्लाम में  
बिद्अते हसना कोई चीज़ है? .....137

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह के  
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के  
कौलः: "من سَنَة حَسْنَة فِلَهُ أَجْرٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا"  
(अर्थातः जिसने कोई नया तरीका निकाला,  
उसे उसका सवाब मिलेगा तथा उसपर

अमल करने वालों का सवाब मिलेगा) का  
क्या अर्थ है? ..... 139

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः तरावीह की  
नमाज़ के सम्बन्ध में उमर रज़ियल्लाहु  
अन्हु के कथनः (यह क्या ही अच्छी  
बिद़अत है!) और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु  
के दौर में जुमे के दिन दूसरी अज़ान को  
रिवाज देने के बारे में आप क्या कहेंगे? 140

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः नबी ﷺ के  
जन्म दिवस् पर किसी प्रकार की सभा का  
आयोजन करना सुन्नत है या बिदअत?

..... 143

प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः जादू करतब  
सीखने अथवा जादू करने का क्या हुक्म  
है? ..... 144

प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः कुछ लोग  
अपने आपको घायल करने और कठोर

- वस्तुओं को खाने का करतब दिखाते हैं।  
उनके इन करिश्मों (चमत्कारपूर्ण कार्य) को  
क्या नाम दिया जायेगा; जादू हाथ की  
सफाई अथवा करामत? .....148
- प्रश्न/ यदि आपसे कहा जायः जादूगर के  
पास दावा-दारु के लिए जाने का क्या हुक्म  
(आदेश) है? .....150
- प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जायः जादू  
होने से पहले जादू से कैसे बचाव किया  
जाय और यदि जादू कर दिया जाय, तो  
उसका उपचार कैसे हो? .....151
- प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या  
भविष्यवाणी करने वालों, गैब (परोक्ष) की  
बातें बताने वालों, जादूगरों, प्याली अथवा  
हथेली पढ़ने वालों तथा नक्षत्रों एवं राशियों  
के ज्ञान द्वारा भविष्य के बारे में जानने

का दावा करने वालों के पास जाना जायज़ है? ..... 152

प्रश्न/ जब आपसे कहा जाय: आप इस हडीस के बारे में क्या कहते हैं - "تَعْلَمُوا السُّحْرَ" -

"(अर्थात्: जादू सीखो, परन्तु उसपर अमल न करो) ..... 155

प्रश्न/ फिर यदि आपसे कहा जाय: मनुष्यों में नबियों के पश्चात् सबसे सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम कौन हैं? ..... 155

प्रश्न/ यदि आपसे कहा जाय: सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम के विषय में हमपर क्या करना आवश्यक है और उनमें से किसी को गाली देने का क्या हुक्म है? .156

प्रश्न/ फिर जब आपसे कहा जाय: जो व्यक्ति रसूल ﷺ के साथियों में से किसी को गाली दे अथवा मोमिनों की माओं

.....)रसूल ﷺ की पवित्र पत्नियों में से किसी को गाली दे उसका क्या दण्ड है? .....	159
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः क्या यह कहना उचित होगा कि सब धर्म एक है? .....	160
प्रश्न/ जब आपसे कहा जायः अल्लाह पर ईमान लाने, उसे एक मानने और उसके रसूल की सुन्नत पर स्थिर रहने से क्या मिलेगा? .....	162
<b>निष्कर्ष</b> .....	165

عقيدة الأئمة الأربع رحمهم الله  
أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل)  
(باللغة الهندية)



إعداد: نخبة من طلبة العلم  
تقديم: صلاح بن محمد البدير

ترجمة ومراجعة: مركز رواد الترجمة